Section 21.— (i) In sub-section (5), omit the second proviso;

(ii) In sub-section (7), for "other than Union territory of Delhi" substitute "other than Union territory of Delhi, Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh"; and

(iii) In sub-section (8), for "Union territory of Delhi" substitute "Union territory of Delhi, Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh".

43. THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (54 of 2002)

Section 13.- In sub-section (3A), in the proviso, omit "or the Court of District Judge under section 17A".

Section 17A and section 18B.— Omit.

Section 18C.– (a) In sub-section (1), omit, –

(i) "or section 17A" and "or section 18B"; and

(ii) "or the court of District Judge" and "or the High Court" wherever they occur;

(b) in sub-section (3) omit "or the court of District Judge" and "or the High Court".

IndiaCode

section 19- In section 19,-

(i) omit "or the court of District Judge", "or the High Court" and "or the High Court referred to in section 18B";

(ii) omit 'or section 17A" and "or section 18A".

[F. No. 11012/21/2020-SRA]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3775(अ).—केन्द्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) आदेश 2020 है।

(2) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 इस आदेश के निर्वाचन के लिए वैसे ही लागू होगा, जैसे यह भारत राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के लिए लागू होता है।

3. तात्कालिक प्रभाव से, इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम, जब तक की उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है, उक्त अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन प्रभावी होंगे, या यदि ऐसा निदेशित किया गया है तो, यह निरस्त हो जाएंगे।

4. जहां इस आदेश में ऐसा अपेक्षित है कि किसी अधिनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा या अन्य भाग में कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, या कतिपय शब्दों का लोप करेंगा, यथास्थिति ऐसा प्रतिस्थापन या लोप, वहां के सिवाय जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, जहां कहीं निर्दिष्ट शब्द उस धारा या भाग में आते हैं, किया जाएगा।

5. इस आदेश के ऐसे उपबंध, जो किसी विधि के अनुकूलन करते हैं, या उसका उपांतरण करते हैं जिससे उसे ऐसी रीति में परिवर्तित किया जा सके जिसमें ऐसा प्राधिकार जिसके द्वारा या ऐसी विधि जिसके अधीन या जिसके अनुसार ऐसी कोई शक्तियां प्रयोक्तव्य हों, 31 अक्तूबर, 2019से पहले सम्यक रूप से जारी की गई किसी अधिसूचना, किए गए आदेश, की गई प्रतिबद्धता, कुर्की, बनाई गई उपविधि, बनाए गए नियम या विनियम को या सम्यक रूप की गई किसी बात को अविधिमान्य नहीं बनाएंगे; और ऐसी किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम या किसी बात का वैसी ही रीति में, वैसे ही विस्तार तक, और वैसी ही परिस्थितियों में प्रतिसंहरण, फोरफार या अकृत किया जा सकेगा मानो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात् और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार बनाया गया हो, जारी किया गया हो या किया गया हो।

6. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विधि का निरसन या संशोधन—

(क) इस प्रकार निरस्त किसी विधि के पूर्ववर्ती प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी बात को;

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अर्जित, प्रोदभूद या उपगत किसी अधिकारी, विशेषाधिकार, समपहरण या दायित्व को;

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड को; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐस अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधि कार्यवाही या उपचार को,

प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे किसी अन्वेषण, विधि कार्यवाही या उपचार को वैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दंड को वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) या यह आदेश पारित न किया गया हो।

IndiaCode

अनुसूची
(पैरा 3 देखें)
राज्य विधियां

1. उद्योगों को जम्मू-कश्मीर राज्य सहायता अधिनियम, 1961 (1961 का 22)

पूर्णत: निरसन करें।

2. जम्मू-कश्मीर एनेटॉमी अधिनियम, 1959 (1959 का 22)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो 'सरकार', 'राज्य' और 'सरकारी राजपत्र, के स्थान पर क्रमश: 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन', 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' और 'राजपत्र' रखें।

धारा 6. – "पांच सौ रुपए" के स्थान पर "पांच हजार रुपए" रखें।

धारा 9. – "रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45)" रखें।

3. जम्मू-कश्मीर प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, संवत. 1977 (संवत 1977 का 5)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, 'सरकार', "जम्मू-कश्मीर", "राज्य संरक्षित स्मारक", "मंत्री" और 'सरकारी राजपत्र' के स्थान पर क्रमश: 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन', "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र", "संरक्षित स्मारक", "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" और 'राजपत्र' रखें ।

संपूर्ण अधिनियम में, "निदेशक, पुरातत्व" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारी" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, "पुरातत्व विभाग" के स्थान पर "इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के स्थान पर न्यासित विभाग"।

धारा 2.– (i) खंड (3) में, "पुरातत्व विभाग के, उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का हो" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त" रखें; और

(ii) खंड (5-क) का लोप करें।

धारा 10. – उप-धारा (1) में, "भूमि अधिग्रहण अधिनियम" के स्थान पर "भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 30)" रखें ।

धारा 15. – उपधारा (2) में, "एक हजार रुपए" के स्थान पर "दस हजार रुपए" रखें।

धारा 17. – उप-धारा (4) में, "सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो" का लोप करें।

धारा 20-क. – "या लद्दाख जिले के मामले में, उस जिले का उपायुक्त" का लोप करें।

धारा 20-ग. – "1990 का अधिनियम सं. 10 राज्य भूमि अधिग्रहण " के स्थान पर "भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार

IndiaCode

अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 30)" रखें

धारा 22-क. – "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

4. जम्मू-कश्मीर ईंट भट्टा (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 17)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर , "राजपत्र" रखें ।

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकार" के स्थान पर , "प्रशासन" रखें ।

उद्देशिका – "राज्य में", के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 1. – (i) उप-धारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर , "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें; और

(ii) उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2. – (i) खंड (क) में, "राज्य" के स्थान पर , "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें; और

(ii) खंड (ज), के स्थान पर-

'(ज)' "प्रशासन" से लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है।"

धारा 3. – उप-धारा (2) में, परंतुक में, "किसी अधिसूचित आदेश द्वारा", के स्थान पर "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" रखें।

धारा 4. – खंड (घ) में, "जम्मू-कश्मीर वन अधिनियम, 1987 के अधीन राज्य के सीमांकित वन क्षेत्र", के स्थान पर "भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अधीन लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का वन क्षेत्र" रखें।

धारा 6. – (i) उप-धारा (1) में, "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें; और

(ii) उप-धारा (4) में, खंड (II) में, उपखंड (ii) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति" रखें।

धारा 8. – उप-धारा (2) में, खंड (च) में, "प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति" रखें।

धारा 12. – स्पष्टीकरण में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989 की धारा 102 और धारा 103" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 (1974 का 2)" रखें।

धारा 13. – "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 18. – "होर्डिंग एंड प्रोफिटियरिंग प्रिवेंशन आर्डिनेंस, संवत 2000 और कोई अन्य विधि" के स्थान पर, "कोई विधि" रखें।

IndiaCode

धारा 23. – "राज्य रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें।

धारा 28. – "राज्य" के स्थान पर , "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

5. जम्मू-कश्मीर कैंपिंग और मूरिंग स्थल अधिनियम, 2004

(संवत 2004 का 12)

पूर्णत: निरस्त करें।

6. जम्मू-कश्मीर का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम सं. 12)

पूर्णत: निरस्त करें।

7. जम्मू-कश्मीर भवन प्रचालन नियंत्रण अधिनियम, 1988

(1988 का 15)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, 'सरकार', और 'सरकारी राजपत्र' के स्थान पर क्रमशः 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन', और 'राजपत्र' रखें।

उद्देशिका के सिवाय, संपूर्ण अधिनियम में, 'जम्मू-कश्मीर' या 'जे एंड के' और 'राज्य' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' रखें।

धारा 1. – 'उप-धारा (2)में, 'जम्मू-कश्मीर राज्य' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' रखें।

धारा 2. – (i) खंड (9) में, उप-खंड (i) में, ", कश्मीर घाटी में "पांड-पांड" के रूप में आमतौर पर ज्ञात है" का लोप करें;

(ii) खंड (10) में, 'जम्मू-कश्मीर सरकार' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन' रखें ; और

(iii) खंड (13) का लोप करें।

धारा 3. – उप-धारा (1) में, 'राज्य' का लोप करें।

धारा 4. – 'राज्य' का लोप करें।

धारा 5. – उप-धारा (3) में, 'राज्य' का लोप करें।

धारा 10. – 'दंड प्रक्रिया संहिता, संवत, 1989' के स्थान पर 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)' रखें और खंड (ii) के उपखंड (क) में, 'धारा 57' के स्थान पर "धारा 42" रखें।

धारा 11. – 'मंत्री' शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, उसके स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन' रखें।

IndiaCode

8. जम्मू-कश्मीर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1989

(1989 का 10)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र", और "संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत, 1997" के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "राजपत्र" और "संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका के सिवाय, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो "जम्मू-कश्मीर" शब्द के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

उद्देशिका- (i) दोनों स्थानों "राज्य में", के स्थान पर दोंनों स्थानों पर जहां-कहीं आता है "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में" रखें।

(ii) "जम्मू-कश्मीर के संविधान में प्रतिपादित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार" का लोप करें।

धारा 1. – (i) उप-धारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें;

(ii) उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें।

धारा 2. – खंड (च) के, उपखंड (iii) में, "शीर्ष स्तर" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का शीर्ष स्तर" रखें।

धारा 3. – उप-खंड (1) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें।

धारा 10. – उप-धारा (1) में, "राज्य के कार्यक्रमों" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के कार्यक्रमों" रखें।

धारा 16. – उप-धारा (1) में, परंतुक में, "और ऐसा प्रत्येक आदेश, इसे बनाए जाने के पश्चात, शीघ्रातिशीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, प्रस्तुत किया जाएगा" का लोप करें।

धारा 17. – उप-धारा (1) में, -

(i) खंड (क) में, –

(क) उप-खंड (i) में, "जम्मू-कश्मीर संविदा अधिनियम, संवत 1977" के स्थान पर, "भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1860 का 21)" रखें;

(ख) उप-खंड (ii) का लोप करें; और

(ii) खंड (ग) में, "जम्मू-कश्मीर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत 1998" के स्थान पर, "सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860" रखें।

धारा 35. – खंड (i) के परंतुक में, –

(क) "राज्य सरकार" के स्थान पर , "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें ; और

(ख) "संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत, 1977 की धारा 140 के उपबंधों के अध्यधीन" का लोप करें।

IndiaCode

धारा 40. –	"जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत 1977" के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)" रखें।
धारा 60. –	"न्यास अधिनियम, संवत 1977" के स्थान पर, "भारतीय न्यास अधिनियम 1882" (1882 का 2) रखें।
धारा 79. –	उप-धारा (1) में, दोनों स्थानों पर आए "राज्य" के स्थान पर , "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।
धारा 91. –	उप-धारा (1) में, "से उत्पन्न होने वाले" और "कृषकों और भूमि सुधार को सरकारी सहायता अधिनियम, संवत 1993 के अधीन" का लोप करें।
धारा 92. –	उप-धारा (2) में, "बिग लैंडेड एस्टेट्स एबोलिशन अधिनियम, संवत 2007 में कोई भी बात" के स्थान पर "तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी" रखें।
धारा 94. –	"जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत 1977" के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)" रखें।
धारा 107. –	उप-धारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत 1977" के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)" रखें।
धारा 111. –	"जम्मू-कश्मीर भूमि संक्रामण अधिनियम, संवत 1995की धारा 6 में निहित किसी बात के होते हुए भी" का लोप करें।
धारा 131. –	उप-धारा (3) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।
धारा 132. –	उप-धारा (1) में, "धारा 89क" के स्थान पर "धारा 69क" रखें।
धारा 134. –	उप-खंड (1) में, "जम्मू-कश्मीर मकान और दुकान किराया नियंत्रण अधिनियम, 1966" के स्थान पर "आवासीय और वाणिज्यिक काश्तकारी अधिनियम, 2012" रखें।
धारा 143. –	"जम्मू-कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, संवत 1990" के स्थान पर "भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)" रखें।
धारा 153. –	खंड (ग) में, "जम्मू-कश्मीर रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें।
धारा 155. –	"परिसीमा अधिनियम, संवत् 1955 की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 182" के स्थान पर "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) की धारा 137" रखें।
धारा 171. –	"कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 01)" के स्थान पर, "कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)" रखें।
धारा 174. –	उप-धारा (1) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत 1977" के स्थान पर, "सिविल

MadiaCode

प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

धारा 176. – उप-धारा (1) में, "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

9. जम्मू-कश्मीर देनदार राहत अधिनियम, 1976
(1976 का 15)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो "सरकार" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें ।

उद्देशिका – "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 1. – (i) उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें; और

(ii) उप-धारा (3) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर " राजपत्र" रखें ।

धारा 2. – (i) खंड (1) में, –

(क) "जम्मू-कश्मीर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1989" रखें ;

(ख) उप-खंड (ii) में, "या जम्मू-कश्मीर संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1977 की धारा 140" का लोप करें;

(ग) उप-खंड (v) में, दोनों स्थानों पर, "जम्मू-कश्मीर सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें ; और

(ii) खंड (2) के स्पष्टीकरण में, "जम्मू-कश्मीर सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें ;

(iii) खंड (9) में, "जम्मू-कश्मीर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1989" रखें ; और

(iv) उप-धारा (10) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें ।

धारा 3. – (i) उप-धारा (1) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें ;

(ii) उप-धारा (7) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें; और

(iii) उप-धारा (11) में, "परिसीमा अधिनियम, संवत 1995" के स्थान पर "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)" रखें।

धारा 4. – परंतुक का लोप करें।

धारा 12. – "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

धारा 22. – "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता,

indiacode

1908 (1908 का 5)" रखें।

धारा 30. – "जम्मू और कश्मीर परिसीमा अधिनियम, संवत 1995", के स्थान पर "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)" रखें।

धारा 32. – "रणबीर दंड संहिता, संवत 1989" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम 45)" रखें।

धारा 34. – (i) दोनों स्थानों पर "राजस्व मंत्री या" का लोप करें; और

(ii) "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "शासकीय राजपत्र" रखें।

10. जम्मू-कश्मीर उप मंत्रियों के वेतन और भत्ते, अधिनियम, 1957
(1957 का 6)

पूर्णत: निरसन करें।

11. जम्मू-कश्मीर उपाध्यक्ष और उप सभापति (उपलब्धियां) अधिनियम, 1956
(1956 का 22)

पूर्णत: निरसन करें।

12. जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम, 1970
(1970 का 19)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो "सरकार", "सरकारी राजपत्र" और "राज्य" के स्थान पर, क्रमशः, "प्रशासन", "संघ राज्यक्षेत्र" और "उपराज्यपाल के सलाहकार" रखें।

धारा 2. – खंड (1) में, "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 की धारा 3" के स्थान पर, "भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) रखें।

धारा 8. – उप-धारा (1) में, "ऐसे प्रत्येक जोन, जिसमें से किसी स्थानीय क्षेत्र को विभाजित किया जा सके" और "प्रत्येक जोन" के स्थान पर क्रमश: "ऐसे जोन जिन्हें धारा 13 के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है" और "प्रत्येक ऐसा जोन" रखें ।

धारा 11. – "मास्टर प्लान के पश्चात और" के स्थान पर "मास्टर प्लान के पश्चात या" रखें ।

धारा 11 के पश्चात, नई धारा का अंत:स्थापन:–

भूमि का अनुज्ञात "**11क. (1)** मास्टर प्लान या जोन विकास प्लान के लागू होने के पश्चात, इसके अधीन आने वाले क्षेत्र में भूमि का अनुज्ञात उपयोग केवल ऐसे मास्टर प्लान या

IndiaCode

उपयोग और भूमि उपयोग प्रभार का उद्ग्रहण

जोन विकास प्लान में यथा उपबंधित में निबंधानों के अनुसार होगा:

परंतु लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध, जिनमें किसी भूमि के उपयोग में परिवर्तन के स्थान पर कोई अनुमति अपेक्षित हो, इसमें आने वाले किसी क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।

(2) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मास्टर प्लान या जोन विकास प्लान में भूमि के यथाअनुज्ञात उपयोग के स्थान पर प्रभारों के उद्ग्रहण हेतु स्कीम अधिसूचित कर सकेगा, इसके आगम प्राधिकरण की निधि का हिस्सा होंगे और धारा 50 निबंधानुसार अपेक्षित भूमि अधिग्रहण के स्थान पर वहन उपगत व्ययों को पूरा करने के स्थान पर उपयोग में लाए जा सकेंगे।"

धारा 13 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें –

विकास क्षेत्रों की घोषणा और विकास के स्थान पर अनुमति, आदि।

"13 (1) प्लान के लागू होने की तारीख के अनुमोदन संबंधी नोटिस, के धारा 11 के अधीन प्रकाशन के पश्चात, प्राधिकरण लद्दाख प्रशासन की पूर्व अनुमति से और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी जोन या उसके किसी भाग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के स्थान पर विकास क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी अधिसूचना के परिणामस्वरूप कोई भी व्यक्ति लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का कोई विभाग भी है, इस अंचल या इसके हिस्से के किसी भी भू-भाग या भवन का विकास कार्य आरंभ या संपन्न, जैसा भी मामला हो, तब तक नहीं करेगा जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण से इस प्रकार के विकास कार्य के स्थान पर लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है:

परंतु लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के किसी विभाग या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी भूमि का अक्तूबर, 2019 के 31 वें दिन से पहले आरंभ किया गया विकास कार्य उस विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूरा किया जा सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति या निकाय, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक हो जिससे लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का कोई विभाग या कोई प्राधिकरण भी है, प्राधिकरण की बिना पूर्व लिखित अनुमति के, नगर निगम की सीमाओं के बाहर किसी भी स्थानीय क्षेत्र में किसी भी गली या लेआउट प्लान को, किसी भी रूप में निष्पादित करने का कार्य आरंभ नहीं करेगा:

परंतु इस प्रकार की अनुमति के प्रयोजनों के स्थान पर, प्राधिकरण जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (2000 का 20) में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करेगा:

यह और कि, इस उप-धारा के अधीन निर्बंधन जम्मू-कश्मीर टाउन प्लानिंग अधिनियम, 1963 (1963 के 20) के उपबंधों के अधीन लागू टाउन प्लानिंग स्कीम के हिस्से के रूप में किए गए किसी भी विकास कार्य पर लागू नहीं होगा।

धारा 15. – "जोन में कोई प्लान" के स्थान पर, "जोन में मास्टर प्लान या जोन विकास प्लान" रखें ।

धारा 16. – उप-खंड (1) में, "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, संवत 1990" के स्थान पर, "भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार

अधिनियम, 2013 (30 का 2013) रखें ।

धारा 21. – उप-धारा (4) में, "और सरकार इसकी एक प्रति विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी" का लोप करें।

धारा 22. – उप-धारा (2) में, "भविष्य निधि अधिनियम, संवत 1998" के स्थान पर "कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19)" रखें।

धारा 24. – (i) उप-धारा (1) में, “5,000/- रु.” और “200/- रु.", के स्थान पर क्रमश: "50,000/- रु." और "2,000/- रु.“ रखें।

(ii) उप-धारा (2) में, “तीन हजार रु.” और “एक सौ पचास रु.", के स्थान पर क्रमश: "30,000/- रु." और "1500/- रु.“ रखें।

(iii) उप-धारा (3) में, “एक हजार रु.", के स्थान पर ”दस हजार रु;" रखें।

धारा 26. – उप-धारा (4) में, "दो सौ रुपये" के स्थान पर , "दो हजार रुपये" रखें।

धारा 31. – "प्राधिकरण और उस स्थानीय प्राधिकारण या विभाग, के मध्य सहमत नियम और शर्तों पर" का लोप करें।

धारा 34. – (i) उप-धारा (2) में, “सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत 1977" के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5)” रखें; और

(ii) उप-धारा (6) में, "माध्यस्थतम् अधिनियम, संवत 2002" के स्थान पर " "माध्यस्थतम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26)" रखें।

धारा 43. – "रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें।

धारा 45. – "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 की धारा 32" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29" रखें।

धारा 49. – खंड (ग) में, “जम्मू-कश्मीर राज्य नहर और जल निकासी अधिनियम, संवत 1963” के स्थान पर, “जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010” रखें।

13. बाध्य और आंतरिक संचलन (नियंत्रण) अध्यादेश), 2005

(संवत 2005 का अध्यादेश नं 5)

अध्यादेश में, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, 'सरकार', और 'राज्य' और 'सरकारी राजपत्र' के स्थान पर, क्रमशः, 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन', 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' और 'राजपत्र' रखें।

धारा 3-ग.– "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

IndiaCode

धारा 5. –	उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 की धारा 61" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 57" रखें।
धारा 8. –	उप-धारा (1) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" और "धारा 30" के स्थान पर क्रमश: "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" और "धारा 29" रखें।
धारा 9. –	उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।
धारा 10. –	दोनों स्थानों पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।
धारा 12. –	उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 की धारा 439" तथा "धारा 439 के संदर्भ में" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 401" तथा "401 के संदर्भ में" रखें।
धारा 15. –	"साक्ष्य अधिनियम, 1977" के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872" रखें ।
धारा 16. –	उप-धारा (4) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।
धारा 17. –	दोनों स्थानों पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।
धारा 18. –	उप-धारा (1) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।
धारा 19. –	उप-धारा (1) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

14. जम्मू-कश्मीर उत्पाद शुल्क अधिनियम, संवत 1958 (1901 ए.डी.)
(1901 राज्य परिषद का संकल्प संख्या 9)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।

उद्देशिका –	"जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर , "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें ।
धारा 1. –	(i) उप-धारा (2) में, "राज्य के क्षेत्रों" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 3. –	धारा 3 में, –
	(i) खंड (3) में, "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" रखें ;
	(ii) खंड (11), खंड (12) और खंड (13) में, "राज्य क्षेत्र" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें ; और

IndiaCode

	(iii) खंड (18) में, "राज्य सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" रखें।
धारा 3क. –	"सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें।
धारा 4. –	उप-धारा (2) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें।
धारा 5. –	"जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर , "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें।
धारा 6. –	"राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें।
धारा 7. –	"सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें।
धारा 8. –	"राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें।
धारा 11. –	द्वितीय परंतुक में, "राज्य के राज्यक्षेत्रों" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें।
धारा 11क. –	उप-धारा (2) में, "राज्य सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।
धारा 12क. –	परंतुक के खंड (i) में, -
	(क) "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में" रखें ; और
	(ख) "जम्मू अथवा श्रीनगर में" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में" रखें।
धारा 14क. –	"राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें।
धारा 16. –	"राज्य के क्षेत्रों में या राज्य में आयातित और राज्य से निर्यातित" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में या संघ राज्यक्षेत्र में आयातित या संघ राज्य क्षेत्र से निर्यातित" रखें।
धारा 16क. –	"राज्य" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, क्रमशः "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" रखें।
धारा 17 और 24.	"राज्य" जहां-कहीं वह आता है, के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें।
धारा 32. –	(i) "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ; और
	(ii) परंतुक का लोप करें।
धारा 34. –	दोनों स्थानों पर, "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें।
धारा 38. –	"दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) रखें।
धारा 39. –	"दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 के अध्याय 30" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 33" रखें।
धारा 56ख. –	उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 की अनुसूची 2" के स्थान पर , "दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की "अनुसूची 1" रखें।

IndiaCode

धारा 61. –	(i) उप-धारा (1), "रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें ; और
	(ii) उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर, स्थानापन्न "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।
धारा 62. –	"जम्मू-कश्मीर सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें।
धारा 64. –	"जम्मू-कश्मीर सरकार" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।

15. जम्मू-कश्मीर राल निष्कर्षण अधिनियम, 1988

(1988 का 9)

पूर्णत: निरसन करें।

16. जम्मू-कश्मीर राज्य पार नौका नियंत्रण अधिनियम, 1971

(1971 का 18)

पूर्णत: निरसन करें।

17. जम्मू-कश्मीर मत्स्य उद्योग अधिनियम, 2018

(2018 का 16)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, 'सरकार', 'जम्मू-कश्मीर' और 'सरकारी राजपत्र, के स्थान पर क्रमश: 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन', 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' और 'राजपत्र', रखें।

उद्देशिका–	"राज्य में" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में " रखें।
धारा 2. –	(i) खंड (क) के पश्चात अंत:स्थापित करें अर्थात, -
	(कक) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" अभिप्रेत है; और
	(ii) खंड (छ) का लोप करें।
धारा 12. –	उप-धारा (3) में, "परिसीमा अधिनियम, संवत 1995" के स्थान पर "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)" रखें।
धारा 17. –	"दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।
धारा 18. –	(i) उप-धारा (1) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ; और
	(ii) उप-धारा (3) में, "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 403, संवत, 1989" के स्थान

IndiaCode

पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)) की धारा 300" रखें।

धारा 19. – "राज्य सरकार" के स्थान पर "प्रशासन" रखें।

धारा 21. – "रणबीर दंड संहिता, संवत 1989" के स्थान पर भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45)" रखें ।

धारा 22. – उप - धारा (2) का लोप करें।

धारा 27. – उप-धारा (2) में, दोनों स्थानों पर, "राज्यक्षेत्र" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 28. – "दंड प्रक्रिया संहिता" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

18. जम्मू-कश्मीर राज्य वन निगम अधिनियम, 1978

(1978 का 12)

पूर्णत: निरसन करें।

19. जम्मू-कश्मीर गोल्फ विकास और प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2013

(2013 का 7)

पूर्णत:निरसन करें।

20. जम्मू-कश्मीर सरकारी राजपत्र अधिनियम, संवत. 1945 (1888 ए.डी.)

(संवत 1945 का 12)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उबंधित न हो, 'सरकार', 'राज्य', 'जम्मू-कश्मीर' और 'सरकारी राजपत्र' के स्थान पर, क्रमश: 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन', 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र', 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' और 'राजपत्र' रखें।

धारा 10. – निम्न अंत:स्थापित करें -

"स्पष्टीकरण: राजपत्र में प्रकाशन से लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशन अभिप्रेत होगा।"

21. जम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प (गुणवत्ता नियंत्रण) अधिनियम, 1978

(1978 का 4)

पूर्णत: निरसन करें।

22. जम्मू-कश्मीर राजमार्ग अधिनियम, 2007
(संवत् 2007 का 27)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी सड़कों", "सरकारी सड़क" और "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, क्रमशः "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र की सड़कों", 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र की सड़क' और 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' रखें।

उद्देशिका के सिवाय, संपूर्ण अधिनियम में, "सरकार" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।

23. जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1976
(1976 का 7)

पूर्णत: निरसन करें।

24. जम्मू-कश्मीर औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय त्यौहार) अवकाश अधिनियम, 1974
(1974 का 13)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ग) से भिन्न "सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।

उद्देशिका 1. –	"राज्य में" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में" रखें।
धारा 1. –	उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें।
धारा 2. –	खंड (क) में, "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें ।
धारा 3. –	उप-धारा (2) का लोप करें।
धारा 6. –	उप-धारा (2) में, “रणबीर दंड संहिता, 1989”, के स्थान पर “भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)” रखें ।
धारा 8. –	“पच्चीस रुपए” और “दो सौ पचास रुपए”, के स्थान पर क्रमशः “दो हज़ार पाँच सौ रुपए” और “पच्चीस हज़ार रुपए” रखें ।
धारा 9. –	“पाँच सौ रुपए” के स्थान पर “पाँच हज़ार रुपए” रखें ।

25. जम्मू-कश्मीर खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1965
(1965 का 16)

पूर्णत: निरसन करें।

IndiaCode

26. जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा (अध्यक्ष की उपलब्धियाँ) अधिनियम, 1956

(1956 का 4)

पूर्णत: निरसन करें।

27. जम्मू-कश्मीर राज्य विधायी परिषद अध्यक्ष (उपलब्धियाँ) अधिनियम, 1962

(1962 का 28)

पूर्णत: निरसन करें।

28. जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमण्डल सदस्यों की पेंशन अधिनियम, 1984

(1984 का 2)

पूर्णत: निरसन करें।

29. जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमण्डल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1962

(1962 का 16)

पूर्णत: निरसन करें।

30. जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1960

(1960 का 37)

पूर्णत: निरसन करें।

31. जम्मू-कश्मीर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2018

पूर्णत: निरसन करें।

32. जम्मू-कश्मीर मंत्री और राज्य मंत्रियों का वेतन अधिनियम, 1956

(1956 का 6)

पूर्णत: निरसन करें।

IndiaCode

33. जम्मू-कश्मीर मंत्री और पीठासीन अधिकारी चिकित्सा प्रसुविधा अधिनियम, 1975

(1975 का 22)

पूर्णत: निरसन करें।

34. जम्मू-कश्मीर साहूकार और प्रत्यायित ऋण प्रदाता अधिनियम,2010

(2010 का 23)

संपूर्ण अधिनियम में, तब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार" के स्थान पर " प्रशासन" रखें।

उद्देशिका-	"जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, " लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र " रखें ।
धारा 1. –	(i) उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, " लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र " रखें; और
	(ii) उप-धारा (3) में, "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर " शासकीय राजपत्र" रखें।
धारा 2. –	(i) खंड (4) में, "जम्मू-कश्मीर कॉ-ऑपरेटिव सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1989" के स्थान पर "सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21)" रखें ;
	(ii) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखें -
	"(5)" प्रशासन " से “लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन" अभिप्रेत है,“
	(iii) खंड (8) में, -
	(क) उप-खंड (i) में, " या राज्य विधानमंडल” का लोप करें;
	(ख) उप-खंड (ढ) में "जम्मू-कश्मीर सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, संवत 1998" के स्थान पर "सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21)" रखें ; और
	(iv) खंड (9) में, "जम्मू-कश्मीर विधायी सेवा प्राधिकरण अधिनियम1997” के स्थान पर " विधायी सेवा प्राधिकरण अधिनियम1987 (1987 का 39)” रखें ;
धारा 3 -	"सरकारी राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" रखें
धारा 8. -	उप-धारा (2) में, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1989” के स्थान पर “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) रखें ।
धारा 10. -	(i) उप-धारा (5) में "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977", के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें ।
	(ii) उप-धारा (6) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977", के स्थान पर" सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (1908 का 5) रखें ।
धारा 26. -	"राज्य रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें।
धारा 28. -	(i) उप-धारा (1) में, "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" रखें; और

IndiaCode

(ii) उप-धारा (3) का लोप करें।

धारा 29. - "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

धारा 30. - लोप करें।

35. जम्मू-कश्मीर मोटर स्पिरिट और डीजल तेल (विक्रय कराधान) अधिनियम, 2005

(2005 का 5)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, " सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।

धारा 2. - धारा (जज) में, "जम्मू-कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 की धारा 21क के अधीन अपीलीय अधिकरण" के स्थान पर " लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पदाभिहित अधिकरण या प्राधिकरण" रखें

धारा 3. - (i) "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" रखें ; और

(ii) दूसरे परंतुक का लोप करें ।

धारा 3 क. - उप-धारा (1) में, "राज्य" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर क्रमशः " लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन " और "राजपत्र" रखें ।

धारा 7. - उप-धारा (5) के परंतुक में "सरकारी खजाने में" के स्थान पर " ऐसे प्राधिकारी जो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित किया जाए " रखें।

धारा 10. - उप-धारा (1) में, "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" रखें ।

धारा 11. - "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) रखें ।

धारा 12. - "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) रखें ।

धारा 13. - " दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 की धारा 61" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 57" को रखें ।

धारा 15. - "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) रखें ।

धारा 20. - " प्रभारी मंत्री " के स्थान पर, "उपराज्यपाल के सलाहकार" रखें।

धारा 22 ख. - उपधारा (3) का लोप करें ।

धारा 22 ग. - "सीमांकन अधिनियम, संवत् 1995", के स्थान पर " परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)" रखें ।

धारा 22घ . - "जम्मू-कश्मीर साधारण बिक्री कर अधिनियम, 1962 के अधीन इसके द्वारा प्रयोक्तव्य वही शक्तियां", के स्थान पर निम्न प्रयोजनों के लिए "सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां" -

(क) शपथ पत्र द्वारा तथ्यों का सबूत;

(ख) किसी व्यक्ति को समन करना, और हाजिर करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना;

IndiaCode

(ग) दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर करना; और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। ”

धारा 22 ङ . - लोप करें।

36. जम्मू -कश्मीर मोटर यान कराधान अधिनियम,1957

(1957 का 26)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, " सरकार” के स्थान पर “लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।

उद्देशिका- "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर " लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें।

धारा 1. - (i) उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखे; और

(ii) उप-धारा (3) में, "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

धारा 2. - खंड (i), (vi), (vii) और (viii) में " जम्मू-कश्मीर मोटर वाहन अधिनियम, संवत 1998 के स्थान पर "मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) रखें।

धारा 3. - (i) उप-धारा (1) में "सरकारी राजपत्र" और "जम्मू-कश्मीर राज्य", के स्थान पर "राजपत्र" और "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें ; और

(ii) उप-धारा (2) में, परंतुक का लोप करें ।

धारा 4. - (i) उप-धारा (1) में, -

(क) खंड (ग) में, (अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट अधिकतम से अनधिक)" का लोप करें;

(ख) खंड (ग) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, " शासकीय राजपत्र" रखें।

(ग) खंड (घ) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखे; और

(ii) उप-धारा (3) में, -

(क) खंड (क) के उपखंड (i) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर " लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें ;

(ख) खंड (क) के उपखंड (ii) में, जम्मू-कश्मीर मोटर वाहन अधिनियम, संवत 1998 के स्थान पर " मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) रखें; और

(ग) खंड (ख) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर " लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें;

धारा 9. - "सरकारी राजपत्र"के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

अनुसूची - अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 का लोप करें।

IndiaCode

37. जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000

(2000 का 21)

पूर्णत: निरसन करें।

38. जम्मू-कश्मीर मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1981

(1981 का 22)

धारा 1. - (i) उप-धारा (2) में, "राज्य " के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें ; और

(ii) उप-धारा (3) में "सरकारी राजपत्र" और " राज्य", के स्थान पर "राजपत्र" और "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2. - खंड (ख) और (ग) में, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत 1977" के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1908 (1908 का 16)" रखें।

धारा 6. - "साक्ष्य अधिनियम, 1977" के स्थान पर, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)" रखें।

39. जम्मू-कश्मीर प्राकृतिक विपत्ति विनाश क्षेत्र सुधार अधिनियम, 2011

(2011 का 38)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार","सरकारी राजपत्र" और "राज्य" के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन", "राजपत्र" और "संघ राज्यक्षेत्र " रखें।

धारा 1. - (i) उप-धारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर " के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2. - खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 1988" के स्थान पर " जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 रखें।

धारा 4. - खंड (ण) में, "जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 1988", नगर क्षेत्र अधिनियम,1997 और " जम्मू-कश्मीर ग्राम पंचायत अधिनियम, 2000 के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 और "जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989" रखें ।

धारा 7. - दो स्थानों पर, " प्रभारी-मंत्री पुनर्वास विभाग" और "मंत्री" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन" रखें ।

धारा 9. - (i) उपांत शीर्षक में, "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 और धारा 4 और 6" के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उचित प्रतिकर और पारर्शिता के अधिकार की धारा 11 और 19" रखें; और

(ii) उक्त धारा में "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, संवत 1990 और धारा 4 और 6" के स्थान पर क्रमशः "पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 (2013 का 30) और " धारा 11 और धारा

IndiaCode

19" रखें।

धारा 10. - (i) उपांत शीर्षक में, "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 की धारा 15, धारा 23 और धारा 24" के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15, धारा 23 और धारा 24" रखें; और

(ii) "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 की धारा 15, धारा 23 और धारा 24" के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 26, धारा 27 और धारा 28" रखें

धारा 12. - लोप करें।

40. जम्मू-कश्मीर अजैव अवकर्षणीय पदार्थ (प्रचालन और व्ययन) अधिनियम, संवत 2007 (2007 का 12)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन", और "राजपत्र" रखें ।

संपूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका के सिवाय ,'जम्मू-कश्मीर' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' रखें ।

संपूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका सहित, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, 'राज्य' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' रखें।

धारा 1. - उप-धारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2. - (i)खंड (क) के पश्चात, निम्न अंतःस्थापित करें, अर्थात :, -

"(क ख)" "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" अभिप्रेत है ; और

(ii) खंड (ग) का लोप करें।

धारा 6. - उप-धारा (4) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989" के स्थान पर " दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" और "धारा 98" के स्थान पर "धारा 94" रखें।

धारा 9. - उपधारा (1) में, "खंड (iv)" के स्थान पर, "(iv)" जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 में यथा परिभाषित झीलों, नदियों या आर्द्रभूमि या अन्य जल चैनल, जल-मार्ग या जल स्रोत को नुकसान" रखें।

धारा 10. - (i) उप-धारा (1) में, "5000 रु. " के स्थान पर "50,000 रु." रखें ; और(ii) उप-धारा (2) में, "10,000 रुपए तक विस्तार हो सकता है" "10,000 रुपए से अनधिक" रखें।

धारा 12. - "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989 की धारा 260 से धारा 265" के स्थान पर " दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 260, धारा 262 से धारा 265" रखें।

धारा 13. - उप-धारा (3) में, "सरकारी कोष में विप्रेषित" के स्थान पर "प्रशासन द्वारा यथाविहित रीति से विप्रेषित" रखें।

IndiaCode

41. जम्मू-कश्मीर परा-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2014

(2014 का 7)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, “सरकार” और “सरकारी राजपत्र”, के स्थान पर क्रमशः “लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन” और “राजपत्र” को रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, “ राज्य रजिस्टर” के स्थान पर “चिकित्सा रजिस्टर” रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका और धारा 55 के सिवाए, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र " रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका के सिवाए, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "राज्य" के स्थान पर, " लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र " रखें।

धारा 2. - खंड (क) के पश्चात अंतःस्थापित करें अर्थात :-

(कक) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" अभिप्रेत है;

(ii) खंड (ग) का लोप करें;

(iii) खंड (घ) में, –

(क) उपखंड (ii) में, जम्मू-कश्मीर होम्योपैथी प्रैक्टिशनर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 8) की धारा 2 के खंड (घ)” के स्थान पर “होम्योपैथी केंद्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 2 का खंड (घ)” को रखें।

(ख) उपखंड (iii) में, “जम्मू-कश्मीर आयुर्वेदिक और यूनानी प्रैक्टिशनर अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम 26) की धारा 2 के क्रमशः खंड (2) और खंड (3)” के स्थान पर " भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के उपबंध; और

(iv) खंड (थ) का लोप करें।

धारा 4. – उप-धारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित करें-

“(1) परिषद में प्रशासन द्वारा नियुक्त सदस्य सम्मिलित होंगे” अंतःस्थापित करें“।

धारा 5. - खंड (क) का लोप करें।

धारा 31.– उप-धारा (3) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 32. - उप-धारा (4) में,“राज्य रणबीर दंड संहिता” के स्थान पर “भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)” को रखें।

धारा 38. - उप-धारा (3) में, "साक्ष्य अधिनियम, संवत 1977" के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)" रखें।

धारा 42. - दोनों स्थानों पर, "साक्ष्य अधिनियम, संवत 1977", "सार्वजनिक सेवा (पूछताछ) अधिनियम, संवत 1977” और “नागरिक प्रक्रिया संहिता, संवत 1977” के स्थान पर क्रमशः “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872(1872 का 1)”, “लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम, 1850 (1850 का 37)” और “नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)” रखें।

IndiaCode

42. जम्मू-कश्मीर यात्री कराधान अधिनियम, 1963

(1963 का 12)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार", के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" रखें।

धारा 1. - (i) उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

धारा 2. - धारा (जजज) में, "जम्मू-कश्मीर साधारण बिक्री कर अधिनियम, 1962 की धारा 21A के अधीन गठित अपीलीय अधिकरण" के स्थान पर, "अधिकरण या प्राधिकरण लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट" रखें ।

धारा 3. - उप-धारा (1) में, "किसी भी मामले में अधिकतम दो नया पैसे के अध्यधीन, कर की रकम की गणना निकटतम नया पैसे में" का लोप करें।

धारा 9. - उप-धारा (1) में "पच्चीस रुपये की" के स्थान पर "जैसा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित किया जाए" रखें।

धारा 12. - उप-धारा (5) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

धारा 16. - (i) उप-धारा (1) में, दोनों स्थानों पर, "उप बिक्रीकर आयुक्त (प्रशासन)" के स्थान पर, "उपायुक्त" को रखें ; और

(ii) उप-धारा (2) का लोप करें।

धारा 16 ख. - "सीमांकन अधिनियम संवत 1995" के स्थान पर, " परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)" रखें।

धारा 16 ग. – "जम्मू-कश्मीर साधारण बिक्रीकर अधिनियम, 1962 के अधीन उतनी ही शक्तियाँ जो उसके द्वाराप्रयोग की जा रही हैं" के स्थान पर " किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ निम्नलिखित प्रयोजनों के स्थान पर–

(क) शपथ पत्र द्वारा तथ्यों का सबूत;

(ख) किसी व्यक्ति को समन करना, और हाजिर करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना ;

(ग) दस्तावेज पेश करने के स्थान पर बाध्य करना; और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।"

रखें।

धारा 16 घ. - लोप करें।

धारा 17. - उप-खंड (3) का लोप करें।

धारा 19 क. - तीसरे परंतुक में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" को रखें।"

IndiaCode

43. प्लाईबोर्ड उद्योग (शेयर और औद्योगिक उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1987

(1987 का 6)

पूर्णत: निरसन करें।

44. जम्मू-कश्मीर विनिर्दिष्ट वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1969

(1969 का 5)

पूर्णत: निरसन करें।

45. रिबन विकास निवारण अधिनियम, 2007

(2007 का 26)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार", "राज्य" और "जम्मू-कश्मीर राज्य" और "केंद्रीय सरकार" शब्दों से भिन्न के स्थान पर क्रमश: "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" और "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 3. - "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें ।

धारा 6. - " प्रभारी-मंत्री लोक निर्माण विभाग", के स्थान पर "लद्दाख प्रशासन" रखें ।

IndiaCode

46. जम्मू-कश्मीर विनिर्दिष्ट तांबा बर्तन (मशीन द्वारा) विनिर्माण प्रतिषेध अधिनियम, 2006

(2006 का 13)

पूर्णत: निरसन करें।

47. जम्मू-कश्मीर राज्य धूम्रपान प्रतिषेध (सिनेमा और रंगशाला) अधिनियम, संवत 2009

(2009 का 28)

पूर्णत: निरसन करें।

48. जम्मू-कश्मीर राज्य धूम्रपान प्रतिषेध और नॉन-स्मोकेर्स स्वास्थ्य सार्वजनिक सेवा यान में गैर-धूम्रपानकर्ता का स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम,1997

(1997 का 20)

पूर्णत: निरसन करें।

49. जम्मू-कश्मीर गंदी बस्ती निवासियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम,

(2012 का 11)

पूर्णत: निरसन करें।

50. जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर बोर्ड अधिनियम, 2013

(2013 का 11)

पूर्णत: निरसन करें।

51. जम्मू-कश्मीर सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1988

(1988 का 17)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर क्रमश: "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में उद्देशिका, और धारा 34 के सिवाय, "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में उद्देशिका के सिवाय, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 1. - उप-धारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" को रखें।

धारा 2 . - खंड (घ) में, -

(i) उप-खंड 2 (i) में 'कंपनी अधिनियम, 1956' के स्थान पर 'कंपनी अधिनियम, 2013' रखें।

(ii) उप-खंड 2 (i) में 'कंपनी अधिनियम, 1956' के स्थान पर 'कंपनी अधिनियम, 2013' और "राज्य या केंद्रीय " के स्थान पर 'कोई' रखें; और

(iii) उप-खंड 2 (ii) में 'राज्य' का लोप करें।

धारा 11. - "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत 1977" के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) रखें।

धारा 14 . - उप-धारा (1) में " पाँच हज़ार रुपए" के स्थान पर "पचास हज़ार रुपए" रखें।

धारा 15 . - "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 20)" रखें।

धारा 23. - उप-खंड (3) का लोप करें।

IndiaCode

52. जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम,1978

(1978 का 6)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, “सरकार” और “सरकारी राजपत्र” के स्थान पर क्रमश: “लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन” और “शासकीय राजपत्र” रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, प्रस्तावना सहित, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, “राज्य” के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

उद्देशिका "राज्य” के स्थान पर,"लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 1. - (i) उप-धारा (1) में "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर,"लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें; और

(ii) उप-धारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य "के स्थान पर,"लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2 . - उप-धारा (1) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 8. - उप-धारा (3) में, -

(क) खंड (ख) में, उप-खंड (iii) में, "रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें; और

(ख) खंड (ग) में,"वन अधिनियम, संवत् 1987" के स्थान पर "भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16)" रखें।

धारा 10 . - परंतुक का लोप करें।

धारा 12 . - खंड (क) में,"धारा 87, धारा 88 और धारा 89" के स्थान पर "धारा 82, धारा 83, धारा 84 और 85" रखें ।

धारा 14. - (i) उप-खंड (क) में, अंत:स्थापित करें, अर्थात् :, -

"परंतु लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन, यदि उपयुक्त समझें, तो इस अधिनियम के तहत सटे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी प्राधिकरण को सलाहकार बोर्ड के रूप में नियुक्त कर सकता है।" ;

(ii) उप-धारा (3) में, -

(क) "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से" का लोप करें ; और

(ख) परंतुक अंत:स्थापित करें " परंतु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या पीठासीन जिला और सेशन न्यायाधीश को बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा।"

धारा 19. - (क) "साधारण खंड अधिनियम, संवत 1977" के स्थान पर " साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10)” रखें। "

IndiaCode

53. जम्मू-कश्मीर ठेकेदार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1956

(1956 का 16)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर क्रमश: "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में उद्देशिका के अलावा, "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 5 . - (i) उप-धारा (2) में, 'विभाग के प्रभारी मंत्री' के स्थान पर ' लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन' रखें; और

(ii) उप-धारा (3) का लोप करें।

धारा 7 . - '30 रुपए' के स्थान पर '100 रुपए' रखें।

धारा 8 . - 'स्टाम्प अधिनियम, 1977' के स्थान पर 'भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2)' रखें।

54. जम्मू-कश्मीर, पर्यटक व्यापार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1978

(1978 का 9)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, धारा 24 से भिन्न, "सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, "रणबीर दंड संहिता, संवत 1989" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)" रखें।

धारा 1. - (i) उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2 . - (i) खंड (छ) में, स्पष्टीकरण 1, में "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" को रखें।

(ii) खंड (ण) में, दोनों स्थानों पर, "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 27 . - दोनों स्थानों पर, "प्रभारी-मंत्री" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन " रखें ।

धारा 28. - उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 34. - उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 35. - "साक्ष्य अधिनियम, 1977" के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 में से 1)" रखें।

IndiaCode

55. जम्मू-कश्मीर (आवासीय और वाणिज्यिक किराएदारी) अधिनियम, 2012

(2012 का 5)

धारा 1. - (i) उप-धारा (2) में, -

(क) "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

(ख) परंतुक में, "सरकार " और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, क्रमशः " लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन " और " राजपत्र" रखें ; और

(iii) उप-खंड (3) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर " राजपत्र" रखें

धारा 2 . - (i) खंड (ख) में,"जम्मू-कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण अधिनियम, 1988 के अधीन स्थापित विशेष न्यायाधिकरण" के स्थान पर "लद्दाख प्रशासन द्वारा अधिसूचित अधिकरण या प्राधिकारण" रखें;

(ii) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखें–

"(ङ) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन अभिप्रेत है ";

(iii) खंड (ज) में, "नगर निगम या" का लोप करें;

(iv) खंड (झ) और (ट) में "सरकार" के स्थान पर "प्रशासन" को रखें।

(v) खंड (ठ) में,"सरकारी अस्पताल" के स्थान पर, " प्रशासन के स्वामित्व वाले या उसके द्वारा संचालित अस्पताल " रखें ; और

(vi) खंड (य) में,"नगर निगम" का लोप करें।

धारा 3. - (i) खंड (क) में, "राज्य सरकार" और "सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" और " प्रशासन" रखें।

(ii) खंड (ङ) में, "सरकार" के स्थान पर " प्रशासन" रखें; और

(iii) खंड (च) में,"जम्मू-कश्मीर वक्फ अधिनियम, 2001" और "ट्रस्ट अधिनियम, संवत 1977" के स्थान पर, क्रमशः " वक्फ अधिनियम, 1995" और "भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882" रखें।

धारा 14. - उप-धारा (4) में, "सरकार" के स्थान पर " प्रशासन" रखें।

धारा 29. - (i) "सरकार " और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "प्रशासन " और " राजपत्र" रखें ; और

(ii) परंतुक में, खंड (i) का लोप करें।

धारा30. - (i) "संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत् 1977", के स्थान पर "संपत्ति अंतरण अधिनियम,1882" रखें।

(ii) परंतुक में,-

(क) दोनों स्थानों पर, "संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत् 1977", के स्थान पर

IndiaCode

"संपत्ति अंतरण अधिनियम,1882" रखें।

(ख)"अनुबंध अधिनियम, संवत् 1977", के स्थान पर "भारतीय अनुबंध अधिनियम,1872" रखें।

धारा 31.- (i) उप-खंड (1) में "सिविल प्रक्रियासंहिता, संवत् 1977", के स्थान पर"सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (1908 का 5)" रखें।

धारा 32. (i) उप-खंड (1) में "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977", के स्थान पर"सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (1908 का 5)" रखें।

(ii) उप-खंड (2) में "रणबीर दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, संवत, 1989" के स्थान पर क्रमश: "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

(iii) उप-खंड (6) में "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 37. - (i) उपांत शीर्षक में,"राज्य की संचित निधि" का लोप करें; और

(ii) "राज्य की संचित निधि" के स्थान पर "ऐसा प्राधिकार जो प्रशासन द्वारा विहित किया जाए" रखें।

धारा 40. - दोनों स्थानों पर, "सरकार" के स्थान पर "प्रशासन" रखें।

धारा 41. - "सरकार" के स्थान पर "प्रशासन" रखें।

IndiaCode

56. जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1960

(1960 का 19)

पूर्णत: निरसन करें।

57. जम्मू-कश्मीर विधानमंडल नेता प्रतिपक्ष के वेतन एवं भत्ते अधिनियम, 1985

(1985 का 16)

पूर्णत: निरसन करें।

58. जम्मू-कश्मीर आत्म निर्भर सहकारी अधिनियम, 1999

(1999 का 10)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र" और "सरकार" के स्थान पर क्रमश: "राजपत्र'' और "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 1. - (i) उप-खंड (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2 . - (i) खंड (23) में, "जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 6 में परिभाषित राज्य के स्थायी निवासी" के स्थान पर "कोई व्यक्ति" रखें।

(ii) खंड (27) में, "राज्य के स्थायी निवासी" के स्थान पर "कोई व्यक्ति" रखें; और

(iii) खंड 30 में, "जिसके सदस्य राज्य के स्थायी निवासी हैं" का लोप करें।

धारा 3. - उप-धारा (1) में, "राज्य के स्थायी निवासी सम्मिलित होंगे" का लोप करें; और

धारा 16. - (i)खंड (क) में,-

(क) उप-खंड (i) में,"जम्मू-कश्मीर संविदा अधिनियम, संवत् 1977", के स्थान पर " भारतीय संविदा अधिनियम,1872 (1872 का 9)" रखें; और

(ख) उप-खंड (ii) का लोप करें।

(ii) खंड (ग) में,"जम्मू-कश्मीर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत 1998" के स्थान पर "सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21)" रखें।

धारा 59. - "जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत 1977" के स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)" रखें।

59. जम्मू-कश्मीर एकल खिड़की (औद्योगिक निवेश और कारबार सरलीकरण)

अधिनियम, 2018

(2018 का 10)

संपूर्ण अधिनियम में, धारा 2 के उपखंड (14) और उपखंड (17) या अन्यथा उपबंधित के सिवाय "सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकारी राजपत्र", "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर क्रमश: "राजपत्र", "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र", "संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

उद्देशिका-	"जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 2 . -	(i) खंड (1) के पश्चात, खंड (1क) अंतःस्थापित करें अर्थात, -
	"(कख) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" अभिप्रेत है।
	(ii) खंड (16) का लोप करें।
	(iii) खंड (23) का लोप करें; और
	(iv) खंड (25) के पश्चात, अंतःस्थापित करें, अर्थात , -
	"(25क) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" अभिप्रेत है।
धारा 3. -	(i)उप-खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -
	"1 प्रशासन, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक जिला स्तरीय एकल खिड़की निकासी समिति का गठन कर सकेगा;"
धारा 4. -	उप-धारा (1) में, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -
	"1 प्रशासन, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक मंडल स्तरीय एकल खिड़की निकासी समिति का गठन कर सकेगा।"
धारा 5.-	उप-धारा (1) में,- "मुख्य सचिव", "अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" और "निदेशक, उद्योग और वाणिज्य, संबंधित सदस्य" के स्थान पर क्रमश: "सलाहकार" और "अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण समिति" और "निदेशक, उद्योग और वाणिज्य, सदस्य-सचिव" रखें और "9" प्रबंध निदेशक, जम्मू-कश्मीर, सिडको सदस्य-सचिव" का लोप करें
धारा 6. -	"कश्मीर/जम्मू" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 8. -	उप-धारा (2) में, "राज्य अधिनियमों" के स्थान पर "राज्य अधिनियमों, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" में लागू करने के स्थान पर अनुकूलित" रखें।
धारा 9. -	"राज्य सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 26. -	(i) उप-खंड (3) का लोप करें; और
	(ii) उप-धारा (4) में, "राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए" के स्थान पर "नियमों में" रखें।
धारा 27. -	उप-खंड (2) का लोप करें

IndiaCode

60. जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद अधिनियम, 2018

(2018 का 5)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र" और "राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" के स्थान पर "शासकीय राजपत्र" और "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र सड़क सुरक्षा परिषद" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, धारा 4 के उप-खंड (2) के खंड (iii) के सिवाय, "सरकार" के स्थान पर "प्रशासन" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, धारा 37 के सिवाय ,"जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2 . - उप-खंड (2) में, -

(क) खंड (i) के स्थान पर रखें।

(i) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" अभिप्रेत है; और

(ख) खंड (ट) में, "यथास्थिति, जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 या" का लोप करें।

धारा 3. - उप-खंड (1) में,"अध्यक्ष जो परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री, उपाध्यक्ष के रूप में राज्य के मुख्य सचिव और ऐसे अन्य सदस्य होंगे" के स्थान पर "ऐसे सदस्यों" रखें।

धारा 4. - उप-खंड (3) के खंड (ii) में, "राज्य सरकार" के स्थान पर "प्रशासन" रखें।

धारा 10. - उप-खंड (1) में," जम्मू-कश्मीर रोड सेफ्टी निधि" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र सड़क सुरक्षा निधि" रखें।

धारा 22. - उप-खंड (2) का लोप करें।

धारा 23. - (i) उप-खंड (3) में, "सरकार राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी" का लोप करें।

धारा 29. - (ii) "रणबीर दंड संहिता, संवत 1989" शब्दों के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें।

धारा 34. - (i) उप-खंड (3) का लोप करें।

61. सफायर अधिनियम, संवत 1989

(1989 का 16)

पूर्णत: निरसन करें।

62. जम्मू-कश्मीर राज्य भेड़ और भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड अधिनियम, 1979

(1979 का 9)

पूर्णत: निरसन करें।

63. जम्मू-कश्मीर विशेष अधिकरण अधिनियम, 1988

(1988 का 12)

पूर्णत: निरसन करें।

64. जम्मू-कश्मीर राज्य नगर योजना अधिनियम,1963

(1963 का 20)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार", "सरकारी राजपत्र", "राज्य" और "मंत्री" के स्थान पर क्रमश: "प्रशासन", "राजपत्र", "संघ राज्य क्षेत्र" और "उप राज्यपाल के सलाहकार" रखें।

धारा 2 . - खंड (ख) के स्थान पर रखें, अर्थात :, -

"(ख) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" अभिप्रेत है।

धारा 3. - उप-खंड (ण) में, "जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, संवत, 2008" या " जम्मू एवं कश्मीर नगर क्षेत्र अधिनियम, 2011" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000" रखें।

धारा 18. - उप-खंड (6) में, "जम्मू-कश्मीर मध्यस्थता अधिनियम, संवत, 2002" के स्थान पर "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26)" रखें।

धारा 26. - "राज्य भूमि अर्जन अधिनियम, संवत 1990" के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) रखें ।

धारा 27. - (i) उपांत शीर्षक में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1990 की धारा 4 और धारा 6" के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 और धारा19" रखें।

(ii) "राज्य भूमि अर्जन अधिनियम, संवत 1990 की धारा 4 और धारा 6" जहां-जहां दोनों स्थानों पर वह आता है, के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 और धारा 19", रखें।

धारा 28 . - (i) उपांत शीर्षक में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1990 की धारा 15, धारा 23 और धारा 24" के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 26, धारा 27 और धारा 28" रखें; और

IndiaCode

(ii) उप-धारा (1) में,"राज्य भूमि अर्जन अधिनियम, संवत 1990 की धारा 15, धारा 23 और धारा 24" के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 26, धारा 27 और धारा 28" रखें।

65. जम्मू-कश्मीर ट्रेज़र ट्रोव अधिनियम,संवत 1954

(1897 का परिषद संकल्प संख्या 37)

पूर्णत: निरसन करें।

66. जम्मू-कश्मीर शहरी संपत्ति (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1971

(1971 का 12)

पूर्णत: निरसन करें।

IndiaCode

67. जम्मू-कश्मीर विलो (निर्यात और संचलन प्रतिषेध) अधिनियम, 2000

(2000 का 16)

पूर्णत: निरसन करें।

68. जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2002

(2002 का 21)

सम्पूर्ण अधिनियम में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, "सरकार" और "राजपत्र" के स्थान पर क्रमशः, "प्रशासन" और "राजपत्र" रखें,

सर्वत्र अधिनियम में प्रस्तावना के सिवाय या जैसा अन्यथा उपबंधित है, "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र", रखें,

धारा 1.- उप-धारा (2) में, "संपूण जम्मू-कश्मीर राज्य'' के स्थान पर "संपूर्ण लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखा जाए।

धारा 2. - (i) खंड (क) के पश्चात, निम्नलिखित अंत: स्थापित करें -

"(कक)" प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन";

(ii) खंड (ग) का लोप करें;

(iii) खंड (ड.) में, "जिला शिक्षा अधिकारी" के स्थान पर "मुख्य शिक्षा अधिकारी" शब्द रखें;

(iv) खंड (ज) का लोप करें; और

(v) खंड (ण) के स्थान पर, "(ण)" "संघ राज्यक्षेत्र'' से "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" अभिप्रेत है।

धारा 6,7,8,9 और 10. – का लोप करें।

धारा 20 के पश्चात नई धारा का अंत:स्थापन करें. –

20क. प्राइवेट विद्यालय की फीस निर्धारण और विनियमन समिति का गठन।

(1) प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्र के प्राइवेट विद्यालयों में फीस को विनियमित करने और निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए "प्राइवेट विद्यालयों की फीस निर्धारण और विनियमन समिति'' के रूप में जानी जाने वाली समिति का गठन करेगा।

(2) समिति का एक अध्यक्ष होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या प्रशासन का कोई अधिकारी रहा हो जो संघ राज्य क्षेत्र के सचिव या उससे ऊपर के रैंक से नीचे का न हो।

(3) समिति के सदस्य ऐसे होंगे जो संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन द्वारा विहित किया जाये।

(4) अध्यक्ष, प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति या किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय संगम के किसी प्रतिनिधि को विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कर सकेगा, किंतु समिति के सदस्यों की कुल संख्या पांच से अधिक नहीं होगी।

20ख. अध्यक्ष की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें-

प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और नियमन के लिए समिति के अध्यक्ष की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तों का निर्धारण इस प्रकार होगा, जैसा कि प्रशासन द्वारा विहित किया जाये।

20ग. समिति की शक्तियाँ और कृत्य.-

(1) इस अधिनियम के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और नियमन संबंधी समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कृत्य करेगी जो प्रशासन द्वारा विहित किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राइवेट विद्यालय, शिक्षा के व्यावसायीकरण और अनुचित मुनाफाखोरी में लिप्त नहीं हैं।

(2) प्रशासन अधिसूचना द्वारा, प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और विनियमन संबंधी समिति में निहित शक्तियों में से कोई भी, उस विस्तार तक जो विहित किया जाये, उक्त समिति के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(3) प्राइवेट विद्यालयों की फीस निर्धारण और विनियमन संबंधी समिति द्वारा पारित आदेशों को लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से पारित किया गया माना जाएगा और इसके उल्लंघन या गैर-अनुपालन पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 के उपबंधों के अधीन अवज्ञा की कोटि में आयेगा।

20घ. फीस का अवधारण.-

(1) प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और नियमन संबंधी समिति अगस्त, 2014 के पश्चात स्थापित किए गए प्राइवेट विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस का अवधारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ, स्थान, उपलब्ध

अवसंरचना, प्रशासन पर व्यय, प्राइवेट विद्यालय द्वारा प्रशासन या किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी या किसी अन्य कारक जो विहित किया जाए, से किसी भी रूप में प्राप्त साहाय्य, सहायता, या संभाल को ध्यान में रखेगा।

(2) प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और नियमन की समिति समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों के अधीन लिए जाने वाले प्रभारों की अधिकतम सीमा नियत करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकेगी।

20ङ. प्राइवेट विद्यालयों द्वारा प्रभारित फीस -

(1) प्राइवेट विद्यालय छात्रों या अभिभावकों से सिवाय अध्यापन फीस, वार्षिक फीस, परिवहन फीस और पिकनिक, दौरे और सैर आदि विशेष प्रयोजन फीस जो पूरी तरह से स्वैच्छिक प्रकृति के होंगे या किसी अन्य फीस जैसा कि विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और विनियमन संबंधी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए, के सिवाय कोई अन्य फीस नहीं लेंगे।

परंतु प्राइवेट विद्यालय किसी भी रीति से ऊपर उल्लिखित फीस से भिन्न प्रवेश फीस या कोई अन्य रकम नहीं लेंगे, चाहे उसे किसी भी नाम से क्यों न जाना जाता हो।

20च. रिकॉर्ड मंगवाने की शक्ति - यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राइवेट विद्यालय ने उसके निर्देशों का उल्लंघन किया है या पालन नहीं किया है तो प्राइवेट विद्यालयों की फीस निर्धारण और विनियमन समिति किसी भी स्तर पर जांच के लिए किसी भी विद्यालय के रिकॉर्ड को मंगवा सकती है।

20छ. समिति के कर्मचारीवृंद -

(1) प्राइवेट विद्यालयों की फीस के निर्धारण और विनियमन संबंधी समिति को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के प्रयोजन से समिति के अध्यक्ष के परामर्श से प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकारी और कर्मचारी प्रदान किए जाएंगे।

(2) प्राइवेट विद्यालयों की फीस निर्धारण और विनियमन समिति के सभी स्थापना फीस प्रशासन द्वारा वहन किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

(4) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी और कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए समिति के अनन्य प्रशासनिक नियंत्रण और निर्देश के अधीन होंगे।

20ज. उप-समितियाँ - प्रशासन ऐसी शक्तियों और कृत्यों के साथ संघ राज्यक्षेत्र स्तर या जिलों के स्तर पर ऐसी अन्य उप-समितियों का गठन कर सकेगा, जो प्राइवेट विद्यालयों में फीस को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए ठीक समझें।

20झ. विनियम बनाने की शक्ति- प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और विनियमन संबंधी समिति, अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगी, जैसा कि उक्त समिति के प्रयोजन को निष्पदित करने के लिए आवश्यक हो।

20-ञ. दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ- प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और विनियमन संबंधी समिति की इस अधिनियम के अधीन किसी भी जाँच को शुरू करने या कोई कार्यवाही शुरू करने के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं।

धारा 22. – लोप कर दें।

धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित रखें.-

25. अधिकारिता का वर्जन -

IndiaCode

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय कोई व्यादेश नहीं देगा या इस अधिनियम के अधीन की जा रही या की जाने वाली किसी भी कार्यवाही को अवरुद्ध करने वाला अंतरिम आदेश नहीं देगा।

(2) प्राइवेटों विद्यालयों के फीस निर्धारण और विनियमन समिति के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या प्रशासन या उक्त समिति के निर्देशन में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों के अनुसरण में सद्भाव में किया या करने का आशय था, उसके विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा 27 के स्थान पर रखें.-

27. शास्ति. -

(1) प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और नियमन संबंधी समिति द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के सिवाय, जो कोई भी इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह विद्यालय शिक्षा निदेशक द्वारा प्रथम अपराध के लिए पंद्रह हजार और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए 50 हजार रुपए से अन्यून जुर्माने के लिए दायी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति या प्राइवेट विद्यालय जो प्राइवेट विद्यालयों की फीस निर्धारण और विनियमन के लिए समिति के निर्देशों का उल्लंघन करता है, वह प्रथम अपराध के लिए पचास हजार रुपये और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए एक लाख रुपये से अन्यून जुर्माना के लिए दायी होगा तथा उक्त समिति ऐसे प्राइवेट विद्यालयों को असम्बद्ध करने के लिए भी सिफारिश कर सकती है।"

धारा 28 के स्थान पर रखें.-

28. पुनरीक्षण और अपील.-

(1) धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित किये जाएं, आदेश की तारीख के तीस दिनों की अवधि के भीतर निदेशक, स्कूल शिक्षा के समक्ष पुनरीक्षण याचिका फाइल कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति या प्राइवेट विद्यालय, जो कि प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और विनियमन के लिए समिति द्वारा धारा 27 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किए गए किसी भी आदेश से पीड़ित है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध, आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा। "

धारा 29.- उप-धारा (2) में, खंड (छ) का लोप कर दें।

69. जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनिमय, 1975

(1975 का 28)

सम्पूर्ण अधिनियम में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय "सरकार" और "राजपत्र" के स्थान पर,, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" शब्द रखें जायेंगे।

सम्पूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका को और अधिनियम की धारा 44 में या अन्यथा उपबंधित के सिवाय "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर क्रमश: " लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें ।

उद्देशिका .- "राज्य" तथा "जम्मू-कश्मीर राज्य में" के स्थान पर क्रमश: "संघ राज्य क्षेत्र" और "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में" शब्द रखें ;

धारा 1. - उप-धारा (2) में, "सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "सम्पूर्ण लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित करें।

धारा 2. - (i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखें:-

"(क)" व्याकरणिक रूपांतरों के साथ "संबद्ध'' और किसी संस्था के संदर्भ में प्रयुक्त सजातीय पदों का अर्थ बोर्ड के विशेषाधिकारों के लिए प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बोर्ड से संबद्ध या सम्बद्ध माना जाना है;''

(कक) "बोर्ड" से खंड 3 के अधीन स्थापित स्कूल शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;"

(ii) खंड (ग) के स्थान पर रखें.-

"(ग)" प्राथमिक शिक्षा "से सक्षम शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा विहित अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुसार ग्रेड-। से ग्रेड-8 के तत्स्थानी स्कूल में प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा अभिप्रेत है;"

(iii) खंड (घ) के पश्चात् अंत:स्थापित करें-

"(घक)" संस्था के प्रमुख "से, किसी संबद्ध संस्था के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य या कोई अन्य प्रधानाचार्य या शैक्षणिक अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे किसी भी पदनाम से जाना जाए;"

(iv) खंड (ज) के स्थान पर रखें.-

"(ज)" संस्थानों के संदर्भ में प्रयुक्त "इसकी व्याकरणिक भिन्नताओं और सजातीय पदों के साथ, मान्यताप्राप्त'' से

पूर्व प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक या शिक्षक प्रशिक्षण स्तर पर छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन द्वारा मान्यताप्राप्त स्कूल या संस्था अभिप्रेत हैं;"; तथा

(v) खंड (ड) के स्थान पर रखें-

"(ड)" "प्रशिक्षण संस्थान'' से अभिप्रेत है, एक ऐसा प्रशिक्षण संस्थान जो निजी तौर पर या लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा चलाया जाता है और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त है और ऐसे बोर्ड से संबद्ध है जो प्रशासन द्वारा विहित किया जाए" ।

खंड 3. - (i) उप-धारा (1) में, "प्रारंभिक शिक्षा" के स्थान पर "पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा" रखें;

(ii) उपधारा (1) में, अंत: स्थापित करें -

"परंतु प्रशासन, बोर्ड का कार्य सौंप सकता है या किसी अन्य राज्य या किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या किसी अन्य निकाय के ऐसे बोर्ड को संबद्ध कर सकता है जो इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाए।" और

(iii) उप-धारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य बोर्ड" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का बोर्ड" शब्द रखें।

धारा 4. - धारा 4 के स्थान पर रखें -

"4. बोर्ड की संरचना - बोर्ड में ऐसे सदस्य शामिल होंगे जिन्हें प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जाए"।

धारा 9. - (i) पार्श्व शीर्षक में, "और उसके दो प्रभाग" का लोप करें;

(ii) "श्रीनगर और जम्मू में ऐसी अवधि के लिए जो अध्यक्ष समय-समय पर अवधारित करें" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा विहित किया जाए" शब्द रखें, और

(iii) परंतुक को लोप करें।

धारा 10. - (i) खंड (i) में "प्रारंभिक" के स्थान पर "पूर्व-प्राथमिक और प्रारंभिक"; शब्द रखें; और

(ii) "परीक्षाओं" के पश्चात् "और प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" शब्द अंत:स्थापित करें;

(iii) खंड (ii) में, "पाठ्यक्रम" के पश्चात्, "और शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा पाठ्यक्रम" शब्द अंत: स्थापित करें;

(iv) खंड (iii) में, "बोर्ड" के पश्चात्, "इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से" अंत:स्थापित करें;

(v) खंड (v) में, "हायर सेकंडरी कोर्सेस" के पश्चात्, "और शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि" शब्द अंत:स्थापित करें;

(vi) खंड (xiii) में, "जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय" के स्थान पर "लद्दाख विश्वविद्यालय" रखें;

(vii) खंड (xv) के स्थान पर रखें;

"(xv) बोर्ड के साथ संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले स्कूल की कार्यशैली तथा उसमें उपलब्ध सुविधाओं के बारे में" स्कूल शिक्षा के संबंधित निदेशक से रिपोर्ट मंगवाने हेतु;

(viii) खंड (xvi) में, "संबंधित" के पश्चात् "पूर्व-प्राथमिक" और "शिक्षा" के पश्चात "शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" शब्द अंत: स्थापित करें;

(ix) खंड (xviii) के स्थान पर रखें -

"(xviii) अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को लागू करने के लिए विनियम तैयार करना।"

(x) खंड (xxvii) के स्थान पर रखें;

"(xxvii) (क) प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा सहित विभिन्न चरणों में अध्ययन के विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न पाठ्य समिति□ का गठन करने या नियुक्त करने के लिए;

(ख) संबंधित पाठ्यक्रम समिति द्वारा तैयार या विकसित और अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों की छपाई और प्रकाशन का कार्य करना; और

(xi) खंड (xxviii) के स्थान पर रखें-

"(xxviii) अधिनियम के उद्देशयों को पूरा करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (COBSE), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) सहित विभिन्न संबद्ध संगठनों के साथ संपर्क करना।"

धारा 11. - उपधारा (3) का लोप करें;

धारा 13. - उपधारा (4) के स्थान पर रखें;

IndiaCode

"(4) यदि अध्यक्ष की राय में कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, तो वह इस तरह की कार्रवाई करेगा जो वह उचित समझे और उसके पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक में या अगली बैठक में बोर्ड को अपनी की गई कार्रवाई की रिपोर्ट करेगा।

परन्तु अध्यक्ष अतिशीघ्र अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट उसके कारण सहित कार्यालय प्राधिकारी या बोर्ड या बोर्ड के अन्य निकाय, जैसी भी दशा हो, को कर सकता है, जो साधारण स्थिति में मामले को देखता है।

परंतु यह और कि इन शक्तियों के अधीन किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जाएगी:

परंतु यह और भी कि इन शक्तियों के अधीन किसी भी प्रकार की कोई प्रोन्नति नहीं की जाएगी। "

धारा 16 और 17. लोप करें-

धारा 17 के पश्चात्, नई धारा का अंत:स्थापन - 17क. शैक्षणिक निदेशक: - ज्येष्ठ और सक्षम विद्वानों या शिक्षाविदों को जिन्हें पाठ्यक्रम बनाने, शिक्षण-अधिगम पद्धति, संज्ञानात्मक अधिगम में सजातीय प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों और ऐसे सभी संबंधित मामलों पर गहरी समझ हो, में से शैक्षणिक निदेशक को लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

"17ख. शैक्षणिक निदेशक की शक्तियां और कृत्य : बोर्ड के नियंत्रण और विनियमों के अध्यधीन रहते हुए शैक्षणिक निदेशक, बोर्ड के ऐसे प्रभागों के प्रमुख होंगे जो बोर्ड के विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विनियमों में उपबंधित किए जाएं और इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(क) शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना;

(ख) विभिन्न शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना;

(ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और शारीरिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना;

(घ) संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा, प्रचार और गुणवत्ता शिक्षा के विकास के विभिन्न चरणों के लिए सामग्री या पुस्तकें तैयार करना;

(ड.) परीक्षाओं की स्कीम का पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण या तैयार करना;

(च) मूल्यांकन के नए तरीकों में अभिविन्यास पाठ्यक्रम संचालित करना;

(छ) नई स्कीमों या नए पाठ्यक्रम को पढ़ाने के संबंध में शिक्षकों के रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का संचालन करना। "

धारा 22 के बाद, पश्चात् नई धारा का अंत:स्थापन- "22क. वित्तीय सलाहकार- (1) प्रशासनिक सचिव, वित्त विभाग, या लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित कोई भी अधिकारी बोर्ड का पदेन वित्तीय सलाहकार होगा।

(2) वित्तीय सलाहकार बोर्ड और उसकी वित्त समिति का पदेन सदस्य होगा।

(3) वित्तीय सलाहकार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए क़ानून और नियमों द्वारा विहित किए जाएं।

धारा 33.- उप-धारा (2) के खंड (घ) में दोनों स्थान पर "मान्यता" के स्थान पर "संबद्धता" शब्द रखें।

धारा 34. - लोप करें।

धारा 35. - धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित रखें;

"35. विनियमों और उसके परिवर्तनों की प्रतियां- बोर्ड द्वारा धारा 33 के अधीन बनाए गए प्रत्येक विनियमन और उसमें प्रत्येक उपांतर या पुनरीक्षण की एक प्रति जानकारी के लिए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को प्रस्तुत की जाएगी।"

धारा 36. - "हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूली शिक्षा" के स्थान पर "हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक स्कूल और प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा" रखें।

धारा 37 के स्थान पर रखें-

"37. बोर्ड के विशेषाधिकारों के लिए संस्थानों का प्रवेश- (1) राज्य या राज्य के बाहर स्थित कोई भी संस्था, बोर्ड के विशेषाधिकारों के लिए बोर्ड में आवेदन कर सकती है और बोर्ड ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किया जाए, बोर्ड के विशेषाधिकारों के लिए ऐसी संस्था के आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

(2) जहां बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि किसी भी संबद्ध संस्थान द्वारा अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है, या ऐसे संस्थानों द्वारा विहित शर्तों या प्रतिबंधों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो बोर्ड संस्थानों से अपने विशेषाधिकार वापस ले सकता है, और उसके पश्चात संस्थान एक संबद्ध संस्थान नहीं रहेगा:

परंतु विशेषाधिकार वापस लेने से पहले, बोर्ड द्वारा संस्थान को यह दिखाने की आवश्यकता होगी कि इस तरह की कार्रवाई उसके विरूद्ध क्यों नहीं की जानी चाहिए और बोर्ड संस्थान द्वारा प्रस्तुत किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार कर सकता है। "

धारा 38.- लोप करें।

धारा 40 के स्थान पर रखें।

बोर्ड की बैठकें- (1) बोर्ड एक वर्ष में कम से कम चार बार अपनी बैठकें आयोजित करेगा किंतु उसकी अंतिम बैठक और अगली बैठक के बीच तीन महीने का अंतर नहीं होगा।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा।

(3) बोर्ड की बैठक में सभी मामले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा तय किए जाएंगे:

परंतु मतों की समानता के मामले में, अध्यक्ष, एक सदस्य के रूप में अपने मत के अतिरिक्त मत दे सकता है।

(4) कुल सदस्यों का दो-तिहाई बोर्ड की बैठक में एक कोरम बनाएगा:

परंतु यदि कोरम न होने पर बैठक स्थगित की जाती है, तो उसी कार्य के लिए अगली बैठक में कोरम आवश्यक नहीं होगा।

(5) बैठक आयोजित होते ही बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति सचिव द्वारा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेज दी जाएगी।

(6) बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्रवाई, या कार्यवाही, सदस्यों के बीच किसी रिक्ति के विद्यमान रहने के आधार पर या उसके गठन में दोष या प्रक्रिया में अनियमितता के कारण मामले के गुणावगुण को प्रभावित न करने वाली किसी भी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

धारा 43 के स्थान पर रखें-

"43. विधिक कार्यवाहियां : - बोर्ड, या उसके किसी भी सदस्य, या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों, या बोर्ड के निदेशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या बोर्ड के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमन के अनुसरण में किए गए या किए जाने वाले किसी किसी कार्य के लिए या नोटिस के पश्चात् दो मास की अवधि की समाप्ति तक, और किसी अन्य मामले में, उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध वाद दायर किया जाना है, के कार्यालय या निवास स्थान पर नोटिस दिए जाने के दो मास की समाप्ति तक और जब तक कि इस तरह की सूचना में स्पष्ट रूप से कार्रवाई का कारण, मांगी गई अनुतोष की प्रकृति, दावा की गई प्रति कर की रकम का और इच्छुक वादी के नाम और निवास का स्थान का उल्लेख नहीं है और जब तक वादी यह नहीं कह देता, कि नोटिस को इस प्रकार दिया गया या परिदान कर दिया गया है" तब तक उसके खिलाफ वाद नहीं संस्थित किया जाएगा।

धारा 43 के पश्चात्, नई धारा का अंत:स्थापन-

"43क. कॉपी राइट- (1) बोर्ड द्वारा विकसित, मुद्रित और प्रकाशित सभी सामग्रियों की कॉपी राइट बोर्ड में ही निहित होगी।

(2) बोर्ड, स्कूल शिक्षा से संबंधित सामग्री किसी भी एजेंसी से विकसित, प्रकाशित या मुद्रित करवा सकता है, जिसे वह लोक हित में उचित समझें "

"43ख. वसूली की संक्षिप्त शक्तियाँ: - स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किसी भी व्यक्ति से पुस्तकों का क्रय, विक्रय, परिवहन, मुद्रण, भंडारण या पारगमन और पुस्तकों और मुद्रण सामग्री में कमी के कारण या बोर्ड के पदधारियों द्वारा अन्य रकमों का पुर्विनियोग किया गया है, जिससे राशि वसूल की जानी है तो ऐसे व्यक्ति से ऐसे धन की वसूली की जाएगी और वसूली की प्रक्रिया भूमि राजस्व अधिनियम, 1996 की धारा 90 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। "

70. जम्मू-कश्मीर गोजातीय प्रजनन (उत्पादन का विनियमन गोजातीय वीर्य का विक्रय और कृत्रिम गर्भाधान सेवा) अधिनियम, 2018

(2018 का एलआई)

सम्पूर्ण अधिनियम में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय "राज्य", "जम्मू-कश्मीर" और "राजपत्र", के स्थान पर "संघ राज्य क्षेत्र", "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "राजपत्र" रखें,

सम्पूर्ण अधिनिमय में, धारा 21 की उप-धारा (1) या अन्यथा उपबंधित के सिवाय "सरकार" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन", शब्द रखें;

धारा 2. - (i) खंड (क) के पश्चात् अंत:स्थापित करें-

"(कक) "प्रशासन " से "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन" अभिप्रेत है;

(ii) खंड (ञ) में, "कश्मीर और पशुधन विकास बोर्ड जम्मू" का लोप करें

(iii) खंड (ण) का लोप करें; और

(iv) खंड (त) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र'' शब्द रखें।

धारा 5. - धारा 5 में, "अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी / प्रशासनिक सचिव, पशु भेड़पालन और मत्स्य विभाग के कार्यालय में" के स्थान पर " प्रशासन द्वारा यथाअधिसूचित" शब्द रखें।

धारा 9. - उप-धारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 17. - (i) उप-धारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर विशेष अधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 19) के अधीन स्थापित अधिकरण" के स्थान पर "प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे प्राधिकरण"; और

(ii) उप-धारा (2) में "अधिकरण" के स्थान पर "ऐसे प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित करें।

धारा 18. - उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989 (1933 A.D)" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 29. - "रणबीर दंड संहिता, संवत 1989" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)" रखें।

धारा 32. - उपधारा (3) का लोप कर दें।

धारा 34. - "जम्मू / कश्मीर" विकल्प के स्थान पर "लद्दाख" शब्द रखें।

IndiaCode

71. जम्मू-कश्मीर आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 2002

(2002 का 12)

सम्पूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका या अन्यथा उपबंधित के सिवाय, "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें;

सम्पूर्ण अधिनियम में, धारा 6 की उपधारा (4) के खंड (ix) के सिवाय या अन्यथा उपबंधित, "सरकार" के स्थान पर "प्रशासन" शब्द रखें,

सम्पूर्ण अधिनियम में राज्य रणबीर दंड संहिता संहिता संवत् 1989 के स्थान पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) रखें।

धारा 1. - उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 2. - (i) खंड (क) के पश्चात् अंत:स्थापित -

"(कक)" प्रशासन" से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन" अभिप्रेत है;

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, खंड (गग) अंत:स्थापित करें, अर्थात् -

"(गग)" कलेक्टर "का अर्थ है कलेक्टर, जो भूमि राजस्व अधिनियम, संवत 1996 के अधीन परिभाषित है";

(iii) खंड (घ) का लोप करें;

(iv) खंड (च) के स्थान पर अंत:स्थापित करें, -

"(च)"निरीक्षक" का अर्थ है एक अधिकारी, एक समिति या एक एजेंसी जो इस अधिनियम के अधीन प्रशासन द्वारा इस प्रकार नियुक्त की गई है";

(v) खंड (ट) के उपखंड (iv) में "कंपनी अधिनियम, 1956" के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) रखें; और

(ii) उप-खंड (v) में "भारतीय रेलवे अधिनियम, 1980" के स्थान पर "रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24)" रखें;

धारा 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखें;

"3. रियायतों के लिए घोषणा - आवश्यक प्रारंभिक जांच के लिए एक प्रस्तावित आकाशी रज्जुमार्ग के संबंध में प्रशासन के अलावा एक इच्छुक प्रमोटर द्वारा प्रत्येक घोषणा संभागीय आयुक्त को एक आवेदन के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।

4. घोषणा की विषयवस्तु – ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ सम्यक् रूप से शपथ पत्र लगाया जाएगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) वचनबंध का विवरण और प्रस्तावित आकाशी रज्जुमार्ग द्वारा अनुसरित मार्ग;

(ii) निर्माण और प्रबंधन की प्रणाली का विवरण और आकाशी रज्जुमार्ग से समुदाय को अपेक्षित लाभ;

(iii) इसके निर्माण की लागत का अनुमानित अनुमान; तथा

(iv) इस तरह के नक्शे, योजना, खंड, चित्र और अन्य जानकारी जिसकी लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। "

धारा 18 के स्थान पर रखें :-

"18. संप्रवर्तक दर नियत कर सकेंगे.- संप्रवर्तक को आकाशी रज्जुमार्ग, पर काम करने के प्रयोजनों के लिए, आकाशी रज्जुमार्ग पर यात्रियों, जानवरों या सामानों की गाड़ी के लिए दरें नियत करने की शक्तियां प्राप्त होगी :

परंतु ऐसी दरें इस तरह की अधिकतम और न्यूनतम दरों के अध्यधीन होंगी, जिन्हें प्रशासन या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रियायत, गारंटी, या वित्तीय सहायता के मामले में विहित या आदेशित किया जा सकेगा।

धारा 30. - "राज्य भूमि अर्जन अधिनियम, संवत 1990" के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वास अधिनियम में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार, 2013 (30 का 2013)" रखें।

धारा 32. - उप-धारा (4) का लोप करें।

धारा 34. - "एक हजार रुपये" के स्थान पर "पाँच हजार रुपये" शब्द रखें।

72. जम्मू-कश्मीर वन (संरक्षण) बल अधिनियम, 2001

(2001 का 6)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

73. रम रसम निवारण अधिनियम,1977

(1997 का 1)

सम्पूर्ण अधिनियम में "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर , "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

खंड 4. - "पाँच सौ रुपये" के स्थान पर "पाँच हज़ार रुपये" शब्द रखें।

74. प्रोबेट और प्रशासन अधिनियम, संवत 1977 (1920 ए.डी.)

(1977 का 29)

सम्पूर्ण अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय "सरकार" और "राजपत्र", "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर क्रमशः "प्रशासन" और "राजपत्र", "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें ।

सम्पूर्ण अधिनियम में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें,

सम्पूर्ण अधिनियम में, "रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) रखें,

धारा 1. - उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" रखें,

धारा 3. - (i) "प्रांत- प्रांत का अर्थ है जम्मू का प्रांत या कश्मीर का प्रांत" शब्द के स्थान पर "प्रांत- प्रांत का अर्थ है लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र"; और

(ii) "खदान" की परिभाषा में "वयस्कता अधिनियम, 1977," के स्थान पर " वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9)" रखें।

धारा 59. - "सम्पूर्ण राज्य'' के स्थान पर "सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र'' शब्द रखें।

धारा 60. - उप-धारा (2) में, उदाहरण में "सम्पूर्ण राज्य" के स्थान पर "सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें ।

75. जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018

(2019 का 2)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

IndiaCode

76. श्रीनगर और जम्मू क्लस्टर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

(2016 का 3)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

77. जम्मू–कश्मीर प्रवासी स्थावर समपत्ति (परिरक्षण, संरक्षण और करस्थतम् विक्रय पर अवरोध अधिनियम, 1997

(1997 का 16)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

78. जम्मू-कश्मीर प्रवासी (कार्यवाहियों पर रोक) अधिनियम,1997

(1997 का 17)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

79. जम्मू-कश्मीर बाढ़ प्रवण क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2005

(2005 का 17)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

80. जम्मू-कश्मीर बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002

(2002 का 16)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

81. जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969

(1969 का 24)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

82. जम्मू-कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999

(1999 का 12)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

IndiaCode

83. जम्मू-कश्मीर अभिध्वंस क्रियाकलापों का निवारण और दमन अधिनियम, 1965

(1965 का 22)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

84. जम्मू-कश्मीर सिविल न्यायालय अधिनियम, संवत 1977

(संवत 1977 का 46)

सम्पूर्ण अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो 'सरकार' और 'राजपत्र' के स्थान पर, क्रमश:, 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन' और 'राजपत्र' शब्द रखें;

सम्पूर्ण अधिनियम में "सिविल प्रक्रिया संहिता" के स्थान पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) रखें,

सम्पूर्ण अधिनियम में, "राज्य" के स्थान पर " लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र'' शब्द रखें ।

धारा 1.– उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 2. - (i) खंड (i) का लोप कर दें;

(ii) खंड (i) के पश्चात् अंत:स्थापित करें -

"(ik)" उच्च न्यायालय "से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के भाग VIII के अधीन बनाए गए जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय अभिप्रेत है"

धारा 3. - लोप करें।

धारा 4.- लोप करें।

धारा 8. - उपधारा (1) के खंड (घ) में, "वाद" के लिए "प्रयुक्त" शब्द रखें ।

धारा 13. - "लघु बाद न्यायालय अधिनियम के अधीन स्थापित लघुवाद न्यायालय, और'', शब्द का लोप करें।

धारा 24.- लोप करें।

धारा 25. - (i) उपधारा (2) में, (क) खंड (क) में, "प्रोबेट और प्रशासन" और "तीसरी अनुसूची का पांचवां पैरा" के स्थान पर "भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 (1925 का 39)" और "तृतीय अनुसूची का पैरा 3"; शब्द रखें; और

(ख) "संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम" के स्थान पर "संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8)" रखें।

धारा 39. - उपधारा (2) में, "दूसरी अनुसूची का पैरा 17 या" का लोप करें।

धारा 43. - "जम्मू-कश्मीर राज्य का उच्च न्यायालय" के स्थान पर "उच्च न्यायालय" रखें।

IndiaCode

85. जम्मू-कश्मीर भिक्षावृति निवारण अधिनियम, 1960

(1960 का 40)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

86. जम्मू-कश्मीर वृत्तिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड अधिनियम, 2002

(2002 का 25)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

87. जम्मू-कश्मीर (अनुचित साधन परीक्षा निवारण अधिनियम, 1987

(1987 का 20)

IndiaCode

अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सम्पूर्ण अधिनियम में 'सरकार', और राजपत्र, के स्थान पर क्रमश: 'प्रशासन' और 'राजपत्र' शब्द रखें,

उद्देशिका में या अन्यथा उपबंधित के सिवाय "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित करें।

धारा 1. - उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 2. - (i) खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1975 अथवा प्रशासन द्वारा अधिसूचित कोई अन्य बोर्ड" शब्द रखें";

(ii) खंड (क) के पश्चात्, खंड (कख) अंत:स्थापित करें, अर्थात्

"(कख)" प्रशासन " से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन" अभिप्रेत है;

(iii) खंड (ज) में "जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1975" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1975 अथवा प्रशासन द्वारा अधिसूचित कोई अन्य बोर्ड" शब्द रखें";

(iv) खंड (ठ) में, "राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय'' के स्थान पर "इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासन द्वारा अधिसूचित कोई विश्वविद्यालय" शब्द रखें।

धारा 7. - "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

धारा 8. - (i) "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" शब्द रखें; और

(ii) खंड (iii) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989 की धारा 259-क " के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का अध्याय 19" शब्द रखें।

धारा 10. - "रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" शब्द रखें ।

88. जम्मू-कश्मीर निजी महाविद्यालय (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2002

(2002 का 22)

धारा 17 के खंड (2) या अन्यथा उपबंधित के सिवाय सम्पूर्ण अधिनियम में, 'सरकार' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' शब्द रखें,

अन्यथा उपबंधित के सिवाय सम्पूर्ण अधिनियम में, "राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" शब्द रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में, अधिनियम की धारा 24 अथवा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जम्मू-कश्मीर के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र", शब्द रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका सहित अथवा अन्यथा उपबंधित सहित "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 1. - उप-धारा (2) में 'जम्मू-कश्मीर राज्य' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' शब्द रखें।

धारा 2. - (i) खंड (क) के पश्चात्, खंड (कख) अंत:स्थापित करें, अर्थात्-

"(कख)" प्रशासन " से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन; अभिप्रेत है;

(ii) खंड (ग) में, -

(क) 'कश्मीर विश्वविद्यालय या जम्मू विश्वविद्यालय से संबद्ध' के स्थान पर "लद्दाख विश्वविद्यालय या प्रशासन द्वारा अधिसूचित किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध"; शब्द रखें।

(ख) उप-खंड (i) में, "कश्मीर विश्वविद्यालय या जम्मू विश्वविद्यालय 'के स्थान पर' इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासन द्वारा अधिसूचित कोई भी विश्वविद्यालय" शब्द रखें।

(iii) खंड (च) का लोप करें;

(iv) खंड (i) में "राज्य" से कश्मीर राज्य अभिप्रेत है" के स्थान पर "संघ राज्य क्षेत्र" से "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है" रखें;

(v) खंड (ञ) में, कश्मीर-जम्मू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969 के अधीन स्थापित कश्मीर विश्वविद्यालय या जम्मू विश्वविद्यालय' के स्थान पर 'लद्दाख विश्वविद्यालय या जम्मू, कश्मीर या लद्दाख मामलों का कोई अन्य विभाग" रखें।

खंड 3. - उप-धारा (2) में, 'जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969' के स्थान पर" लद्दाख विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018" शब्द रखें।

खंड 9. - उप-धारा (2) में, 'सरकारी सेवाएं' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन सेवाएं रखें"।

IndiaCode

धारा 17. - खंड (ठ) में, "जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969" के स्थान पर" लद्दाख विश्वविद्यालय, 2018" शब्द रखें।

धारा 19. - "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत 1977" के स्थान पर 'सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

89. पुलिस अधिनियम, 1983

(संवत 1983 का 2)

सम्पूर्ण अधिनियम में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 'सरकार', 'राज्य' और "जम्मू-कश्मीर राजपत्र" के स्थान पर, क्रमशः "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "राजपत्र" शब्द रखें।

धारा 2. - "इसके तीसरे प्रकाशन" के स्थान पर, "इसके प्रकाशन" रखें।

धारा 4. - धारा 4 के अंत में, 'इस अधिनियम में "महानिरीक्षक", "उप महानिरीक्षक", "सहायक महानिरीक्षक", "अधीक्षक", "उप अधीक्षक", "सहायक अधीक्षक" या पुलिस बल में कोई अन्य पद, यदि ऐसा कोई पद लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र में मौजूद नहीं है, तो एक समकक्ष पद या ऐसे पद का उल्लेख करने के लिए समझा जाए, जो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया गया है।"

धारा 8. - "जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 126 के उपबंध" के स्थान पर "भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंध" रखें।

धारा 17. - उप-धारा (1) में "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 और 387" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421 और 422" रखें।

धारा 27. - उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 की धारा 525" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 459" शब्द रखें।

90. जम्मू-कश्मीर विज्ञान और प्रौद्योगिकी कश्मीर इस्लामिक विश्वविद्यालय

अधिनियम, 2005

(2005 का 18)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

IndiaCode

91. जम्मू-कश्मीर पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1961

(1961 का 13)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

92. जम्मू-कश्मीर परम्परा संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, 2010

(2010 का 15)

सम्पूर्ण अधिनियम में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, "सरकार" और "राजपत्र" के स्थान पर, क्रमशः, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका या अन्यथा उपबंधित के सिवाय, "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 2. - (i) खंड (क) के पश्चात्, अंत:स्थापित करें।

"(कक) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन" अभिप्रेत है; और

(ii) खंड (ज) का लोप करें।

धारा 15. - उप-धारा (i) में "पांच हजार रुपये" के स्थान पर "पचास हजार रुपये" शब्द रखें।

93. जम्मू-कश्मीर टीकाकरण अधिनियम, 1967

(1967 का 21)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

94. शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (डिग्री अनुदान) अधिनियम, 1983

(1983 का 13)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

IndiaCode

95. जम्मू-कश्मीर नागरिक विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2014

(2010 का 13)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

96. जम्मू-कश्मीर फल पौधशाला (अनुज्ञापन) अधिनियम, 1987

(1987 का 22)

सम्पूर्ण अधिनियम में, जब तक अन्यथा उपबंधित न हों 'सरकार', और 'सरकारी राजपत्र के स्थान पर, क्रमशः,'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन' और 'सरकारी राजपत्र' शब्द रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में उद्देशिका के सिवाय, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

उद्देशिका.- "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 1. - उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 7. - "राज्य" के स्थान पर, जहाँ कहीं भी हो, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 17. - "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 18. - "राज्य रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें।

धारा 21. - उप-धारा (3) का लोप करें।

97. कृषक अनुतोष अधिनियम, 1983

(संवत 1983 का I)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

98. जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कृषकों को सहायता एवं भूमि सुधार अधिनियम

(1993 का 7)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

IndiaCode

99. जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

(2011 का 9)

सम्पूर्ण अधिनियम मैं, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो 'सरकार', और 'राजपत्र' के स्थान पर, क्रमशः,, 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन', और " राजपत्र" रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में उद्देशिका या अन्यथा उपबंधित के सिवाय 'जम्मू-कश्मीर' के स्थान पर और 'राज्य' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र', रखें।

उद्देशिका - 'राज्य' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 2. - (i) खंड (क) के पश्चात्, खंड (कख) अंत:स्थापित करें, अर्थात् -

"(कख)" प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" अभिप्रेत है और

(ii) खंड (ड.), (झ) एवं और (ठ) का लोप कर दें।

धारा 9. - "सिविल प्रक्रिया संहिता' के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

खंड 15. - "विशेष ट्रिब्यूनल" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अभिहित प्राधिकरण" रखें।

100. लद्दाख बौद्ध संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम, 2000

(संवत 2000 का 18)

उद्देशिका. - "लद्दाख के बौद्ध" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के बौद्ध" शब्द रखें।

भाग-1. - "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर उप-धारा (ii) में, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 2. - खंड (ख) में, "लद्दाख जिला अभिप्रेत है" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है" शब्द रखें।

101. जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2010

(2010 का 14)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

102. राष्ट्रीय रक्षा निधि स्थावर संपत्ति दान (स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1963

(1963 का 5)

सम्पूर्ण अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो "सरकार" शब्द के स्थान पर, "प्रशासन" शब्द रखें।

धारा 4. - उप-धारा (1) में, "राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

IndiaCode

103. स्टांप अधिनियम, संवत 1977

(1977 का 40)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

104. जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

(2017 का 5)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

105. कश्मीर रेशम संरक्षण अधिनियम, 1964

(1964 का 14)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

IndiaCode

106. जम्मू-कश्मीर रेशम (विकास और संरक्षण)अधिनियम, 1988

(1988 का 28)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

107. जम्मू-कश्मीर नामधा क्वालिटी नियंत्रण अधिनियम, संवत 2010

[संवत 2010 (1953 ई.पू.) का 6]

सम्पूर्ण का निरसन करें।

108. जम्मू-कश्मीर अप्रचलित कानून (निरसन) अधिनियम, 2010

(2010 का 27)

उद्देशिका. - "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित करें।

109. जम्मू-कश्मीर राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 2006

(2006 का 18)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

110. जम्मू-कश्मीर राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2006

(2006 का 12)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

111. पथकर उद्ग्रहण अधिनियम संवत 1995

(1995 का 8)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

IndiaCode

112. जम्मू-कश्मीर वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन अधिनियम, 2005

(2005 का 9)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

113. जम्मू-कश्मीर राज्य आपात अनुतोष निधि अधिनियम, 1960

(1960 का 13)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

114. अतिब्याज ऋण अधिनियम, संवत 1977

(1977 का 47)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

115. जम्मू-कश्मीर निक्षेपकर्ता (वित्तीय स्थापन में) के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2018

(2018 का 13)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

116. जम्मू-कश्मीर लेखा विनियम अधिनियम, संवत 2001

(संवत 2001 का 14)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

117. जम्मू-कश्मीर शहरी स्थाकर संपत्ति कर (निरसन और व्यावृत्ति) अधिनियम, 2002

(2002 का 28)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

118. जम्मू-कश्मीर किराएदारी अधिनियम, 1980

(संवत 1980 का 2)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

119. जम्मू-कश्मीर किराएदारी (बेदखली कार्यवाही पर रोक) अधिनियम, 1966

(1966 का 33)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

120. जम्मू-कश्मीर बंधक सम्पत्ति प्रत्यास्थपन अधिनियम, 1976

(1976 का 14)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

IndiaCode

121. जम्मू-कश्मीर शहतूत संरक्षण अधिनियम, संवत 2006

(2006 का 10)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

122. जम्मू-कश्मीर कारावास महानिरीक्षक (पदनाम में परिवर्तन) अधिनियम, 2001

(2001 का 13)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

123. जम्मू-कश्मीर सिख गुरुद्वारा और धार्मिक विन्सास अधिनियम, 1973

(1973 का 15)

IndiaCode

सम्पूर्ण अधिनियम में "राजपत्र" के लिए "राजपत्र" रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में, धारा 4 के खंड (vi) से भिन्न, "सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन" शब्द रखें।

उद्देशिका - "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित करें।

धारा 1. - (i) उप-धारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें; और

(ii) उप-धारा (2क) में "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

धारा 2. - खंड (क) में, "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

धारा 2 क - "जम्मू-कश्मीर मकान और दुकान किराया नियंत्रण अधिनियम, 1966" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर आवासीय और वाणिज्यिक किरायेदारी अधिनियम, 2012" रखें।

धारा 4. - (i) खंड (v) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

(ii) खंड (vi) का लोप करें।

धारा 6. - "श्रीनगर और जम्मू में रोटेशन द्वारा" का लोप करें।

धारा 7. - "जम्मू और श्रीनगर में कार्यालयों" के स्थान पर, "लद्दाख में एक कार्यालय" शब्द रखें।

धारा 8. - परंतुक का लोप करें।

खंड 12. - खंड (vi) का लोप करें।

124. जम्मू-कश्मीर दान माल (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम

(1963 का 40)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

125. जम्मू-कश्मीर कचहरी अधिनियम, 2011

(2011 का 18)

सम्पूर्ण अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो "सरकार", "जम्मू-कश्मीर" या "राज्य", और 'राजपत्र' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन', "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और ''राजपत्र'', "संघ राज्य क्षेत्र", शब्द रखें।

धारा 1.– उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

खंड 3. - (i) उप-धारा (4) में "जम्मू-कश्मीर वन अधिनियम, 1987" और "वन विभाग के प्रभारी मंत्री" के स्थान पर "भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16") और "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" रखें;

(ii) उप-धारा (9) में, "जैसे कि कश्मीर घाटी में सम्मिलित राज्यक्षेत्र और'' का लोप करें।

धारा 12. - खंड (ii) का लोप करें।

धारा 22. - उप-धारा (1) में, "वन विभाग के प्रभारी मंत्री" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन" शब्द रखें।

धारा 25. - "दंड प्रक्रिया संहिता" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 32. - "दंड प्रक्रिया संहिता" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

126. जम्मू-कश्मीर सब्जी बीज अधिनियम, संवत- 2009

(1973 का 14)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

127. शत्रु अभिकर्ता अध्यादेश, 2005

(संवत 2005 का अध्यादेश 8)

सम्पूर्ण अध्यादेश में, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, 'सरकार' और 'राज्य' के स्थान पर, क्रमश: 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन', और "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र'' रखें।

IndiaCode

धारा 1.– उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख" रखें।

धारा 9. - उप-धारा (2) में, दोनों जगहों पर, जहां वे आते हैं "धारा 439" के स्थान पर "धारा 401" रखें।

धारा 12. - "साक्ष्य अधिनियम, 1977" के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)" रखें।

धारा 13. - उप-धारा (4) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 15. - "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के लिए "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 16. - "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

128. जम्मू-कश्मीर चौकीदार अधिनियम, 1956

(1956 का 37)

सम्पूर्ण अधिनियम में जब अन्यथा उपबंधित के सिवाय 'सरकार'और 'राजपत्र' के स्थान पर, 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, और 'राजपत्र' रखें।

उद्देशिका या अन्यथा उपबंधित के सिवाय "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर क्रमश: "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

उद्देशिका. - "जम्मू-कश्मीर राज्य में" के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में' रखें।

धारा 1. - उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 11.– "रणबीर दंड संहिता, 1989" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)" रखें।

129. जम्मू-कश्मीर पादप रोग और नाशकजीव अधिनियम, 1973

(1973 का 14)

सम्पूर्ण अन्यथा उपबंधित के सिवाय "सरकार" और "राजपत्र" के स्थान पर क्रमशः, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" शब्द रखें।

उद्देशिका. - "राज्य" के स्थान पर" लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 1. - उप-धारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य" के लिए "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 10. - उप-धारा (3) में, "पाँच सौ रुपये" के स्थान पर "पाँच हजार रुपये" शब्द रखें।

धारा 16. - उप-धारा (4) का लोप करें।

IndiaCode

130. जम्मू-कश्मीर श्री अमरनाथ जी पूजा स्थल अधिनियम, 2000

(2000 का 18)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

131. जम्मू-कश्मीर श्री माता सुखराला देवी जी और श्री माता बाला सुंदरी पूजा स्थल अधिनियम, 2013

(2013 का 3)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

132. जम्मू-कश्मीर श्री माता वैष्णों देवी पूजा स्थल अधिनियम, 1988

(1988 का 16)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

133. जम्मू-कश्मीर श्री शिव खोड़ी पूजा स्थल अधिनियम, 2008

(2008 का 4)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

134. जम्मू-कश्मीर राज्यपाल विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2018

(2018 का 42)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

135. जम्मू-कश्मीर विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम, 2000

(2000 का 6)

पूरे का निरसन करें।

136. जम्मू-कश्मीर केसर अधिनियम, 2007

(2007 का 5)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

IndiaCode

137. जम्मू-कश्मीर राज्य सतर्कता आयोग अधिनियम, 2011

(2011 का I)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

138. जम्मू-कश्मीर आदतन आभ्यासिक अपराधी (नियंत्रण और सुधार) अधिनियम, 1956

(1956 का 11)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

139. जम्मू-कश्मीर होम गार्ड अधिनियम, 2006

(संवत 2006 का 3)

सम्पूर्ण अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार", "राज्य" और 'राजपत्र', के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन', 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' और 'राजपत्र' रखें।

धारा 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें : "2. होमगार्ड का गठन और कमांडेंट जनरल और कमांडेंट की नियुक्ति:

(i) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन होमगार्ड्स नामक एक स्वयंसेवी संस्था का गठन करेगा, जिसके सदस्य व्यक्तियों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और लोक व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और इस तरह के ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों तथा ऐसे अन्य कृत्यों को करेंगे, जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उन्हें सौंपा गया है।

(ii) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन होमगार्ड्स के उपयुक्त ज्येष्ठता के एक अधिकारी को नियुक्त करेगा जो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में होमगार्ड्स का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उसे नियंत्रित करेगा।

(iii) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ऐसे कई अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जो आवश्यक हो और जिस अधिकारी को खंड (i) में निर्दिष्ट किया गया हो, वह अपनी शक्तियों को जिन्हें वह होमगार्ड की पर्यवेक्षण, नियंत्रण और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक समझे, उसे सौंप सकता है।

(iv) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन प्रत्येक जिले में होमगार्ड के लिए एक कमांडेंट की नियुक्ति भी करेगा। "

धारा 6-ख. - (i) उप-धारा (1) में, "रणबीर दंड संहिता 1989" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45)" रखें; और

(ii) उप-धारा (2) का लोप करें।

धारा 6-ग - उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संवत 1974 का 2)" रखें।

IndiaCode

140. जम्मू-कश्मीर अग्नि बल अधिनियम, 1967

(1967 का 12)

सम्पूर्ण अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपबंधित न हो, 'सरकार', और 'राजपत्र' के लिए क्रमशः 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन'और 'राजपत्र' शब्द रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में उद्देशिका के सिवाय जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो 'राज्य' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' शब्द रखें।

धारा 2 - खंड (घ) में "जम्मू-कश्मीर राज्य अग्निशमन बल" के स्थान पर "लद्दाख अग्निशमन और बचाव सेवा" शब्द रखें।

धारा 3. - "जम्मू-कश्मीर राज्य अग्निशमन बल" के स्थान पर "लद्दाख अग्निशमन और बचाव सेवा" रखें।

धारा 14. - "राज्य की संचित निधि" के लिए "भारत की संचित निधि" प्रतिस्थापित करें।

धारा 17. - खंड (च) में उप-धारा (2) में "जम्मू-कश्मीर मध्यस्थता अधिनियम, संवत 2002" के स्थान पर, "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26)" रखें।

धारा 19. - "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत, 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

धारा 21. - "जम्मू-कश्मीर राज्य रणबीर संहिता, संवत 1989" के लिए "भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45)" रखें।

IndiaCode

141. जम्मू-कश्मीर राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2002

(2002 का 24)

सम्पूर्ण अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 'राजपत्र' के स्थान पर, 'राजपत्र' शब्द रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में उद्देशिका और धारा 4 या अन्यथा उपबंधित के सिवाय 'राज्य' के स्थान पर, 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' शब्द रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में उद्देशिका, धारा 4 और धारा 36 या अन्यथा उपबंधित के सिवाय 'जम्मू-कश्मीर' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' शब्द रखें।

धारा 2 के खंड (ण) में निर्दिष्ट वाक्यांश 'भारत सरकार'' के सिवाय पूरे अधिनियम में 'सरकार' के स्थान पर 'प्रशासन' शब्द रखें।

उद्देशिका.- "राज्य बोर्ड'' और "राज्य में'' के स्थान पर "संघ राज्य बोर्ड'' तथा ''संघ राज्य क्षेत्र'' रखें।

धारा 1.- उप-धारा (2) में "सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य'' के स्थान पर "सम्पूर्ण लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र'' शब्द रखें।

धारा 2.- (i) खंड (क) के बाद खंड (कख) अंत:स्थापित करें, अर्थात्,

'(कख)' प्रशासन' से 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन' अभिप्रेत है;

(ii) खंड (ढ) का लोप करें।

(iii) खंड (ब) का लोप करें और

(iv) खंड (भ) के पश्चात् खंड (भक) अंत:स्थापित, अर्थात् -

'(कख) 'संघ राज्य क्षेत्र' से 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' अभिप्रेत है।

धारा 3.- धारा 3 के पश्चात्, परंतुक अंत:स्थापित करें, अर्थात् -

"परंतु प्रशासन, बोर्ड का कार्य सौंप सकता है या किसी अन्य राज्य या किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र या किसी अन्य निकाय के ऐसे बोर्ड को संबद्ध कर सकता है जो इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया जाए।"

धारा 5- "निम्नलिखित सदस्यों के लिए ... (द) सदस्य-सचिव, सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा के स्थान पर 'ऐसे सदस्यों, जिन्हें प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा" शब्द रखें।

धारा 18.- जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा विनियमों में उपबंधित "प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों'' के स्थान पर "प्रशासन द्वारा विहित ''प्रतिनियुक्ति की शर्तें" शब्द रखें।

धारा 19.- राज्य विधानमंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए उचित विनियोजन के पश्चात्'' का लोप करें।

धारा 22.- (i) उप-धारा (2) में, "कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 226 के स्थान पर, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 रखें, तथा

(ii) उप-धारा (5) का लोप करें।

धारा 30.- (i) "जम्मू-कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता, संवत, 1989' जहाँ भी हो वे आतें हैं 'भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45)'; रखें तथा

(ii) उप-धारा (2) में, 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1989' के लिए 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)' रखें।

धारा 32.- उप-धारा (3) का लोप करें।

142. जम्मू-कश्मीर रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम, 2011

(2011 का 6)

सम्पूर्ण अधिनियम में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, "सरकार'', और ''राजपत्र'' के लिए क्रमशः "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन'' और ''राजपत्र'', शब्द रखें।

उद्देशिका में या अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पूरे अधिनियम में "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

उद्देशिका. - 'जम्मू-कश्मीर राज्य में' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में' शब्द रखें।

खंड 2. - (i) खंड (क) के पश्चात् खंड (कख) अंत:स्थापित, रखें।

"(कख)" प्रशासन " से 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन;" अभिप्रेत है ;

(ii) खंड (घ) का लोप करें; और

IndiaCode

(iii) खंड (ज) में "राज्य" का अर्थ "जम्मू-कश्मीर राज्य है" के स्थान पर "केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ है लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

[फा. सं. 11012/21/2020-एसआरए]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd October, 2020

S.O. 3775 (E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), and of other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Ladakh, namely:-

1. (1) This Order may be called the Union territory of Ladakh Reorganisation (Adaptation of State Laws) Order 2020.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of laws in force in territory of India.

3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the said Schedule, or if it is so directed, shall stand repealed.

4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or the certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify or repeal any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31st day of October, 2019; and any such notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances, as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case.

6. The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

(a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) or this Order had not been passed or issued.

THE SCHEDULE
(See paragraph 3)

STATE LAWS

1. THE JAMMU AND KASHMIR STATE AID TO INDUSTRIES ACT, 1961 (XXII of 1961)

Repeal as a whole.

2. THE JAMMU AND KASHMIR ANATOMY ACT, 1959 (XXII of 1959)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', 'State' and 'Government Gazette, substitute 'Administration of Union territory of Ladakh', 'Union territory of Ladakh' and 'Official Gazette', respectively.

Section 6. –	For "five hundred rupees" substitute "five thousand rupees".
Section 9. –	For "Ranbir Penal Code" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

IndiaCode

3. THE JAMMU AND KASHMIR ANCIENT MONUMENTS PRESERVATION ACT, SVT. 1977 (V of Samvat 1977)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', "Jammu and Kashmir", "State Protected Monument", "Minister" and 'Government Gazette, substitute respectively "Administration of Union territory of Ladakh", "Union territory of Ladakh", "Protected Monument", "Administration of Union territory of Ladakh" and 'Official Gazette'.

Throughout the Act, for "Director, Archaeology" substitute "the officer appointed by the Administration of Union territory of Ladakh".

Throughout the Act, for "Archaeology Department" substitute "the Department entrusted for carrying out the purposes of this Act".

Section 2.–	(i) In clause (3), for "of the Archaeology Department, not below the rank of Deputy Director." substitute "appointed by the Administration of Union territory of Ladakh." ; and
	(ii) omit clause (5-a).
Section 10. –	in sub-section (1), for "Land Acquisition Act" substitute "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013)".
Section 15. –	In sub-section (2), for "one thousand rupees" substitute "ten thousand rupees".
Section 17. –	In sub-section (4), omit "not below the rank of Assistant Director".

Section 20-A. –	Omit "or in the case of Ladakh District, the Deputy Commissioner of that District".
Section 20-C. –	For "State Land Acquisition Act No. X of 1990" substitute "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013)".
Section 22-A. –	For "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

4. THE JAMMU AND KASHMIR BRICK KILNS (REGULATION) ACT, 2010 (XVII of 2010)

Throughout the Act, for "Government Gazette", substitute "Official Gazette".

Throughout the Act, for "Government", substitute "Administration".

Preamble1. –	For "in the State", substitute "in the Union territory of Ladakh".
Section 1. –	(i) in sub-section (1), for "Jammu and Kashmir", substitute "Union territory of Ladakh" ; and (ii) in sub-section (2), for "State of Jammu and Kashmir", substitute "Union territory of Ladakh".
Section 2. –	(i) in clause (a), for "State", substitute "Union territory of Ladakh" ; and (ii) for clause (h), substitute- '(h) "Administration" shall mean Administration of the Union territory of Ladakh.'
Section 3. –	In sub-section (2), in the proviso, for "by a notified order", substitute "by notification in the Official Gazette".
Section 4. –	In clause (d), for "demarcated forest area of the State under the Jammu and Kashmir Forest Act, 1987", substitute "forest land of Union territory of Ladakh under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927)".
Section 6. –	(i) in sub-section (1), for "State", substitute "Union territory of Ladakh" ; and (ii) in sub-section (4), in clause (II), in sub-clause (ii), for "State Pollution Control Board", substitute "Union territory of Ladakh Pollution Control Committee".
Section 8. –	In sub-section (2), in clause (f), for "Pollution Control Board", substitute "Union territory of Ladakh Pollution Control Committee".
Section 12. –	In the Explanation, for "sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, Samvat 1989", substitute "section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 13. –	For "State", substitute "Union territory of Ladak".
Section 18. –	For "the Hoarding and Profiteering Prevention Ordinance, Samvat 2000 and any other law", substitute "any law".
Section 23. –	For "State Ranbir Penal Code", substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".
Section 28. –	For "State", substitute "Union territory of Ladakh".

IndiaCode

5. THE JAMMU AND KASHMIR CAMPING AND MOORING SITES ACT, 2004

(XII of Samvat 2004)

Repeal as a whole.

6. THE JAMMU AND KASHMIR STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES ACT, 1997
(XII of 1997)

Repeal as a whole.

7. THE JAMMU AND KASHMIR CONTROL OF BUILDING OPERATIONS ACT, 1988
(XV of 1988)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for "Government", and "Government Gazette", substitute "Administration of Union territory of Ladakh", and "Official Gazette", respectively.

Throughout the Act, for "Jammu and Kashmir" or "J&K" and "State" substitute "Union territory of Ladakh" except in the preamble.

Section 1. – In sub-section (2), for 'State of Jammu and Kashmir' substitute 'Union territory of Ladakh'.

Section 2. – (i) In clause (9), in sub-clause (i), omit ", commonly known as "PAND-PAND" in Kashmir Valley' ;

(ii) in clause (10), for "Jammu and Kashmir Government" substitute "Administration of Union territory of Ladakh". ; and

(iii) omit clause (13).

Section 3. – In sub-section (1), omit 'State'.

Section 4. – Omit 'State'.

Section 5. – In sub-section (3), omit 'State'.

Section 10. – For "Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)" and in sub-clause (a) of clause (ii), for "section 57" substitute "section 42".

Section 11. – For "Minister" wherever occurring substitute "Administration of Union territory of Ladakh".

8. THE JAMMU AND KASHMIR CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1989
(X of 1989)

Throughout the Act, for "Government Gazette", and "the Transfer of Property Act, Samvat, 1997", wherever occurring, substitute "Official Gazette" and "the Transfer of property Act, 1882" respectively.

Throughout the Act, other than in preamble unless otherwise provided, for "Jammu and Kashmir", substitute "Union territory of Ladakh".

Preamble — (i) for "in the State", occurring at both the places, substitute "in the Union territory of Ladakh".

(ii) omit "in accordance with the directive principles of State policy enunciated in the Constitution of Jammu and Kashmir".

Section 1. – (i) In sub-section (1), for "Jammu and Kashmir", substitute "Union territory of Ladakh";

IndiaCode

(ii) in sub-section (2), for "State of Jammu and Kashmir", substitute "Union territory of Ladakh".

Section 2. – In sub-clause (iii) of clause (f), for "Apex level", substitute "Apex level of the Union territory of Ladakh".

Section 3. – In sub-section (1), for "whole of the State of Jammu and Kashmir", substitute "whole of the Union territory of Ladakh".

Section 10. – In sub-section (1), for "programmes of the State", substitute "programmes of Union territory of Ladakh".

Section 16. – In sub-section (1), in proviso, omit "and every such order shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of the State legislature.".

Section 17. – In sub-section (1), -

(i) in clause (a), –

(a) in sub-clause (i), for "Jammu and Kashmir Contract Act, Samvat 1977", substitute "Indian Contract Act, 1872 (21 of 1860) ;

(b) omit sub-clause (ii) ; and

(ii) in clause (c), for "the Jammu and Kashmir Societies Registration Act, Samvat 1998", substitute "the Society Registration Act, 1860."

Section 35. – In the proviso to clause (i), –

(a) for "State Government", substitute "Administration of Union territory of Ladakh"; and

(b) omit "subject to the provisions of section 140 of the Transfer of Property Act, Samvat, 1977".

Section 40. – For "Jammu and Kashmir Registration Act, Samvat 1977", substitute "Registration Act, 1908 (16 of 1908)".

Section 60. – For "Trust Act, Samvat 1977", substitute "Indian Trust Act 1882" (2 of 1882).

Section 79. – In sub-section (1), for "the State", occurring at both the places, substitute "Union territory of Ladakh".

Section 91. – In sub-section (1), omit "arising from a" and "under the Aid to Agriculturists and Land Improvement Act, Samvat 1993".

Section 92. – In sub-section (2), for "Nothing in the Big landed Estates Abolition Act, Samvat 2007", substitute "Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force".

Section 94. – For "Registration Act, Samvat 1977", substitute "Registration Act, 1908 (16 of 1908)".

Section 107. – In sub-section (1), for "Jammu and Kashmir Registration Act, Samvat 1977", substitute "Registration Act, 1908 (16 of 1908)".

Section 111. – Omit "Notwithstanding anything contained in section 6 of the Jammu and Kashmir Land Alienation Act, Samvat 1995".

Section 131. – In sub-section (3), for "Code of Civil Procedure, Samvat 1977", substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 132. – In sub-section (1), for "section 89A", substitute "section 69A".

Section 134. – In marginal head and sub-section (1), for "Jammu and Kashmir Houses and Shop Rent Control Act, 1966", substitute "the

IndiaCode

Residential and Commercial Tenancy Act, 2012".

Section 143. – For "Jammu and Kashmir Land Acquisition Act, Samvat 1990", substitute "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".

Section 153. – In clause (c), for "Jammu and Kashmir Ranbir Penal Code", substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 155. – For "Article 182 of the First Schedule to the Limitation Act, Samvat 1995", substitute "section 137 of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963).

Section 171. – For "Companies Act, 1956 (01 of 1956)", substitute "Companies Act, 2013 (18 of 2013)".

Section 174. – In sub-section (1), for "Code of Civil Procedure, Samvat 1977", substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 176. – In sub-section (1), for "State", substitute "Union territory of Ladakh".

9. THE JAMMU AND KASHMIR DEBTORS RELIEF ACT, 1976 (XV of 1976)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for "Government", substitute "Administration of Union territory of Ladakh".

Preamble. – For "in the Jammu and Kashmir State", substitute "in the Union territory of Ladakh".

Section 1. – (i) in sub-section (2), for "State of Jammu and Kashmir", substitute "Union territory of Ladakh"; and

(ii) in sub-section (3), for "Government Gazette", substitute "Official Gazette".

Section 2. – (i) In clause (1), –

(a) in sub-clause (ii), for "Jammu and Kashmir Co-operative Societies Act, 1960", substitute "Jammu and Kashmir Co-operative Societies Act, 1989";

(b) in sub-clause (ii), omit "or section 140 of the Jammu and Kashmir Transfer of Property Act, 1977";

(c) in sub-clause (v), for "Government of Jammu and Kashmir", occurring at both the places, substitute "Administration of Union territory of Ladakh"; and

(ii) in Explanation to clause (2), for "Government of Jammu and Kashmir", substitute "Administration of Union territory of Ladakh" ;

(iii) in clause (9), for "Jammu and Kashmir Co-operative Societies Act, 1960", substitute "Jammu and Kashmir Co-operative Societies Act, 1989"; and

(iv) in sub-section (10), for "Code of Civil Procedure, Samvat 1977", substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 3. – (i) in sub-section (1), for "Government Gazette", substitute "Official Gazette";

(ii) in sub-section (7), for "Government Gazette", substitute "Official Gazette"; and

	(iii) in sub-section (11), for "Limitation Act, Svt. 1995", substitute "Limitation Act, 1963 (36 of 1963)".
Section 4. –	Omit proviso.
Section 12. –	For "Code of Civil Procedure, Samvat 1977", substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".
Section 22. –	For "Code of Civil Procedure, Samvat 1977", substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".
Section 30. –	For "Jammu and Kashmir Limitation Act, Svt. 1995", substitute "Limitation Act, 1963 (36 of 1963)".
Section 32. –	For "Ranbir Penal Code, Svt. 1989", substitute "Indian Penal Code (Act 45 of 1860)".
Section 34. –	(i) Omit "the Revenue Minister or", occurring at both the places; and (ii) for "Government Gazette", substitute "Official Gazette".

10. THE JAMMU AND KASHMIR DEPUTY MINISTERS' SALARIES AND ALLOWANCES ACT, 1957
(VI of 1957)

Repeal as a whole.

11. THE JAMMU AND KASHMIR DEPUTY SPEAKER'S AND DEPUTY CHAIRMAN'S (EMOLUMENTS) ACT, 1956
(XXII of 1956)

Repeal as a whole.

12. THE JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT ACT, 1970
(XIX of 1970)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for "Government", "Government Gazette" and "State", substitute "Administration", "Union territory" and "Advisor to the Lieutenant Governor", respectively.

Section 2. –	In clause (l), for "section 3 of Land Acquisition Act, 1990", substitute "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".
Section 8. –	In sub-section (1), for "for each of the zones into which a Local Area may be divided" and "each zone", substitute "for such zones which are declared as development areas under section 13"and "each such zone", respectively.
Section 11. –	For "after the Master Plan and", substitute "after the Master Plan or".
Insertion of new section -	
Permitted land use and levy of land use charges.	After section 11, insert – "**11A.** (1) Upon coming into operation of the Master Plan or the Zonal Development Plan, the land use permitted in the area covered thereunder shall only be as provided in terms

of such Master Plan or Zonal Development Plan:

Provided that the provisions of any law for the time being in force in the Union territory of Ladakh requiring any permission to change the usage of any land shall not be applicable to any area so covered.

(2) The Administration of the Union territory of Ladakh may, by notification in the Official Gazette, notify a scheme for levy of charges for use of land as permitted in the Master Plan or the Zonal Development Plan, the proceeds of which shall form part of the fund of the Authority and may be used to meet the expenses incurred for acquisition of land required in terms of section 50.".

For section 13, substitute —

Declaration of development areas and permission for development, etc.

"**13** (1) After a notice approving the date of operation of the plan is published under section 11, the Authority may, with prior permission of the Ladakh Administration and by notification in the Official Gazette, declare any zone or part thereof as a development area for the purposes of this Act.

(2) Notwithstanding anything to the contrary in any law for the time being in force, consequent upon such notification, no person, including a Department of the Union territory of Ladakh, shall undertake or carry out development of any land or building in the zone or part thereof, as the case may be, unless permission for such development has been obtained in writing from the Authority in accordance with the provisions of this Act:

Provided that the development of any land commenced by a Department of the Administration of Union territory of Ladakh or any local authority before the 31st day of October, 2019 may be completed by that Department or local authority.

(3) No person or entity, whether private or public, including a Department of the Administration of the Union territory of Ladakh or any authority, shall undertake the implementation of any street or layout plan, in any form whatsoever, in any local area outside municipal limits, without prior written permission of the Authority:

Provided that for the purposes of such permission, the Authority shall follow the procedure laid down in the Jammu and Kashmir Municipal Act, 2000 (XX of 2000):

Provided further that the restriction under this sub-section shall not apply to any development undertaken as part of a town planning scheme implemented under the provisions of the Jammu and Kashmir Town Planning Act, 1963 (XX of 1963)".

Section 15. – For "a plan in a zone", substitute "Master Plan or a Zonal Development Plan in a zone".

Section 16. – In sub-section (1), for "Land Acquisition Act, Samvat 1990", substitute "Right to Fair Compensation and

	Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".
Section 21. –	In sub-section (4), omit "and Government shall cause a copy of the same to be laid before both Houses of the Legislature".
Section 22. –	In subsection (2), for "Provident Funds Act, Svt. 1998", substitute "The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952)".
Section 24. –	(i) in sub-section (1), for "Rs. 5,000/-" and "Rs. 200/-", substitute "Rs. 50,000/-" and "Rs. 2,000/-", respectively; (ii) in sub-section (2), for "Rs. Three thousand rupees" and one hundred and fifty rupees", substitute "Rs. 30,000/-" and "Rs. 1500/-", respectively; (iii) in sub-section (3), for "one thousand rupees", substitute "ten thousand rupees".
Section 26. –	In sub-section (4), for "two hundred rupees", substitute "two thousand rupees".
Section 31. –	Omit "on terms and conditions agreed upon between the Authority and that local authority or the department, as the case may be".
Section 34. –	(i) in sub-section (2), for "Code of Civil Procedure, Svt. 1977", substitute "Code of Civil Procedure,. 1908 (5 of 1908)"; and (ii) in sub-section (6), for "Arbitration Act, Svt. 2002", substitute "Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996).
Section 43. –	For "Ranbir Penal Code", substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".
Section 45. –	For "section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1989", substitute "section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 49. –	In clause (c), for "Jammu and Kashmir State Canal and Drainage Act, Svt. 1963", substitute "Jammu and Kashmir Water Resources (Regulation and Management) Act, 2010".

13. THE EGRESS AND INTERNAL MOVEMENT (CONTROL) ORDINANCE), 2005

(Ord. V of Samvat 2005)

Throughout the Ordinance, unless otherwise provided, for 'Government', 'State' and 'Government Gazette, substitute 'Administration of Union territory of Ladakh', 'Union territory of Ladakh' and 'Official Gazette', respectively.

Section 3-C.–	For "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 5. –	In sub-section (2), for "section 61 of the Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2

of 1974)".

Section 8. – In sub-section (1), for "Code of Criminal Procedure, 1989" and "section 30" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)" and "section 29", respectively.

Section 9. – In sub-section (2), for "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 10. – For "Code of Criminal Procedure, 1989" occurring at two places substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 12. – In sub-section (2), for "section 439 of the Code of Criminal Procedure, 1989 and "section 439 refers" substitute "section 401 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and "section 401 refers" (2 of 1974)".

Section 15. – For "Evidence Act, 1977" substitute "Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)".

Section 16. – In sub-section (4), for "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 17. – For "Code of Criminal Procedure, 1989" occurring at both the places substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 18. – In sub-section (1), for "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 19. – In sub-section (1), for "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

14. THE JAMMU AND KASHMIR EXCISE ACT, SAMVAT 1958 (1901 A.D.) (State Council Resolution No. 9 of 1901)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for "Government" substitute "Administration of Union territory of Ladakh".

Preamble. – For "Jammu and Kashmir State" occurring at both the places, substitute "Union territory of Ladakh".

Section 1. – in sub-section (2), for "territories of the State", substitute "Union territory of Ladakh".

Section 3. – In section 3, –

(i) in clause (3), for "Government Gazette", substitute, "Official Gazette" ;

(ii) in clauses (11), (12) and (13), for "State territory", substitute "Union territory of Ladakh" ; and

(iii) in clause (18), for "State Government" and "Government Gazette", substitute "Administration of Union territory of Ladakh" and "Official Gazette".

Section 3A. – For "Government Gazette", substitute "Official Gazette".

Section 4. – In sub-section (2), for "Government Gazette", substitute "Official Gazette".

Section 5. – For "Jammu and Kashmir State", substitute "Union territory of Ladakh".

Section 6. – For "State", substitute "Union territory of Ladakh".

Section 7. – For "Government Gazette", substitute "Official Gazette".

Section 8. – For "State", substitute "Union territory of Ladakh"

Section 11. –	In the second proviso, for the "territories of the State", substitute "Union territory of Ladakh".
Section 11A. –	In sub-section (2), for "State Government", substitute "Administration of Union territory of Ladakh".
Section 12A. –	In clause (i) of the proviso, —
	(a) for "Jammu and Kashmir", substitute "in the Union territory of Ladakh" ; and
	(b) for "at Jammu or Srinagar", substitute "in the Union territory of Ladakh".
Section 14A. –	For "State", substitute "Union territory of Ladakh".
Section 16. –	For "in the territories of the State or imported into or exported from the State", substitute "in the Union territory of Ladakh or imported into or exported from the Union territory".
Section 16A. –	For "State" and "Government Gazette", substitute "Administration of Union territory of Ladakh" and "Official Gazette", respectively.
Section 17 and 24.	For "State", wherever occurring, substitute "Union territory of Ladakh".
Section 32. –	(i) For "Code of Criminal Procedure, 1989", substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)"; and
	(ii) omit the proviso.
Section 34. –	For "State", occurring at both the places, substitute "Union territory of Ladakh".
Section 38. –	For "Code of Criminal Procedure, 1989", substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
Section 39. –	For "Chapter XXX of the Code of Criminal Procedure, 1989", substitute "Chapter XXXIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 56B. –	In sub-section (2), for "Schedule II of the Code of Criminal Procedure, 1989", substitute "Schedule I of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 61. –	(i) in sub-section (1), for the "Ranbir Penal Code", substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)"; and
	(ii) in sub-section (2), for "Code of Criminal Procedure, 1989", substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
Section 62. –	For "Jammu and Kashmir Government Gazette", substitute "Official Gazette".
Section 64. –	For "Jammu and Kashmir Government", substitute "Administration of Union territory of Ladakh".

15. THE JAMMU AND KASHMIR EXTRACTION OF RESIN ACT, 1988
(IX of 1988)

Repeal as a whole.

16. THE JAMMU AND KASHMIR FERRY BOATS CONTROL ACT, 1971

(XVIII of 1971)

Repeal as a whole.

17. THE JAMMU AND KASHMIR FISHERIES ACT, 2018

(XVI of 2018)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', 'Jammu and Kashmir' and 'Government Gazette, substitute 'Administration of Union territory of Ladakh', 'Union territory of Ladakh' and 'Official Gazette', respectively.

Preamble.–	For "in the State" substitute "in the Union territory of Ladakh".
Section 2. –	(i) After clause (a), insert –
	'(aa) "Administration" means the Administration of Union territory of Ladakh' ; and
	(ii) omit clause (g).
Section 12. –	In sub-section (3), for "Limitation Act, Svt. 1995" substitute "Limitation Act, 1963 (36 of 1963)".
Section 17. –	For "Code of Criminal Procedure, Svt. 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 18. –	(i) In sub-section (1), for "Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)" ; and
	(ii) in sub-section (3), for "section 403 of the Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989" substitute "section 300 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 19. –	For the "State Government" substitute "Administration".
Section 21. –	For "Ranbir Penal Code, Svt. 1989" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".
Section 22. –	Omit sub-section (2).
Section 27. –	In sub-section (2), for "State territories" occurring at both the places substitute "Union territory of Ladakh".
Section 28. –	For "Code of Criminal Procedure" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

18. THE JAMMU AND KASHMIR STATE FOREST CORPORATION ACT, 1978.

(XII of 1978)

Repeal as a whole.

19. THE JAMMU AND KASHMIR GOLF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT AUTHORITY ACT, 2013

(VII of 2013)

Repeal as a whole.

20. THE JAMMU AND KASHMIR GOVERNMENT GAZETTE ACT, SVT. 1945 (1888 A.D.)
(XII of Svt. 1945)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', 'State', 'Jammu and Kashmir' and 'Government Gazette, substitute 'Administration of Union territory of Ladakh', Union territory of Ladakh', 'Union territory of Ladakh' and 'Official Gazette', respectively.

Section 10. – Insert, –

"Explanation. — Publication in Official Gazette shall mean online publication on the official website of the Administration of Union territory of Ladakh.".

21. THE JAMMU AND KASHMIR HANDICRAFTS (QUALITY CONTROL) ACT, 1978

(IV of 1978)

Repeal as a whole.

22. THE JAMMU AND KASHMIR HIGHWAYS ACT, 2007
(XXVII of Samvat 2007)

Throughout the Act, for "Government roads", "Government road" and "Jammu and Kashmir State", substitute "Union territory of Ladakh roads', 'Union territory of Ladakh road' and 'Union territory of Ladakh", respectively.

Throughout the Act, other than in the preamble, for "Government", substitute "Administration of Union territory of Ladakh".

IndiaCode

23. THE JAMMU AND KASHMIR HOUSING BOARD ACT, 1976
(VII of 1976)

Repeal as a whole.

24. THE JAMMU AND KASHMIR INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS (NATIONAL AND FESTIVAL) HOLIDAYS ACT, 1974
(XIII of 1974)

Throughout the Act, for "Government Gazette", substitute "Official Gazette".

Throughout the Act, other than in clause (c) of sub-section (1) of section 10, for "Government", substitute "Administration of Union territory of Ladakh".

Preamble1. –	For "in the State", substitute "in the Union territory of Ladakh".
Section 1. –	In sub-section (2), for "Jammu and Kashmir State", substitute "Union territory of Ladakh".
Section 2. –	In clause (a), for "State", substitute "Union territory of Ladakh".
Section 3. –	Omit sub-section (2).
Section 6. –	In sub-section (2), for "Ranbir Penal Code, 1989", substitute "Indian Penal Code (45of 1860)".
Section 8. –	For "twenty-five rupees" and "two hundred and fifty rupees", substitute "two thousand and five hundred rupees" and "twenty-five thousand

rupees", respectively.

Section 9. – For "five hundred rupees", substitute "five thousand rupees".

25. THE JAMMU AND KASHMIR KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD ACT, 1965 (XVI of 1965)

Repeal as a whole.

26. THE JAMMU AND KASHMIR LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S EMOLUMENTS ACT, 1956 (IV of 1956)

Repeal as a whole.

27. THE JAMMU AND KASHMIR LEGISLATIVE COUNCIL CHAIRMAN'S (EMOLUMENTS) ACT, 1962 (XXVIII of 1962)

Repeal as a whole.

28. THE JAMMU AND KASHMIR STATE LEGISLATURE MEMBERS' PENSION ACT, 1984 (II of 1984)

Repeal as a whole.

29. THE JAMMU AND KASHMIR LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1962 (XVI of 1962)

Repeal as a whole.

30. THE JAMMU AND KASHMIR STATE LEGISLATURE PROCEEDINGS (PROTECTION OF PUBLICATION) ACT, 1960 (XXXVII of 1960)

Repeal as a whole.

31. THE JAMMU AND KASHMIR METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITIES ACT, 2018.

Repeal as a whole.

32. THE JAMMU AND KASHMIR MINISTERS AND MINISTERS OF STATE SALARIES ACT, 1956 (VI of 1956)

Repeal as a whole.

33. THE JAMMU AND KASHMIR MINISTERS AND PRESIDING OFFICERS MEDICAL FACILITIES ACT, 1975

IndiaCode

(XXII of 1975)

Repeal as a whole.

34. THE JAMMU AND KASHMIR MONEY LENDERS AND ACCREDITED LOAN PROVIDERS ACT, 2010
(XXIII of 2010)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for the words "Government", substitute "Administration".

Preamble. –	For "State of Jammu and Kashmir", occurring at both the places, substitute "Union territory of Ladakh".
Section 1. –	(i) in sub-section (2), for "State of Jammu and Kashmir", substitute "Union territory of Ladakh"; and (ii) in sub-section (3), for "Government Gazette", substitute "Official Gazette".
Section 2. –	(i) In clause (4), for "Jammu and Kashmir Co-operative Societies Registration Act, 1989", substitute "Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860)"; (ii) for clause (5) substitute- '(5) "Administration" means Administration of Union territory of Ladakh.'; (iii) in clause (8),- (a) in sub-clause (i), omit "or the State Legislature"; (b) in sub-clause (n), for "Jammu and Kashmir Societies Registration Act, Samvat 1998", substitute "Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860)"; and (iv) in clause (9), for "Jammu and Kashmir Legal Services Authority Act, 1997", substitute "Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987)".
Section 3. –	For "Government Gazette", substitute "Official Gazette".
Section 8. –	in sub-section (2), for "Code of Criminal Procedure, 1989", substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
Section 10. –	(i) in sub-section (5), for "Code of Civil Procedure, Samvat 1977", substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)". (ii) in sub-section (6), for "Code of Civil Procedure, Samvat 1977", substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".
Section 26. –	For "State Ranbir Penal Code", substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".
Section 28. –	(i) In sub-section (1), for "Government Gazette", substitute "Official Gazette"; and (ii) omit sub-section (3)
Section 29. –	For "Government Gazette", substitute "Official Gazette".
Section 30. –	Omit

35. THE JAMMU AND KASHMIR MOTOR SPIRIT AND DIESEL OIL (TAXATION OF SALES) ACT, 2005

IndiaCode

(V of 2005)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for "Government" substitute "Administration of Union territory of Ladakh".

Section 2. –	In clause (hh), for "Appellate Tribunal constituted under section 21 A of the Jammu and Kashmir General Sales Tax Act, 1962", substitute "Tribunal or authority designated by the Administration of Union territory of Ladakh".
Section 3. –	(i) For "Government Gazette", substitute "Official Gazette"; and (ii) omit the second proviso.
Section 3A. –	In sub-section (1), for "State" and "Government Gazette", substitute "Administration of Union territory of Ladakh" and "Official Gazette" respectively.
Section 7. –	In the proviso to sub-section (5), for "into the Government Treasury", substitute "to such authority as may be prescribed by the Administration of Union territory of Ladakh".
Section 10. –	In sub-section (1), for "Government Gazette", substitute, "Official Gazette".
Section 11. –	For "Code of Criminal Procedure, 1989", substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
Section 12. –	For "Code of Criminal Procedure, 1989", substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
Section 13.–	For "section 61 of the Code of Criminal Procedure, 1989", substitute "section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 15.–	For "Code of Criminal Procedure, 1989", substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
Section 20. –	For "Minister-in-charge", substitute "Advisor to the Lieutenant Governor".
Section 22B. –	Omit sub-section (3).
Section 22C. –	For "Limitation Act, Samvat, 1995", substitute "Limitation Act, 1963 (36 of 1963)".
Section 22D. –	For "the same powers as are exercisable by it under the Jammu and Kashmir General Sales Tax Act, 1962", substitute "all the powers of a civil court for the purposes of – (a) proof of facts by affidavit ; (b) summoning and enforcing and attendance of any person and examining him on oath or affirmation ; (c) compelling the production of documents ; and (d) issuing commissions for the examination of witnesses.".
Section 22E. –	Omit.

36. THE JAMMU AND KASHMIR MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1957 (XXVI of 1957)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for "Government" substitute "Administration of Union territory of Ladakh".

Preamble. –	For "Jammu and Kashmir State", substitute "Union territory of Ladakh".
Section 1. –	(i) in sub-section (2), for "State of Jammu and Kashmir", substitute "Union territories of Ladakh"; and (ii) in sub-section (3), for "Government Gazette", substitute "Official Gazette".
Section 2. –	In clauses (i), (vi), (vii) and (viii), for "Jammu and Kashmir Motor Vehicle Act, Samvat, 1998", substitute "Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).
Section 3. –	(i) in sub-section (1), for "Government Gazette" and "State of Jammu and Kashmir", substitute "Official Gazette" and "Union territory of Ladakh" ; and (ii) in sub-section (2), omit the proviso.
Section 4. –	(i) in sub-section (1), – (a) in clause (c), omit "(not exceeding the maximum specified in the Schedule II)"; (b) in clause (c), for "Government Gazette", substitute "Official Gazette"; (c) in clause (d), for "State of Jammu and Kashmir", substitute, "Union territory of Ladakh"; and (ii) in sub-section (3), – (a) in sub-clause (i) of clause (a), for "State of Jammu and Kashmir", substitute "Union territory of Ladakh"; (b) in sub-clause (ii) of clause (a), for "Jammu and Kashmir Motor Vehicle Act, Samvat, 1998", substitute "Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); and (c) in clause (b), for "State of Jammu and Kashmir", substitute "Union territory of Ladakh
Section 9. –	For "Government Gazette", substitute "Official Gazette".
Schedule -	Omit Schedule I and Schedule II to the Act.

37. THE JAMMU AND KASHMIR MUNICIPAL CORPORATION ACT, 2000 (XXI of 2000)

Repeal as a whole.

38. THE JAMMU AND KASHMIR MUSLIM MARRIAGES REGISTRATION ACT, 1981 (XXII of 1981)

Section 1. –	(i) in sub-section (2), for "State", substitute"'Union territory of Ladakh" ; and (ii) in sub-section (3), for "Government Gazette" and "State", substitute "Official Gazette" and "Union territory of Ladakh".
Section 2. –	In clauses (b) and (c), for "Registration Act, Samvat 1977", substitute "Registration Act, 1908 (16 of 1908)".

IndiaCode

Section 6. – For "Evidence Act, 1977", substitute "Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)".

39. THE JAMMU AND KASHMIR NATURAL CALAMITIES DESTROYED AREAS IMPROVEMENT ACT, 2011
(XXXVIII of 2011)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for "Government", "Government Gazette" and "State", substitute "Administration of Union territory of Ladakh", "Official Gazette" and "Union territory" respectively.

Section 1. – In sub-section (1), for "Jammu and Kashmir", substitute "Union territory".

Section 2. – In clause (a), for "Jammu and Kashmir Municipal Act, 1988", substitute "Jammu and Kashmir Municipal Act, 2000".

Section 4. – In clause (o), for "Jammu and Kashmir Municipal Act, 1998, the Town Area Act, 1997 and the Jammu and Kashmir Village Panchayat Act, 2008", substitute "Jammu and Kashmir Municipal Act, 2000 and the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989".

Section 7. – For "Minister-in Charge Rehabilitation Department", occurring in two places and "Minister", substitute "Administration of Union territory of Ladakh".

Section 9. – (i) In the marginal heading, for "sections 4 and 6 of the Land Acquisition Act, 1990", substitute "sections 11 and 19 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)"; and

(ii) for "Land Acquisition Act, Svt. 1990" and "sections 4 and 6", substitute "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)"and "sections 11 and 19", respectively.

Section 10. – (i) In the marginal heading, for "Sections 15, 23 and 24 of the Land Acquisition Act, 1990", substitute "Sections 15, 23 and 24 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)"; and

(ii) for "sections 15, 23 and 24 of the Land Acquisition Act, Svt. 1990", substitute "sections 26, 27 and 28 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".

Section 12. – Omit.

40. THE JAMMU AND KASHMIR NON-BIODEGRADABLE MATERIAL (MANAGEMENT, HANDLING AND DISPOSAL) ACT, SVT. 2007
(XII of 2007)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', and 'Government Gazette, substitute 'Administration of Union territory of Ladakh', and 'Official Gazette', respectively.

Throughout the Act, for 'Jammu and Kashmir' substitute 'Union territory of Ladakh' except in the preamble.

Throughout the Act, including Preamble unless otherwise provided, for 'State' substitute 'Union territory of Ladakh'.

Section 1. – In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Ladakh"

Section 2. – (i) After clause (a), insert –

'(ab) "Administration" means Administration of Union territory of Ladakh.' ; and

(ii) omit clause (c).

Section 6. – In sub-section (4), for "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)" and for "section 98" substitute section 94".

Section 9. – In sub-section (1), for "clause (iv)", substitute "(iv) damage the lakes, rivers or wetland or other water channel, water-course or water source as defined in the Jammu and Kashmir Water Resources (Regulation and Management) Act, 2010".

Section 10. – (i) In sub-section (1), for "Rs. 5000" substitute "Rs. 50,000"; and

(ii) in sub-section (2), for "may extend up to Rs.10,000" substitute "not less than Rs.10,000".

Section 12. – For "sections 260 to 265 of the Code of Criminal Procedure, Samvat 1989", substitute "sections 260, 262 to 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 13. – In sub-section (3), for "remitted in the Government Treasury" substitute "remitted in a manner as prescribed by the Administration"

41. THE JAMMU AND KASHMIR PARAMEDICAL COUNCIL ACT, 2014 (VII of 2014)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', and 'Government Gazette, substitute 'Administration of Union territory of Ladakh', and 'Official Gazette', respectively.

Throughout the Act, unless otherwise provided, for "State Register" or "state register", substitute "Medical Register".

Throughout the Act, for 'Jammu and Kashmir" substitute 'Union territory of Ladakh', unless otherwise provided, except in the preamble and section 55.

Throughout the Act, for "State" substitute 'Union territory of Ladakh', unless otherwise provided, except in the preamble.

Section 2.– (i) After clause (a), insert —

'(aa) "Administration" means the Administration of Union territory of Ladakh' ;

(ii) omit clause (c);

(iii) in clause (d), –

(a) in sub-clause (ii), for "clause (d) of section 2 of the Jammu and Kashmir Homeopathic Practitioners Act, 2003 (Act No. VIII of 2003)" substitute "clause (d) of section 2 of the Homeopathic Central Council Act, 1973 (59 of 1973)" ;

(b) in sub-clause (iii), for "clauses (2) and (3) respectively of section 2 of the Jammu and Kashmir Ayurvedic and Unani Practitioners Act,1959 (Act No. XXVI of 1959)" substitute "provisions of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970)" ; and

(iv) omit clause (q).

Section 4. – For sub-section (1), substitute —

"(1) The Council shall consist of members appointed by the Administration".

Section 5. – Omit clause (a).

Section 31.– In sub-section (3), for "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 32. – In sub-section (4), for "State Ranbir Penal Code" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 38. – In sub-section (3), for "Evidence Act, Samvat 1977" substitute "Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)".

Section 42. – For "Evidence Act, Samvat 1977", "the Public Services (Inquiries) Act, Svt. 1977" occurring at both the places and "Code of Civil Procedure, Samvat 1977" substitute respectively "Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)", "the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850)" and " Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

IndiaCode

42. THE JAMMU AND KASHMIR PASSENGERS TAXATION ACT, 1963 (XII of 1963)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for "Government" substitute "Administration of Union territory of Ladakh".

Section 1. – in sub-section (2), for "State of Jammu and Kashmir", substitute "Union territory of Ladakh".

Section 2. – In clause (hhh), for "Appellate Tribunal constituted under section 21A of the Jammu and Kashmir General Sales Tax Act, 1962", substitute "Tribunal or authority designated by the Administration of Union territory of Ladakh".

Section 3. – in sub-section (1), omit "subject to a maximum of two Naya Paise in any one case, the amount of tax being calculated to the nearest Naya Paisa".

Section 9. – in sub-section (1), for "of Twenty-five rupees", substitute "as may be prescribed by the Administration of Union territory of Ladakh".

Section 12. – in sub-section (5), for "Code of Civil Procedure, Samvat 1977", substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)"

Section 16. – (i) in sub-section (1), for the words "Deputy Sales Tax Commissioner (Adm.)", occurring at both the places, substitute

	"Deputy Commissioner"; and
	(ii) omit sub-section (2).
Section 16B. –	For "Limitation Act Samvat 1995", substitute "Limitation Act, 1963 (36 of 1963)".
Section 16C. –	For "the same powers as are exercisable by it under the Jammu and Kashmir General Sales Tax Act, 1962", substitute "all the powers of a civil court for the purposes of –
	(a) proof of facts by affidavit ;
	(b) summoning and enforcing and attendance of any person and examining him on oath or affirmation ;
	(c) compelling the production of documents ; and
	(d) issuing commissions for the examination of witnesses.".
Section 16D. –	Omit.
Section 17. –	Omit sub-section (3).
Section 19A. –	In the third proviso, for "Government Gazette", substitute "Official Gazette".

India Code

43. THE PLYBOARD INDUSTRIES (ACQUISITION OF SHARES AND OF THE INDUSTRIAL UNDERTAKINGS) ACT, 1987
(VI of 1987)

Repeal as a whole.

44. THE JAMMU AND KASHMIR PRESERVATION OF SPECIFIED TREES ACT, 1969
(V of 1969)

Repeal as a whole.

45. PREVENTION OF RIBBON DEVELOPMENT ACT, 2007
(XXVI of 2007)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for the words "Government", "State" and "Jammu and Kashmir State" other than in the words "Central Government", substitute "Administration of Union territory of Ladakh", and "Union territory of Ladakh" respectively.

Section 3. –	For "Government Gazette", substitute "Official Gazette".
Section 6. –	For "Minister-in-charge Public Works Department", substitute "Ladakh Administration".

46. THE JAMMU AND KASHMIR PROHIBITION ON MANUFACTURE OF SPECIFIED COPPER UTENSILS (BY MACHINE) ACT, 2006
(XIII of 2006)

Repeal as a whole.

47. THE JAMMU AND KASHMIR STATE PROHIBITION OF SMOKING (CINEMA AND THEATRE HALLS) ACT, SVT. 2009
(XVIII of 2009)

Repeal as a whole.

48. THE JAMMU AND KASHMIR PROHIBITION OF SMOKING AND NON-SMOKERS HEALTH PROTECTION IN PUBLIC SERVICE VEHICLES ACT, 1997 (XX of 1997)

Repeal as a whole.

49. THE JAMMU AND KASHMIR PROPERTY RIGHTS TO SLUM DWELLERS ACT,
(XI of 2012)

Repeal as a whole.

50. THE JAMMU AND KASHMIR PROPERTY TAX BOARD ACT, 2013
(XI of 2013)

Repeal as a whole.

51. THE JAMMU AND KASHMIR PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UN-AUTHORISED OCCUPANTS) ACT, 1988
(XVII of 1988)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', and 'Government Gazette, substitute 'Administration of Union territory of Ladakh', and 'Official Gazette', respectively.

Throughout the Act, for 'Jammu and Kashmir' substitute 'Union territory of Ladakh' except in the preamble and section 34.

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'State' substitute 'Union territory of Ladakh' except in the preamble.

Section 1. – In sub-section (2), for "State of Jammu and Kashmir" substitute "Union territory of Ladakh".

Section 2. – In clause (d), –

(i) in sub-clause 2(i), for 'Companies Act, 1956' substitute 'Companies Act, 2013' ;

(ii) in sub-clause 2(i), for 'Companies Act, 1956' substitute 'Companies Act, 2013' and for "a State or Central" substitute 'any'; and

(iii) in sub-clause 2(ii), omit 'State'.

Section 11. – For "Code of Civil Procedure Samvat 1977", substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 14. – In sub-section (1), for 'five thousand rupees' substitute 'fifty thousand rupees'.

Section 15. – For 'Code of Criminal Procedure Samvat 1989', substitute 'Code of Criminal Procedure, 1973 (20 of 1974)'.

Section 23. – Omit sub-section (3).

52. THE JAMMU AND KASHMIR PUBLIC SAFETY ACT, 1978

(VI of 1978)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', and 'Government Gazette, substitute 'Administration of Union territory of Ladakh' and 'Official Gazette', respectively.

Throughout the Act including Preamble, unless otherwise provided, for 'State', substitute 'Union territory of Ladakh'.

Preamble. – For "State", substitute "Union territory of Ladakh".

Section 1. – (i) In sub-section (1), for "Jammu and Kashmir" substitute "Union territory of Ladakh" ; and

(ii) in sub-section (2), for "Jammu and Kashmir State", substitute "Union territory of Ladakh".

Section 2. – In sub-section (1), for "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 8. – In sub-section (3),–

(a) in clause (b), in sub-clause (iii), for "Ranbir Penal Code" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)" ; and

(b) in clause (c), for "Forest Act, Samvat 1987" substitute "the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927)".

Section 10. – Omit the proviso.

Section 12. – In clause (a), for "sections 87, 88 and 89" substitute "sections 82, 83, 84 and 85"

Section 14. – (i) In sub-section (1), insert –

"Provided that the Administration of Union territory of Ladakh may, if it deems fit, by order, designate any such authority in the adjoining State or Union territory as the Advisory Board for the purposes under this Act." ;

(ii) in sub-section (3), –

(a) omit "in consultation with the Chief Justice of the High Court" ; and

(b) insert — "Provided that no sitting Judge of the High Court or sitting District and Sessions Judge shall be appointed as Chairman or member of the Board except in consultation with the Chief justice of the High Court.".

Section 19. – For "General Clauses Act, Samvat 1977" substitute "General Clauses Act, 1897 (10 of 1897)".

53. THE JAMMU AND KASHMIR REGISTRATION OF CONTRACTORS ACT, 1956

(XVI of 1956)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', and 'Government Gazette, substitute 'Administration of Union territory of Ladakh', and 'Official Gazette', respectively.

Throughout the Act, for 'Jammu and Kashmir' and 'State' substitute 'Union territory of Ladakh' except in the preamble.

Section 5. – (i) in sub-section (2), for "Minister-in-Charge of the Department" substitute "Administration of Union territory of Ladakh" ; and

(ii) omit sub-section (3).

Section 7. – For "Rs. 30" substitute "Rs. 100".

Section 8. – For "Stamp Act, 1977" substitute "Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899)".

54. THE JAMMU AND KASHMIR, REGISTRATION OF TOURIST TRADE ACT, 1978 (IX of 1978)

Throughout the Act, for "Government Gazette", substitute "Official Gazette".

Throughout the Act, other than in section 24, for "Government", substitute "Administration of Union territory of Ladakh".

Throughout the Act, for "Ranbir Penal Code, Samvat 1989", substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 1. – In sub-section (2), for "State of Jammu and Kashmir", substitute "Union territory of Ladakh".

Section 2. – (i) in clause (g), in Explanation 1, for "Jammu and Kashmir", substitute 'Union territory of Ladakh".

(ii) in clause (o), for "State" occurring at both the places, substitute "Union territory of Ladakh".

Section 27. – For "Minister-in-Charge", occurring at both the places, substitute "Administration of Union territory of Ladakh".

Section 28. – In sub-section (2), for "Code of Criminal Procedure Svt 1989", substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 34. – For "Code of Criminal Procedure Samvat 1989", substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 35. – For "Evidence Act Samvat 1977", substitute "Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)""

Section 37. – For "Code of Civil Procedure Samvat 1977", substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

55. THE JAMMU AND KASHMIR (RESIDENTIAL AND COMMERCIAL TENANCY) ACT, 2012 (V of 2012)

(i) In sub-section (2), –

Section 1. – (a) for "State", substitute "Union territory of Ladakh";

(b) in the proviso for "Government" and "Government Gazette", substitute "Administration of Union territory of Ladakh" and "Official Gazette", respectively; and

(ii) in sub-section (3), for "Government Gazette", substitute "Official Gazette".

Section 2. – (i) In clause (b), for "Special Tribunal established under the Jammu and Kashmir Special Tribunal Act, 1988", substitute "tribunal or authority notified by the Ladakh Administration" ;

(ii) for clause (e), substitute-

'(e) "Administration" means Administration of Union territory of Ladakh.';

	(iii) in clause (h), omit "a Municipal Corporation or";
	(iv) in clauses (i) and (k), for "Government", substitute "Administration";
	(v) in clause (l), for "Government Hospital", substitute "Hospital owned or run by Administration" ; and
	(vi) in clause (u), omit "Municipal Corporation," .
Section 3. –	(i) In clause (a), for "State Government" and "government", substitute "Union territory of Ladakh" and "Administration";
	(ii) in clause (e), for "Government", substitute "Administration"; and
	(iii) in clause (f), for "Jammu and Kashmir Wakfs Act, 2001" and "Trust Act, Samvat 1977", substitute "Wakf Act, 1995" and "Indian Trust Act, 1882", respectively.
Section 14. –	In sub-section (4), for "Government", substitute "Administration".
Section 29. –	(i) For "Government" and "Government Gazette", substitute "Administration" and "Official Gazette" ; and
	(ii) in the proviso, omit clause (i).
Section 30. –	(i) For "Transfer of Property Act, Samvat 1977", substitute "Transfer of Property Act, 1882";
	(ii) in the proviso,–
	(a) for "Transfer of Property Act, Samvat 1977" occurring at both the places, substitute "Transfer of Property Act, 1882"; and
	(b) for "Contract Act, Samvat 1977", substitute "Indian Contract Act, 1872".
Section 31. –	In sub-section (1), for "Code of Civil Procedure, Samvat 1977", substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".
Section 32. –	(i) in sub-section (1), for "Code of Civil Procedure, Samvat 1977", substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)" ; and
	(ii) in sub-section (2), for "Ranbir Penal Code" and "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989", substitute Indian Penal Code (45 of 1860)" and "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)" respectively.
	(iii) in sub-section (6), for "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989", substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 37. –	(i) In the marginal heading, omit "consolidated fund of the State"; and
	(ii) for "consolidated fund of the State", substitute "such authority as may be prescribed by the Administration".
Section 40. –	For "Government", occurring at both the places, substitute "Administration".
Section 41. –	For "Government", substitute "Administration".

56. SALARIES AND ALLOWANCES OF THE MEMBERS OF JAMMU AND KASHMIR STATE LEGISLATURE ACT, 1960
(XIX of 1960)

Repeal as a whole.

57. SALARIES AND ALLOWANCES OF LEADER OF OPPOSITION IN THE STATE LEGISLATURE ACT, 1985
(XVI of 1985)

Repeal as a whole.

58. THE JAMMU AND KASHMIR SELF-RELIANT COOPERATIVES ACT, 1999 (X of 1999)

Throughout the Act, for "Government Gazette" and "Government" substitute "Official Gazette" and "Administration of Union territory of Ladakh", respectively.

Throughout the Act, for "Jammu and Kashmir", substitute "Union territory of Ladakh".

Section 1. –	In sub-section (2), for "State Of Jammu and Kashmir", substitute "Union territory of Ladakh".
Section 2. –	(i) in clause (23), for "a permanent resident of the State as defined in section 6 of the Constitution of the Jammu and Kashmir", substitute "any person"; (ii) in clause (27), for "permanent resident of the State", substitute "any person"; and (iii) in clause 30, omit "whose members are permanent residents of the State.".
Section 3. –	In sub-section (1), omit "comprise of permanent residents of the State and".
Section 16. –	(i) In clause (a), – (a) in sub-clause (i), for "Jammu and Kashmir Contract Act, Samvat 1977", substitute "Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872); and (b) omit sub-clause (ii); (ii) in clause (c), for "Jammu and Kashmir Society Registration Act, Samvat 1998", substitute "Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860)".
Section 59. –	For "Jammu and Kashmir Registration Act, Samvat 1977", substitute "Registration Act, 1908 (16 of 1908)".

59. THE JAMMU AND KASHMIR SINGLE WINDOW (INDUSTRIAL INVESTMENT AND BUSINESS FACILITATION) ACT, 2018.

(X of 2018)

Throughout the Act, except in sub-sections (14) and (17) of section 2 or as otherwise provided, for "Government", substitute "Administration of Union territory of Ladakh".

IndiaCode

Throughout the Act, except as otherwise provided, for "Government Gazette" and "Jammu and Kashmir" and "State", respectively, substitute "Official Gazette", "Union territory of Ladakh", "Union territory".

Preamble.– For "State of Jammu and Kashmir" substitute "Union territory of Ladakh".

Section 2. – (i) After clause (1), insert —

'(ab) "Administration" means the Administration of Union territory of Ladakh ;"

(ii) omit clause (16);

(iii) omit clause (23); and

(iv) after clause (25), insert –

"(25a) "Union territory" means the Union territory of Ladakh".

Section 3. – (i) For sub-section (1) substitute –

"(1) The Administration may constitute a District Level Single Window Clearance Committee for each district by notification in the Official Gazette.";

Section 4. – For sub-section (1) substitute –

"(1) The Administration may constitute a Divisional Level Single Window Clearance Committee by notification in the Official Gazette.".

Section 5.– In sub-section (1), for "Chief Secretary", "Chairman, Pollution Control Board" and "Director, Industries and Commerce, concerned Member" substitute "Advisor" and "Chairman, Pollution Control Committee" and "Director, Industries and Commerce, Member-Secretary", respectively, and omit "9. Managing Director, J&K, SIDCO Member-Secretary".

Section 6. – For "Kashmir/Jammu" substitute "Union territory of Ladakh".

Section 8. – In sub-section (2), for "State Acts" substitute "State Acts, as adapted for application in Union territory of Ladakh".

Section 9. – For "State Government" substitute "Union territory of Ladakh".

Section 26. – (i) Omit sub-sections (3) ; and

(ii) in sub-section (4), for "so made by the State Legislature" substitute "in the rules".

Section 27. – Omit sub-section (2).

60. THE JAMMU AND KASHMIR STATE ROAD SAFETY COUNCIL ACT, 2018

(V of 2018)

Throughout the Act, for "Government Gazette" and "State Road Safety Council", substitute "Official Gazette" and "Union territory of Ladakh Road Safety Council".

Throughout the Act, other than in clause (iii) of sub-section (2) of section 4, for "Government", substitute "Administration".

Throughout the Act, for "State", substitute "Union territory of Ladakh".

Throughout the Act, other than in section 37, for "Jammu and Kashmir", substitute "Union territory of Ladakh".

Section 2. –	In sub-section (2), –
	(a) for clause (i) substitute-
	'(i) "Administration" shall mean Administration of the Union territory of Ladakh.' ; and
	(b) in clause (k), omit "and the Jammu and Kashmir Municipal Corporation Act, 2000 as the case may be".
Section 3. –	In sub-section (1), for "Chairman, who shall be Incharge Minister of Transport Department, Chief Secretary of the State as Vice-Chairman and such other members", substitute "such members".
Section 4. –	In clause (ii) of sub-section (3), for "State Government", substitute "Administration".
Section 10. –	In sub-section (1), for "Jammu and Kashmir Road Safety Fund", substitute "Union territory of Ladakh Road Safety Fund".
Section 22. –	Omit sub-section (2).
Section 23. –	(i) In sub-section (3), omit "and the Government shall lay the same before the State Legislature";
Section 29. –	(ii) for "Ranbir Penal Code, Samvat 1989", substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".
Section 34. –	Omit sub-section (3).

IndiaCode

61. THE SAPPHIRE ACT, SVT. 1989
(XVI of 1989)

Repeal as a whole.

62. THE JAMMU AND KASHMIR STATE SHEEP AND SHEEP PRODUCTS DEVELOPMENT BOARD ACT, 1979

(IX of 1979)

Repeal as a whole.

63. THE JAMMU AND KASHMIR SPECIAL TRIBUNAL ACT, 1988
(XIX of 1988)

Repeal as a whole.

64. THE JAMMU AND KASHMIR STATE TOWN PLANNING ACT, 1963
(XX of 1963)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for "Government", "Government Gazette", "State", and "Minister", substitute "Administration", "Official Gazette", "Union territory" and "Advisor to the Lieutenant Governor", respectively.

Section 2. –	For clause (b), substitute –
	'(b) "Administration" means Administration of the Union territory of Ladakh.';
Section 3. –	In clause (o), for "Jammu and Kashmir Municipal Act, Svt. 2008' or the Jammu and Kashmir Town Area Act, Svt. 2011", substitute "Jammu and Kashmir Municipal Act, 2000".
Section 18. –	In sub-section (6), for "Jammu and Kashmir Arbitration Act, Svt. 2002", substitute "Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996)".
Section 26 . –	For "State Land Acquisition Act, Svt. 1990", substitute "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".
Section 27. –	(i) In the marginal heading, for "sections 4 and 6 of Land Acquisition Act, 1990", substitute "sections 11 and 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)" ;
	(ii) for " sections 4 and 6 of State Land Acquisition Act, Svt. 1990", occurring at both the places, substitute "sections 11 and 19 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".
Section 28. –	(i) In the marginal heading, for "sections 15, 23 and 24 of the Land Acquisition Act, 1990", substitute "sections 26, 27 and 28 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)"; and
	(ii) in sub-section (1), for "sections 15, 23 and 24 of the State Land Acquisition Act, Svt. 1990" substitute "sections 26, 27 and 28 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".

65. THE JAMMU AND KASHMIR TREASURE TROVE ACT, SVT. 1954
(Council Resolution No. 37 of 1897)

Repeal as a whole.

66. THE JAMMU AND KASHMIR URBAN PROPERTY (CEILING) ACT, 1971 (XII of 1971)

Repeal as a whole.

67. THE JAMMU AND KASHMIR WILLOW (PROHIBITION ON EXPORT AND MOVEMENT) ACT, 2000
(XVI of 2000)

Repeal as a whole.

68. THE JAMMU AND KASHMIR SCHOOL EDUCATION ACT, 2002

(XXI of 2002)

Throughout the Act, except as otherwise provided, for "Government" and "Government Gazette", substitute "Administration" and "Official Gazette", respectively.

Throughout the Act, except in preamble or as otherwise provided, for "Jammu and Kashmir" and "State" substitute "Union territory of Ladakh" and "Union territory", respectively.

Section 1. – In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Ladakh".

Section 2. – (i) After clause (a), insert, –

'(aa) "Administration" means the Administration of the Union territory of Ladakh";

(ii) omit clause (c);

(iii) in clause (e), for "District Education Officer" substitute "Chief Education Officer";

(iv) omit clause (h); and

(v) for clause (o), substitute –

'(o) "Union territory" means the Union territory of Ladakh'.

IndiaCode

Sections 6,7,8,9 and 10. – Omit.

Insertion of new section – After section 20, insert. –

Constitution of Fee Fixation and Regulation Committee of Private School.

"20A. (1) The Administration shall constitute a Committee to be known as the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools for the purposes of regulating and determining the fee in private schools in the Union territory.

(2) The Committee shall be headed by a Chairperson who has been a Judge of a High Court or an officer of the Administration not below the rank of a Secretary of the Union territory or above.

(3) The members of the Committee shall be such as may be prescribed by the Administration of the Union territory.

(4) The Chairperson may co-opt any other independent person of repute or a representative of a recognised School Association as an expert member, but the total number of members of the Committee shall not exceed five.

Term of office and other conditions of service Chairperson.

20B. The term of office and other conditions of service of the Chairperson of the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall be such as may be prescribed by the Administration.

Powers and functions

20C. (1) Subject to the provisions of this Act or any other law for the time

of the Committee.

being in force, the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Administration to ensure that the private schools are not indulging commercialisation of education and undue profiteering.

(2) The Administration may by notification, delegate any of the powers vested in the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools to the Chairperson of the said Committee, to the extent as may be prescribed.

(3) Orders passed by the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall be deemed to have been duly passed by a public servant and its violation or non-compliance shall amount to disobedience under the provisions of section 188 of Indian Penal Code (45 of 1860).

Determination of fee.

20D. (1) The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall while determining the fee to be charged by the private schools established after August, 2014 take into account inter alia the location, available infrastructure, expenditure on administration, aid, assistances and support in any form received by the private school from the Administration or any other person or agency or any other factors as may be prescribed.

(2) The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools may from time to time issue notification for fixing maximum ceiling of the fee to be charged under various categories.

IndiaCode

Fee to be charged by private Schools.

20E. (1) The private schools shall not charge any fee from the students or guardians, except tuition fee, annual fee, transport fee and voluntary special purpose fee such as the picnic, tour and excursions, etc. completely voluntary in nature or any other fee as may be approved by the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools after following the procedure prescribed:

Provided that private schools shall not charge in any manner, any other fee including admission fee or any amount, by whatever name called than the fee mentioned above.

Power to call for records.

20F. The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools may at any stage call the record of any school for scrutiny if it comes to the conclusion that the private school has violated or is not adhering to its directions.

Staff of Committee.

20G.(1) The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall, for the purpose of assisting it in the discharge of its functions, be provided by the Administration, such officers and employees as may be determined from time to time by the Administration in consultation with the Chairperson of the Committee.

(2) All establishment charges of the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall be borne by the

Administration.

(3) The terms and conditions of service of the officers and employees referred to in sub-section (1) shall be such as may be determined by the Administration from time to time.

(4) In the discharge of their functions under this Act, the officers and employees referred to in sub-section (1) shall be subject to the exclusive administrative control and direction of the Committee.

Sub-committees. **20H.** The Administration may constitute such other sub-committees at Union territory level or Districts level with such powers and functions as it may deem fit to effectively regulate the fee in private schools.

Power to make regulations. **20-I.** The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools may, by notification, makes such regulations as it may deem necessary for carrying out the purpose of the said Committee.

Powers of Civil Court. **20J.** The Committee for Fixation and Regulation of Fee of private Schools shall for the purposes of making any inquiry or initiating any proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a Civil Court, under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 22. – Omit.

For section 25, substitute –

Bar of jurisdiction. **"25.** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) or any other law for the time being in force, no court shall grant any injunction or make any interim order restraining any proceedings which is being or is about to be taken under this Act.

(2) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Chairperson or any member of the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools or any officer or other employee or any person acting under the direction either of the Administration or of the said Committee, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules or orders made there under.".

For section 27, substitute –

Penalties. "27.(1) Whosoever contravenes any of the provisions of this Act or rules made there under except the violation of directions issued by the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall be liable to a fine of not less than fifteen thousand rupees for first offence and fifty thousand rupees for every subsequent offence by the Director School

Education.

(2) Any person or private school which contravenes the directions of the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall be liable to a fine of not less than fifty thousand rupees for first offence and one lakh rupees for every subsequent offence including recommendation for disaffiliation of such private school by the said Committee.".

For section 28, substitute –

Revision and appeal.

"28.(1) Any person aggrieved of any order passed by the authority under sub-section (1) of section 27 may file a revision petition before the Director School Education within a period of thirty days from the date of the order in such form and manner as may be prescribed.

(2) Any person or private school aggrieved by any order made by the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools in exercise of its powers conferred under sub-section (2) of section 27 may prefer an appeal against such order to the High Court of Jammu and Kashmir within a period of thirty days from the date of the order.".

Section 29.– In sub-section (2), omit clause (g).

IndiaCode

69. THE JAMMU AND KASHMIR BOARD OF SCHOOL EDUCATION ACT, 1975

(XXVIII of 1975)

Throughout the Act, except as otherwise provided, for "Government" and "Government Gazette", substitute "Administration of Union territory of Ladakh" and "Official Gazette", respectively.

Throughout the Act, except in preamble and in section 44 of the Act or as otherwise provided, for "Jammu and Kashmir" and "State" substitute "Union territory of Ladakh" and "Union territory", respectively.

Preamble.– For "State" and "in the State of Jammu and Kashmir" substitute "Union territory" and "in the Union territory of Ladakh", respectively.

Section 1. – In sub-section (2), for "whole of the State of Jammu and Kashmir" substitute "whole of the Union territory of Ladakh".

Section 2. – (i) For clause (a), substitute–

'(a)"Affiliated" with its grammatical variations and cognate expressions used with reference to an institution means affiliated or deemed to be affiliated to the Board for the purposes of admission to the privileges of the Board;.;

(aa) "Board" means the Board of School Education established under section 3;';

(ii) for clause (c), substitute–

'(c) "Elementary Education" means education at the elementary stage in a school corresponding to Grades I to VIII as per courses of study prescribed by a competent academic authority;';

(iii) after clause (d), insert–

'(da) "Head of the institution" means Headmaster or Principal or any other Principal or Academic Officer, by whatever designation called, of an affiliated institution;';

(iv) for clause (h), substitute–

'(h) "Recognised" with its grammatical variations and cognate expressions, used with reference to institutions means recognised schools or institutions by the Administration of the Union territory of Ladakh for imparting education to the students at Pre-primary, Elementary, Secondary, Higher Secondary or Teachers Training level;'; and

(v) for clause (m), substitute–

'(m) "Training Institution" means a training institution run privately or by the Administration of the Union territory of Ladakh and recognised by the Administration of the Union territory of Ladakh and affiliated to such Board as may be prescribed by the said Administration'.

Section 3. – (i) In sub-section (1), for "Elementary Education" substitute "Pre-primary Education, Elementary Education" ;

(ii) in sub-section (1), insert,–

"Provided that the Administration may entrust job of the Board or affiliate to such Board of any other State or any other Union territory or Central Board of Secondary Education or any other body as may be notified for this purpose."; and

(iii) in sub-section (2), for "Jammu and Kashmir State Board" substitute "Union territory of Ladakh Board".

Section 4. – For section 4, substitute,–

Composition of Board "4. The Board shall consist of such members as may be appointed by the Administration.".

Section 9. – (i) In the marginal heading, omit "and its two Divisions";

(ii) for "at Srinagar and Jammu for such periods as the Chairman from time to time determine" substitute "as prescribed by the Administration of the Union territory of Ladakh"; and

(iii) omit the provisio.

Section 10. – (i) In clause (i), for "Elementary", substitute "Pre-primary and Elementary"; and

(ii) after "examinations" insert "and Elementary Teachers Training Course" ;

(iii) in clause (ii), after "courses", insert "and Teacher Training Education Courses";

(iv) in clause (iii), after "Board", insert "through electronic and print media";

(v) in clause (v), after "Higher Secondary Courses", insert "and Teachers Training Courses, etc.";

(vi) in clause (xiii), for "University of Jammu, University of Kashmir" substitute "University of Ladakh";

(vii) for clause (xv), substitute–

"(xv) to call for reports from the concerned Director of School Education about the working and facilities available in a school applying for affiliation with the Board";

(viii) in clause (xvi), insert "Pre-primary" after "relating to" and insert "Teacher Training Courses" after "education";

(ix) for clause (xviii), substitute–

"(xviii) to frame regulations for implementing various provisions of the Act.";

(x) for clause (xxvii), substitute–

"(xxvii) (a) to constitute or appoint different Boards of Studies for different subjects of studies at different stages including elementary teacher education;

(b) to undertake printing and publication of textbooks prepared or developed and approved by the concerned Courses Committee"; and

(xi) for clause (xxviii), substitute–

"(xxviii) to liaise with different sister organisations at the national level including the Council of Boards of Secondary Education (COBSE), the National Council of Educational Research and Trainings (NCERT) and the National Council for Teacher Education (NCTE) for furthering the objectives of this Act.".

Section 11. – Omit sub-section (3).

Section 13. – For sub-section (4), substitute–

"(4) If in the opinion of the Chairman any emergency has arisen which requires that immediate action should be taken, he shall take such action as he deems appropriate and shall thereafter, report the action taken to the Board at its next meeting or a meeting convened for the purpose:

Provided that the Chairman shall as soon thereafter as may be, report his action together with reasons thereof to the office, authority or other body of the Board or the Board, as the case may be, who or which would ordinarily have dealt with the matter:

Provided further that no appointment of any nature, whatsoever, shall be made under these powers:

Provided also that no promotions of any nature, whatsoever, shall be made under these powers.".

Section 16 and 17. Omit.

IndiaCode

Insertion of new section – After section 17, insert –

Director Academics.

"17A.The Director Academics shall be appointed by the Administration of the Union territory of Ladakh from amongst senior and competent academicians or educationists having a deep understanding on various issues including that of curriculum making, teaching-learning methodology, contemporary advances in cognitive learning and all such related matters.

Powers and functions of Director Academics.

17B. Subject to the control and regulations of the Board, the Director Academic, shall head such Divisions of the Board as may be provided in the regulations for realisation of various educational objectives of the Board including that of-

(a) preparation of curricula for different stages of education;

(b) preparation of curricula for various Teacher Education Courses;

(c) preparation of curricula for Vocational Courses and Physical Education;

(d) development of material or books for various stages of education, promotion and development of quality education in the Union territory;

(e) review, revision or preparation of scheme or schemes of examinations;

(f) conduct of orientation courses in new methods of evaluation;

(g) conduct refresher courses of teachers in new schemes or teaching new curricula.".

IndiaCode

Insertion of new section – After Section 22, insert-

Financial Advisor

"22A.(1) The Administrative Secretary, Finance Department, or any officer nominated by the Administration of the Union territory of Ladakh shall be the ex officio Financial Advisor to the Board.

(2) The Financial Advisor shall be an ex officio member of the Board and its Finance Committee.

(3) The Financial Advisor shall exercise such powers and performs such duties as may be prescribed by the Statutes and regulations made under this Act.".

Section 33.-

In sub-section (2), in clause (d), for "recognition" occurring at both the places substitute "affiliation".

Section 34. –

Omit.

For section 35, substitute–

Copies of regulations and alterations

"35. A copy of every regulation made by the Board under section 33 and of

thereof.	every modification or revision thereof shall be submitted to the Administration of the Union territory of Ladakh for information.".
Section 36.	For "High School and Higher Secondary School Education" substitute– "High School, Higher Secondary School and Elementary Teacher Training Education".
For Section 37 substitute–	
Admission of institutions to privileges of Board.	"37. (1) Any Institution, in or outside the Union territory, may apply to the Board for being admitted to the privileges of the Board and the Board may, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, admit such institution to the privileges of the Board. (2) Where the Board is satisfied that its privileges are being abused by any affiliated institution or that the prescribed conditions or restrictions are not being compiled with by such institution, the Board may withdraw its privileges from the institution, and thereon the institution shall cease to be an affiliated institution: Provided that before withdrawing the privileges, the Board shall require the institution to showcase why such action should not be taken and consider any explanation which may be furnished by it.".
Section 38.-	Omit.
For section 40, substitute–	
Meetings of Board.	"40.(1) The Board shall hold its meetings at least four times in a year but three months shall not intervene between its last meeting and the next following meeting. (2) The Chairman shall preside every meeting of the Board. (3) All matters in a meeting of the Board shall be decided by the vote of the majority of the members present and voting: Provided that in the case of equality of votes, the Chairman, in addition to his vote as a member, have a casting vote. (4) Two-third of the total membership shall form a quorum at a meeting of the Board: Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting for transacting the same business. (5) Copy of the proceedings of every meeting of the Board shall be sent to the Administration of the Union territory of Ladakh by the Secretary as soon as the meeting is held. (6) No action taken, or proceedings taken, under this Act by the Board shall

IndiaCode

be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy amongst members, or by reason of defect or irregularity in its constitution or any irregularity in procedure not affecting the merits of the case.".

For section 43, substitute–

Legal proceedings.

"43.No suit shall be instituted against the Board, or any member thereof, or any of its officers or other employees, or any person acting under the directions of the Board or any member or any officer or other employees of the Board in respect of any act done or purporting to have been done in pursuance of this Act or any rule or regulation made there under until the expiration of two months after notice, and in any other case, delivered to, or left at the office or place of abode of, the person to be sued and unless such notice state explicitly the cause of action, the nature of relief sought, the amount of compensation claimed and the name and place of residence of the intending plaintiff and unless the plaint contains a statement that such notice has been so left or delivered.".

Insertion of new section – After section 43, insert–

IndiaCode

Copy right.

"43A. (1) Copy right of all materials developed, printed and published by the Board shall vest with the Board itself.

(2) The Board may get material pertaining to School Education developed, published or printed from any agency as it may consider appropriate in the public interest.

Summary powers of recovery.

43B. In case any sum is recoverable by the Board of School Education from any person on account of purchase, sale transportation, printing, storage or transit shortage of books and printing material or other sums found to have been misappropriated by the officials of the Board, the said sum of money shall be recoverable from such a person and the procedure of recovery shall be the same as prescribed under section 90 of the Land Revenue Act, 1996.".

70. THE JAMMU AND KASHMIR BOVINE BREEDING (REGULATION OF PRODUCTION, SALE OF BOVINE SEMEN AND ARTIFICIAL INSEMINATION SERVICES) ACT, 2018

(LI of 2018)

Throughout the Act, except as otherwise provided, for "State", "Jammu and Kashmir" and "Government Gazette", substitute "Union territory", "Union territory of Ladakh" and "Official Gazette", respectively.

Throughout the Act, except in sub-section (I) of section 21 or as otherwise provided, for "Government", substitute "Administration of the Union territory of Ladakh".

Section 2. – (i) After clause (a), insert, –

'(aa) "Administration" means the Administration of the Union territory of Ladakh' ;

(ii) in clause (j), omit ""Kashmir and Livestock Development Board Jammu" ;

(iii) omit clause (o); and

(iv) in clause (p), for "Jammu and Kashmir State" substitute "Union territory of Ladakh".

Section 5. – In section 5, for "at the office of the Chairman, Jammu and Kashmir State Implementing Agency/Administrative Secretary, Animal Sheep Husbandry and Fisheries Department", substitute "such as notified by the Administration".

Section 9. – In sub-section (1), for "State of Jammu and Kashmir" substitute "Union territory of Ladakh".

Section 17. – (i) In sub-section (1), for "the tribunal established under the Jammu and Kashmir Special Tribunal Act, 1988 (Act No 19 of 1988)" substitute "such authority as may be notified by the Administration" ; and

(ii) in sub-section (2), for "The Tribunal" substitute "Such authority".

Section 18. – In sub-section (2), for "Jammu and Kashmir Code of Criminal Procedure Svt, 1989 (1933 A.D)" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 29. – For "Ranbir Penal Code, Samvat 1989" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 32. – Omit sub-section (3).

Section 34. – For "Jammu/Kashmir" substitute "Ladakh".

71. THE JAMMU AND KASHMIR AERIAL ROPEWAYS ACT, 2002

(XII of 2002)

Throughout the Act, except in preamble or as otherwise provided, for "Jammu and Kashmir" and "State" substitute "Union territory of Ladakh" and "Union territory", respectively,

Throughout the Act, except in clause (ix) of sub-section (4) of section 6 or as otherwise provided, for "Government" substitute "Administration".

Throughout the Act, for State Ranbir Penal Code Samvat 1989", substitute Indian Penal Code (45 of 1860).

Section 1. – In sub-section (2), for "State of Jammu and Kashmir" substitute "Union territory of Ladakh".

Section 2. – (i) After clause (a), insert, –

'(aa) "Administration" means the Administration of the Union territory of

Ladakh';

(ii) after clause (c), insert –

'(cc) "Collector" means Collector as defined under the Land Revenue Act, Svt. 1996';

(iii) omit clause (d);

(iv) for clause (f), insert, –

'(f) "Inspector" means an officer, a Committee or an Agency so appointed by the Administration under this Act';

(v) in clause (k), in sub-clause (iv), for "Companies Act, 1956" substitute "Companies Act, 2013"(18 of 2013); and

in sub-clause (v) for "Indian Railway Act, 1980" substitute

"The Railways Act, 1989 (24 of 1989)".

For sections 3 and 4 substitute–

Declaration for concessions.

"3.Every declaration by an intending promoter other than the Administration in regard to a proposed aerial ropeway for undertaking the necessary preliminary investigations shall be submitted on an application to the Divisional Commissioner.

IndiaCode

Contents of Declaration.

4. Every such application shall be supported by a duly sworn affidavit and shall include–

(i) a description of the undertaking and of the route to be followed by the proposed aerial ropeway;

(ii) a description of the system of construction and management and the advantages to the community to be expected from the aerial ropeway;

(iii) an approximate estimate of the cost of construction thereof; and

(iv) such maps, plans, sections, diagrams and other information as the Administration of the Union territory of Ladakh may require in order to form an idea of the proposal.".

For section 18 substitute.-

Promoter to fix rates.

"18.The promoter shall, for the purposes of working an aerial ropeway, have powers to fix the rates for the carriage of passengers, animals or goods on the aerial ropeway:

Provided that such rates shall be subject to such maximum and minimum rates as may be prescribed or ordered in case where concession, guarantee, or financial assistance have been granted by the Administration or any local authority.".

Section 30. – For "State Land Acquisition Act, Samvat 1990" substitute "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)".

Section 32. – Omit sub-section (4).

Section 34. – For "one thousand rupees" substitute "five thousand rupees".

72. THE JAMMU AND KASHMIR FOREST (PROTECTION) FORCE ACT, 2001

(VI of 2001)

Repeal as a whole.

73. THE PREVENTION OF RUM RASUM ACT, 1977

(I of 1997)

Throughout the Act, for "Jammu and Kashmir State", substitute "Union territory of Ladakh".

Section 4. – For "five hundred rupees" substitute "five thousand rupees".

74. THE PROBATE AND ADMINISTRATION ACT, SVT. 1977 (1920 A.D.)

(XXIX of Svt. 1977)

Throughout the Act, except as otherwise provided, for "Government" and "Government Gazette","Jammu and Kashmir" and "State" substitute "Administration" and "Official Gazette", "Union territory of Ladakh" and "Union territory", respectively.

Throughout the Act, for "Code of Civil Procedure, Samvat 1977", substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Throughout the Act, for "Ranbir Penal Code", wherever occurring, substitute 'Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 1. – In sub-section (2), for "Jammu and Kashmir State" substitute "Union territory of Ladakh".

Section 3. – (i) For "Province- Province means the province of Jammu or the province of Kashmir" substitute "Province- Province means Union territory of Ladakh"; and

(ii) in the definition of "Mines" for "the Majority Act, 1977," substitute "the Majority Act, 1875 (9 of 1875)".

Section 59. – For "the whole of state" substitute "the whole of the Union territory".

Section 60. – In sub-section (2), in example, for "the whole of the State" substitute "the whole of the Union territory".

75. THE JAMMU AND KASHMIR NATIONAL LAW UNIVERSITY ACT, 2018

(II of 2019)

Repeal as a whole.

76. THE SRINAGAR AND JAMMU CLUSTER UNIVERSITIES ACT, 2016

(III of 2016)

Repeal as a whole.

77. THE JAMMU AND KASHMIR MIGRANT IMMOVABLE PROPERTY (PRESERVATION, PROTECTION AND RESTRAINT ON DISTRESS SALES) ACT, 1997

(XVI of 1997)

Repeal as a whole.

78. THE JAMMU AND KASHMIR MIGRANTS (STAY OF PROCEEDINGS) ACT, 1997

(XVII of 1997)

Repeal as a whole.

79. THE JAMMU AND KASHMIR FLOOD PLAIN ZONES (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 2005

(XVII of 2005)

Repeal as a whole.

80. THE JAMMU AND KASHMIR BABA GHULAM SHAH BADSHAH UNIVERSITY ACT, 2002

(XVI of 2002)

Repeal as a whole.

81. THE KASHMIR AND JAMMU UNIVERSITIES ACT, 1969

(XXIV of 1969)

Repeal as a whole.

82. THE JAMMU AND KASHMIR SHRI MATA VAISHNO DEVI UNIVERSITY ACT, 1999

(XII of 1999)

Repeal as a whole.

83. THE JAMMU AND KASHMIR PREVENTION AND SUPPRESSION OF SABOTAGES ACT, 1965

(XXII of 1965)

Repeal as a whole.

IndiaCode

84. THE JAMMU AND KASHMIR CIVIL COURTS ACT, SVT. 1977

(XLVI of Samvat 1977)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', "and 'Government Gazette, substitute 'Administration of the Union territory of Ladakh' and 'Official Gazette' respectively.

Throughout the Act for "Code of Civil Procedure" substitute "Code of Civil Procedure 1908(5 of 1908).

Throughout the Act, for "the State" substitute 'the Union territory of Ladakh".

Section 1.–	In sub-section (2), for "Jammu and Kashmir" substitute "Union territory of Ladakh".
Section 2. –	(i) Omit clause (i);
	(ii) after clause (i), insert -
	'(ia) "High Court" means the common High Court for the Union territory of Jammu and Kashmir and the Union territory of Ladakh created under Part VIII of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019)'.
Section 3. –	Omit.
Section 4.–	Omit.
Section 8. –	In sub-section (1), in clause (d), for "sued" substitute "used".
Section 13. –	Omit " the Courts of Small Causes established under the Small Cause Court Act, and"
Section 24.–	Omit.
Section 25. –	(i) In sub-section (2), -
	(a) in clause (a), for "Probate and Administration Act" and "fifth paragraph of the Third Schedule" substitute "Indian Succession Act,1925 (39 of 1925)" and "paragraph 3 of Schedule III " ; and
	(b) for "Guardian and Wards Act" substitute "Guardians and Wards Act, 1890(8 of 1890)".
Section 39. –	In sub-section (2), omit "in paragraph 17 of the second Schedule or".
Section 43. –	For "High Court of Judicature, Jammu and Kashmir State" substitute "High Court".

IndiaCode

85. THE JAMMU AND KASHMIR PREVENTION OF BEGGARY ACT, 1960

(XL of 1960)

Repeal as a whole.

86. THE JAMMU AND KASHMIR BOARD OF PROFESSIONAL ENTRANCE EXAMINATION ACT, 2002

(XXV of 2002)

Repeal as a whole.

87. THE JAMMU AND KASHMIR (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) EXAMINATIONS ACT, 1987

(XX of 1987)

Throughout the Act except as otherwise provided, for 'Government', and 'Government Gazette, substitute 'Administration' and 'Official Gazette', respectively.

Throughout the Act except in the preamble or as otherwise provided, for "Jammu and Kashmir" and "State" substitute "Union territory of Ladakh" and "Union territory", respectively.

Section 1. – In sub-section (2), for "State of Jammu and Kashmir" substitute "Union territory of Ladakh".

Section 2. – (i) In clause (a), for "Jammu and Kashmir State" substitute "Union territory of Ladakh", and for "Jammu and Kashmir Board of School Education Act 1975", substitute "Jammu and Kashmir Board of School Education Act 1975 or any other Board notified by the Administration";

(ii) after clause (a), insert –

'(ab) "Administration" means the Administration of the Union territory of Ladakh ;' ;

(iii) in clause (h), for "Jammu and Kashmir Board of School Education Act 1975" substitute "Jammu and Kashmir Board of School Education Act 1975 or any other Board notified by the Administration"; and

(iv) in clause (l), for "an university established under any act passed by the State Legislature" substitute "any University notified by the Administration for the purposes of this Act".

Section 7. – For "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 8. – (i) For "Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)"; and

(ii) in clause (iii), for "section 259-A of the Code of Criminal Procedure, Samvat 1989" substitute "Chapter XIX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 10. – For "Ranbir Penal Code" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

88. THE JAMMU AND KASHMIR PRIVATE COLLEGES (REGULATION AND CONTROL) ACT, 2002

(XXII of 2002)

Throughout the Act except in the clause (2) of section 17 or as otherwise provided, for 'Government', substitute 'Administration of Union territory of Ladakh'.

Throughout the Act except as otherwise provided, for 'Government Gazette, substitute 'Official Gazette'.

Throughout the Act except in section 24 of the Act or as otherwise provided, for 'Jammu and Kashmir' substitute 'Union territory of Ladakh'.

Throughout the Act including the preamble or as otherwise provided, for 'State' substitute 'Union territory of Ladakh'.

Section 1. – In the sub-section (2), for "State of Jammu and Kashmir" substitute "Union territory of Ladakh".

Section 2. – (i) After clause (a), insert–

'(ab) "Administration" means the Administration of the Union territory of Ladakh ;' ;

(ii) in clause (c), –

(a) for "affiliated to the University of Kashmir or the University of Jammu" substitute "affiliated to University of Ladakh or any other university notified by the Administration" ;

(b) in sub-clause (i), for "University of Kashmir or University of Jammu" substitute "any university notified by the Administration for the purposes of this Act".

(iii) omit clause (f) ;

(iv) in clause (i) for "State" means the State of Jammu and Kashmir" substitute "Union territory means the Union territory of Ladakh" ;

(v) in clause (j), for "University of Kashmir or the University of Jammu as established under the Kashmir and Jammu University Act, 1969" substitute "University of Ladakh or any other Universities as may be notified by the Administration".

Section 3. – In sub-section (2), for "Kashmir and Jammu University Act, 1969" substitute "University of Ladakh Act, 2018".

Section 9. – In the sub-section (2) for "Government Services", substitute "services under Administration of Union territory of Ladakh".

Section 17. – In clause (1), for "Kashmir and Jammu University Act, 1969" substitute "University of Ladakh Act, 2018".

Section 19. – For "Code of Civil Procedure, Samvat 1977" substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

89. THE POLICE ACT, 1983

(II of Samvat 1983)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', 'State' and 'Jammu and Kashmir Government Gazette, substitute 'Administration of the Union territory of Ladakh', 'Union territory of Ladakh' and 'Official Gazette', respectively.

Section 2. –	For "of its third publication ", substitute "its publication ".
Section 4. –	At the end, insert "All references in this Act to "Inspector General", "Deputy Inspector General", "Assistant Inspector General", "Superintendent", "Deputy Superintendent", "Assistant Superintendent", or any other post in the police force shall, if such post does not exist in the Union territory of Ladakh, be deemed to refer to an equivalent post or to such post which has been notified for this purpose by the Administration of the Union territory of Ladakh.".
Section 8. –	For "provisions of section 126 of the Constitution of Jammu and Kashmir" substitute "provisions of article 311 of the Constitution of India".
Section 17. –	In sub-section(1), for "section 386 and 387 of the Code of Criminal Procedure" substitute "sections 421 and 422 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 27. –	In sub-section (2), for "section 525 of the Code of Criminal Procedure 1989" substitute "section 459 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

IndiaCode

90. THE JAMMU AND KASHMIR ISLAMIC UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY KASHMIR ACT, 2005

(XVIII of 2005)

Repeal as a whole.

91. THE JAMMU AND KASHMIR DELIVERY OF BOOKS AND NEWSPAPERS (PUBLIC LIBRARIES) ACT, 1961

(XIII of 1961)

Repeal as a whole.

92. THE JAMMU AND KASHMIR HERITAGE CONSERVATION AND PRESERVATION ACT, 2010

(XV of 2010)

Throughout the Act, except as otherwise provided, for "Government" and "Government Gazette", substitute "Administration of the Union territory of Ladakh" and "Official Gazette", respectively.

Throughout the Act, except in the preamble or as otherwise provided, for "Jammu and Kashmir" and "State" substitute "Union territory of Ladakh" and "Union territory", respectively.

Section 2. – (i) After clause (a), insert —

'(aa) "Administration" means the Administration of Union territory of Ladakh'; and

(ii) omit clause (h).

Section 15. – In sub-section (I) for "five thousand rupees" substitute "fifty thousand rupees".

93. THE JAMMU AND KASHMIR VACCINATION ACT, 1967
(XXI of 1967)

Repeal as a whole.

94. SHER-I-KASHMIR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (GRANT OF DEGREES) ACT, 1983

(XIII of 1983)

Repeal as a whole.

95. THE JAMMU AND KASHMIR CIVIC LAWS (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 2014

(XIII of 2010)

IndiaCode

Repeal as a whole.

96. THE JAMMU AND KASHMIR FRUIT NURSERIES (LICENSING) ACT, 1987
(XXII of 1987)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', and 'Government Gazette, substitute 'Administration of the Union territory of Ladakh', and 'Official Gazette', respectively.

Throughout the Act, unless otherwise provided for 'Jammu and Kashmir" substitute 'Union territory of Ladakh', except in the preamble.

Preamble.–	For "State of Jammu and Kashmir" substitute "Union territory of Ladakh".
Section 1. –	In sub-section (2), for "State of Jammu and Kashmir" substitute "Union territory of Ladakh".
Section 7. –	For "State", wherever occurring, substitute "Union territory of Ladakh".
Section 17. –	For "Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 18. –	For "State Ranbir Penal Code" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

Section 21. – Omit sub-section (3).

97. THE AGRICULTURISTS RELIEF ACT, 1983

(I OF SAMVAT 1983)

Repeal as a whole.

98. THE JAMMU AND KASHMIR GOVERNMENT AID TO AGRICULTURISTS AND LAND IMPROVEMENT ACT

(VII of Samvat 1993)

Repeal as a whole.

IndiaCode

99. THE JAMMU AND KASHMIR PUBLIC SERVICES GUARANTEE ACT, 2011 (IX of 2011)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', and 'Government Gazette, substitute 'Administration of the Union territory of Ladakh', and 'Official Gazette', respectively.

Throughout the Act, for 'Jammu and Kashmir' and 'State' substitute 'Union territory of Ladakh' except in the preamble or as otherwise provided.

Preamble. – For 'the State' substitute 'Union territory of Ladakh'.

Section 2. – (i) After clause (a), insert –

'(ab) "Administration" means Administration of the Union territory of Ladakh.' ; and

(ii) Omit clauses (e), (j) and (l).

Section 9. – For "Code of Civil Procedure" substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

Section 15. – For "the Special Tribunal" substitute "the authority as may be designated by the Administration of the Union territory of Ladakh".

100. THE LADAKH BUDDHISTS SUCCESSION TO PROPERTY ACT, 2000 (XVIII of Samvat 2000)

Preamble. – For "Buddhist of Ladakh" substitute "Buddhist of the Union territory of Ladakh".

Section 1. – In the sub-section (2), for "Jammu and Kashmir State" substitute "Union territory of Ladakh".

Section 2. – In clause (b), for ”means the District of Ladakh” substitute “means the Union territory of Ladakh”.

101. THE JAMMU AND KASHMIR CIVIL SERVICES (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 2010

(XIV of 2010)

Repeal as a whole.

102. THE NATIONAL DEFENCE FUND DONATION OF IMMOVABLE PROPERTY (EXEMPTION FROM STAMP DUTY AND REGISTRATION) ACT, 1963
(V of 1963)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for “Government”, substitute “Administration”.

Section 4. – In sub-section (1), for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.

103. THE STAMP ACT, SVT. 1977
(XL of Samvat 1977)

Repeal as a whole.

104. THE JAMMU AND KASHMIR GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017
(V of 2017)

Repeal as a whole.

105. THE KASHMIR SILK PROTECTION ACT, 1964
(Notification No. 14 of Samvat 1964)

Repeal as a whole.

106. THE JAMMU AND KASHMIR SILK (DEVELOPMENT AND PROTECTION) ACT, 1988
(XXVIII of 1988)

Repeal as a whole.

IndiaCode

107. THE JAMMU AND KASHMIR NAMDHA QUALITY CONTROL ACT, SVT. 2010
[VI of Samvat 2010 (1953 A.D)]

Repeal as a whole.

108. THE JAMMU AND KASHMIR OBSOLETE LAWS (REPEAL) ACT, 2010
(XXVII of 2010)

Preamble. – For 'in the State' substitute 'in the Union territory of Ladakh".

109. THE JAMMU AND KASHMIR STATE FINANCE COMMISSION ACT, 2006
(XVIII of 2006)

Repeal as a whole.

110. THE JAMMU AND KASHMIR FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2006
(XII of 2006)

Repeal as a whole.

111. THE LEVY OF TOLLS ACT, SVT. 1995
(VIII of 1995)

Repeal as a whole.

112. THE JAMMU AND KASHMIR PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENT TAX ACT, 2005
(IX of 2005)

Repeal as a whole.

113. THE JAMMU AND KASHMIR STATE EMERGENCY RELIEF FUND ACT, 1960 (XIII of 1960)

Repeal as a whole.

114. THE USURIOUS LOANS ACT, SVT. 1977

(XLVII of Samvat 1977)

Repeal as a whole.

IndiaCode

115. THE JAMMU AND KASHMIR PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 2018

(XIII of 2018)

Repeal as a whole.

116. THE JAMMU AND KASHMIR REGULATION OF ACCOUNTS ACT, SVT. 2001

(XIV of Samvat 2001)

Repeal as a whole.

117. THE JAMMU AND KASHMIR URBAN IMMOVABLE PROPERTY TAX (REPEAL AND SAVING) ACT, 2002

(XXVIII of 2002)

Repeal as a whole.

118. THE JAMMU AND KASHMIR TENANCY ACT, 1980

(II of Samvat 1980)

Repeal as a whole.

119. THE JAMMU AND KASHMIR TENANCY (STAY OF EJECTMENT PROCEEDINGS) ACT, 1966

(XXXIII of 1966)

Repeal as a whole.

120. THE JAMMU AND KASHMIR RESTITUTION OF MORTGAGED PROPERTIES ACT, 1976

(XIV of 1976)

Repeal as a whole.

121. THE JAMMU AND KASHMIR MULBERRY PROTECTION ACT, SVT. 2006 (X of 2006)

Repeal as a whole.

122. THE INSPECTOR GENERAL OF PRISONS (CHANGE IN DESIGNATION) ACT, 2001

(XIII of 2001)

Repeal as a whole.

IndiaCode

123. THE JAMMU AND KASHMIR SIKH GURDWARAS AND RELIGIOUS ENDOWMENT ACT, 1973

(XV of 1973)

Throughout the Act, for "Government Gazette", substitute "Official Gazette".

Throughout the Act, other than in clause (vi) of section 4, for "Government", substitute "Administration of the Union territory of Ladakh".

Preamble. –	For "in Jammu and Kashmir State", substitute "Union territory of Ladakh".
Section 1. –	(i) in sub-section (2), for "Jammu and Kashmir State", substitute "Union territory of Ladakh'"; and
	(ii) in sub-section (2a), for "State", substitute "Union territory of Ladakh".
Section 2. –	In clause (a), for "State", substitute "Union territory of Ladakh".
Section 2A. –	For "Jammu and Kashmir Houses and Shops Rent Control Act, 1966", substitute "Jammu and Kashmir Residential and Commercial Tenancy Act, 2012".
Section 4. –	(i) In clause (v), for "Jammu and Kashmir State", substitute "Union territory of Ladakh";
	(ii) omit clause (vi).
Section 6. –	Omit "by rotation at Srinagar and Jammu".
Section 7. –	For "offices in Jammu and Srinagar", substitute "an office in Ladakh".
Section 8. –	Omit the proviso.
Section 12. –	Omit clause (vi).

IndiaCode

124. THE JAMMU AND KASHMIR GIFT GOODS (UNLAWFUL POSSESSION) ACT
(XL of 1963)

Repeal as a whole.

125. THE JAMMU AND KASHMIR KAHCHARAI ACT, 2011
(XVIII of 2011)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for "Government", "Jammu and Kashmir" or "State", and 'Government Gazette, substitute 'Administration of the Union territory of Ladakh', "Union territory of Ladakh" and 'Official Gazette', respectively.

Section 1.–	In sub-section (2), for "Jammu and Kashmir State" substitute "Union territory of Ladakh".
Section 3. –	(i) In sub-section (4) for "Jammu and Kashmir Forest Act, 1987" and "Minister-in-charge of the Forest Department" substitute "Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927" and "Administration of the Union territory of Ladakh";

	(ii) in sub-section (9), omit "such that the territories comprising Kashmir Valley and"
Section 12. –	Omit clause (ii).
Section 22. –	In sub-section (1), for "Minister-in-charge of the Forest Department" substitute "Administration of the Union territory of Ladakh".
Section 25. –	For "Code of Criminal Procedure" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 32. –	For "Code of Criminal Procedure" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

126. THE JAMMU AND KASHMIR VEGETABLE SEEDS ACT, SVT. 2009.
(XIV of 1973)

Repeal as a whole.

127. THE ENEMY AGENTS ORDINANCE, 2005
(Ord. No. VIII of Samvat 2005)

Throughout the Ordinance, unless otherwise provided, for 'Government' and 'State', substitute 'Administration of the Union territory of Ladakh', and 'Union territory of Ladakh', respectively.

Section 1.–	In sub-section (2), for "Jammu and Kashmir State" occurring at both places, substitute "Union territory of Ladakh".
Section 9. –	In sub-section (2), for "section 439 occurring at both places" substitute "section 401" .
Section 12. –	For "Evidence Act, 1977" substitute "Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) ".
Section 13. –	In sub-section (4), for "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 15. –	For "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".
Section 16. –	For "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

128. THE JAMMU AND KASHMIR CHOWKIDARI ACT, 1956.

(XXXVII of 1956)

Throughout the Act except as otherwise provided, for "Government" and "Government Gazette" substitute "Administration of the Union territory of Ladakh", and "Official Gazette" respectively.

Throughout the Act except in the preamble or as otherwise provided, for "Jammu and Kashmir" and "State" substitute "Union territory of Ladakh" and "Union territory", respectively.

Preamble. –	For "in the Jammu and Kashmir State" substitute "in the Union territory of Ladakh"
Section 1. –	In sub-section (2), for "Jammu and Kashmir State" substitute "Union territory of Ladakh".
Section 11.–	For "Ranbir Penal Code, 1989" substitute "Indian Penal Code (45 0f 1860)".

129. THE JAMMU AND KASHMIR PLANT DISEASE AND PESTS ACT, 1973

(XIV of 1973)

Throughout the Act, except as otherwise provided, for "Government" and "Government Gazette", substitute "Administration of the Union territory of Ladakh" and "Official Gazette", respectively.

Preamble. –	For "State" substitute "Union territory of Ladakh".
Section 1. –	In sub-section (2), for "State of Jammu and Kashmir", substitute "Union territory of Ladakh".
Section 10. –	In sub-section (3), for "five hundred rupees" substitute "five thousand rupees".
Section 16. –	Omit sub-section (4).

130. THE JAMMU AND KASHMIR SHRI AMARNATH JI SHRINE ACT, 2000

(XVIII of 2000)

Repeal as a whole.

131. THE JAMMU AND KASHMIR SHRI MATA SUKHRALA DEVI JI SHRINE AND SHRI MATA BALA SUNDARI SHRINE ACT, 2013

(III of 2013)

Repeal as a whole.

132. THE JAMMU AND KASHMIR SHRI MATA VAISHNO DEVI SHRINE ACT, 1988

(XVI of 1988)

Repeal as a whole.

IndiaCode

133. THE JAMMU AND KASHMIR SHRI SHIV KHORI SHRINE ACT, 2008

(IV of 2008)

Repeal as a whole.

134. THE JAMMU AND KASHMIR GOVERNOR'S SPECIAL SECURITY FORCE ACT, 2018

(XLII of 2018)

Repeal as a whole.

135. THE JAMMU AND KASHMIR SPECIAL SECURITY GROUP ACT, 2000

(VI of 2000)

Repeal as a whole.

136. THE JAMMU AND KASHMIR SAFFRON ACT, 2007

(V of 2007)

Repeal as a whole.

137. THE JAMMU AND KASHMIR STATE VIGILANCE COMMISSION ACT, 2011 (I of 2011)

Repeal as a whole.

138. THE JAMMU AND KASHMIR HABITUAL OFFENDERS (CONTROL AND REFORM) ACT, 1956
(XI of 1956)

Repeal as a whole.

139. THE JAMMU AND KASHMIR HOME GUARDS ACT, 2006
(III of Samvat 2006)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', 'State' and 'Government Gazette, substitute 'Administration of the Union territory of Ladakh', 'Union territory of Ladakh' and 'Official Gazette', respectively.

IndiaCode

For Section 2 substitute –	
Constitution of Home Guards and appointment of Commandant General and Commandants.	"2. (1) The Administration of the Union territory of Ladakh shall constitute a volunteer body called the Home Guards, the members of which shall discharge such functions and duties in relation to the protection of persons, the security of property and public order, public safety and for such other functions as may be assigned to them in accordance with the provisions of this Act and the rules made there under. (2) The Administration of the Union territory of Ladakh shall appoint an officer of suitable seniority of the Home Guards in whom shall vest general supervision and control of the Home Guards in the Union territory of Ladakh. (3) The Administration of the Union territory of Ladakh may also appoint such number of additional officers as may be required to whom the officer referred to in sub-section (2) may delegate such of his powers as he may consider necessary for supervision, control and training of the Home Guards. (4) The Administration of the Union territory of Ladakh shall also appoint a Commandant for the Home Guards in each district.".
Section 6-B. –	(i) In sub-section (1), for "Ranbir Penal Code 1989" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)"; and (ii) Omit sub-section (2).
Section 6-C. –	In sub-section (2), for "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of Sa mvat 1974)".

140. THE JAMMU AND KASHMIR FIRE FORCE ACT, 1967 (XII of 1967)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', and 'Government Gazette, substitute 'Administration of the Union territory of Ladakh' and 'Official Gazette', respectively.

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'State', substitute 'Union territory of Ladakh', except in preamble.

Section 2. –	In clause (d), for "Jammu and Kashmir State Fire Force" substitute "Ladakh Fire and Rescue Service".

Section 3. –	For "Jammu and Kashmir State Fire Force" substitute "Ladakh Fire and Rescue Service".
Section 14. –	For "Consolidated Fund of the State" substitute "Consolidated Fund of India".
Section 17. –	In sub-section (2), in clause (f), for "Jammu and Kashmir Arbitration Act, Samvat 2002" substitute "Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996)".
Section 19. –	For "The Code of Civil Procedure, Samvat, 1977", substitute "Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".
Section 21. –	For "Jammu and Kashmir State Ranbir Code, Samvat 1989" substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)".

141. THE JAMMU AND KASHMIR STATE BOARD OF TECHNICAL EDUCATION ACT, 2002

(XXIV of 2002)

Throughout the Act except as otherwise provided, for "Government Gazette", substitute "Official Gazette".

Throughout the Act except in the preamble and section 4 or as otherwise provided, for "State", substitute "Union territory of Ladakh".

Throughout the Act except in the preamble, sections 4 and 36 or as otherwise provided, for "Jammu and Kashmir" substitute "Union territory of Ladakh".

Throughout the Act except in the phrase 'Government of India' referred to in clause (o) of section 2, for "Government" substitute "Administration".

IndiaCode

Preamble.–	For 'State board' and 'in the State' substitute 'Union territory Board' and 'in the Union territory'.
Section 1.–	In the sub-section (2), for 'whole of the state of Jammu and Kashmir' substitute 'whole of the Union territory of Ladakh'.
Section 2.–	(i) After clause (a) insert – '(ab) 'Administration' means Administration of Union territory of Ladakh'; (ii) omit clause (n) ; (iii) omit clause (w) ; and (iv) after clause (x), insert – '(xa) 'Union territory' means Union territory of Ladakh'
Section 3.–	After section 3, insert – "Provided that the Administration may entrust job of the Board or affiliate to such Board of any other State or any other Union territory or any other body as may be notified for this purpose.".
Section 5.–	For "the following members … (r) Member-Secretary, to be appointed by the Government" substitute "such members as may be appointed by the Administration".
Section 18.–	For 'standard terms of deputation provided in the Jammu and Kashmir Civil Services Regulations' substitute 'terms of deputation as may be prescribed by the Administration'.
Section 19.–	Omit ",after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf".

Section 22.– (i) In sub-section (2), for 'section 226 of the Companies Act, 1956' substitute 'section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 20130' ; and

(ii) omit sub-section (5).

Section 30.– (i) For "Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Samvat, 1989", wherever occurring, substitute "Indian Penal Code (45 of 1860)"; and

(ii) in sub-section (2), for "Code of Criminal Procedure, 1989" substitute "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)".

Section 32.– Omit sub-section (3).

142. THE JAMMU AND KASHMIR PROHIBITION OF RAGGING ACT, 2011 (VI of 2011)

Throughout the Act except as otherwise provided, for "Government", and "Government Gazette", substitute "Administration of Union territory of Ladakh" and "Official Gazette", respectively.

Throughout the Act except in the preamble or as otherwise provided, for "Jammu and Kashmir" and "State" substitute "Union territory of Ladakh" and "Union territory", respectively.

IndiaCode

Preamble. – For "in the State of Jammu and Kashmir" substitute "in the Union territory of Ladakh".

Section 2. – (i) After clause (a), insert –

'(ab) "Administration" means the Administration of the Union territory of Ladakh ;' ;

(ii) omit clause (d); and

(iii) in clause (h), for "State means the State of Jammu and Kashmir" substitute "Union territory means the Union territory of Ladakh".

[F. No. 11012/21/2020-SRA]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.